JOTI JOURNAL

SUBJECT - INDEX

FEBRUARY – DECEMBER, 2024

	Editorial	1
	Editorial	29
	Editorial	77
	Editorial	101
	Editorial	125
	Editorial	151
	PART – I	
	(ARTICLES & MISC.)	
1	Photographs	3
2	Photographs	31
3	Photographs	79
4	Photographs	103
5	Photographs	128
6	Photographs	153
7	Elevation of Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu as Chief Justice of High Court of Punjab and Haryana	109
8	Hon'ble Shri Justice Sanjeev Sachdeva assumes charge	80
9	Hon'ble Shri Justice Rohit Arya demits Office	38
10	Hon'ble Shri Justice Ravi Malimath, Chief Justice of Madhya Pradesh demits office	81
11	Hon'ble Shri Justice Rajendra Kumar IV demits office	82
12	Hon'ble Shri Justice Raj Mohan Singh and Hon'ble Shri Justice Amar Nath (Kesharwani) demit office	110
13	Hon'ble Shri Justice Roopesh Chandra Varshney demits office	156
14	Transfer of Hon'ble Shri Justice Sujoy Paul to High Court for the State of Telangana	37
15	Welcome to the Hon'ble Chief Justice Shri Suresh Kumar Kait	127
16	A tribute for the distinguished jurist – Hon'ble Shri Justice U.L. Bhat	82

17	Message delivered on the occassion of 75 th Republic Day by Hon'ble Shri Justice Ravi Malimath, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh	7
18	Our Legends – Hon'ble Shri Justice Ananda Prakash Sen	16
19	Our Legends – Hon'ble Shri Justice G.P. Singh	39
20	Our Legends – Hon'ble Shri Justice G.L. Oza	85
21	Our Legends – Hon'ble Shri Justice J. S. Verma	111
22	Our Legends – Hon'ble Shri Justice N. D. Ojha	131
23	Our Legends – Hon'ble Shri Justice G. G. Sohani	157
24	Annual report of Madhya Pradesh State Judicial Academy, 2024	159
25	Audio-Recording evidence in unveiling corruption: A Crucial Tool in Legal Battles	171
26	Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 – A bird's eye view	88
27	Brief Summary Report of the Colloquium on – Intellectual Property Rights	134
28	Introduction to Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023	44
29	Key issues relating to Law of Easements	138
30	Overview of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023	65
31	Trial in Abstentia in light of BNSS, 2023	116
32	आयु निर्धारण – शाला अभिलेख में की गई प्रविष्टि की सुसंगतता	22
33	हम भारत के लोग (संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आलेख)	
34	विधिक समस्याएं एवं समाधान	28 &
		150

PART-II (NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS) opic Note No. Page No.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.) स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.)		
Sections 3, 12(1)(a) and 13 (6) – Suit for evict	ion – Default in	payment of
rent – Condonation of.		
धाराएं 3, 12(1)(क) एवं 13(6) — निष्कासन हेतु	वाद – किराए	के संदाय में
व्यतिक्रम – व्यतिक्रम के लिए क्षमा।	*151	267

JOTI JOURNAL – 2024 II

Sections 10 and 35 – Order of fixation of standard rent – Execution of. धाराएं 10 एवं 35 – मानक भाडे के निर्धारण का आदेश – निष्पादन।

1

Sections 12 (1), 13 (1) and 13 (2) – Dispute regarding rate of rent – Fixation of provisional rent – Unless the Court decides reasonable provisional rent, operation of section 13 (1) of the Act gets arrested.

धाराएं 12 (1), 13 (1) एवं 13 (2) — भाड़े की दर के संबंध में विवाद — अनंतिम भाड़े का निर्धारण — जब तक न्यायालय उचित अंतिम भाड़ा तय नहीं करता, अधिनियम की 13 (1) का क्रियान्वयन बाधित हो जाता है।2

Section 12(1) (a) and (c) – (i) Eviction – Arrears of rent – Tenancy and rate of rent was admitted by tenant/ defendant No. 1 – Trial court rightly decreed the suit for arrears of rent.

(ii) Denial of title of landlord – Relationship between plaintiff and defendant No. 3 as landlord and tenant not established – Plaintiff rightly found entitled to the decree of eviction u/s 12(1)(c).

धारा 12(1) (क) एवं (ग) — (i) निष्कासन — बकाया किराया — अभिधारी / प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा किरायेदारी और किराए की दर को स्वीकार किया गया था — विचारण न्यायालय ने बकाया किराए के आधार पर वाद को सही अज्ञापित किया है।

(ii) भू-स्वामी के स्वत्व से इंकार — वादी और प्रतिवादी क्रं. 3 के मध्य भू-स्वामी एवं अभिधारी के संबंध स्थापित नहीं — वादी को उचित ही धारा 12 (1) (ग) के तहत निष्कासन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी पाया गया।

152 267

Section 12 (1) (f) – Suit for eviction – Court can always see the suitability of such accommodation of landlord – Mere planning of use of property in a particular manner which has not materialized would also not disentitle landlord to evict a tenant on any ground available to him under the Act – Decree for eviction upheld.

धारा 12 (1)(च) — निष्कासन हेतु वाद — न्यायालय भवन स्वामी के स्थान की उपयुक्तता पर सदैव विचार कर सकता है — किसी विशेष तरीके से संपत्ति के उपयोग की योजना बनाना, जो साकार नहीं हुई, भी भवन स्वामी को अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी आधार पर किरायेदार को बेदखल करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा — निष्कासन की आज्ञाप्ति यथावत रखी गई।

101 185

III

JOTI JOURNAL – 2024

Sections 12(1)(f), 23-A(b) and 23-D(3) – Bonafide requirement – Whether a separate suit for bonafide requirement of accommodation for daughter can be filed when suit for the bonafide requirement of accommodation for son is already pending? Held, Yes.

धाराएं 12(1)(च), 23-क(ख) एवं 23-घ(3) — वास्तविक आवश्यकता — क्या पुत्री के लिए आवास की वास्तविक आवश्यकता हेतु एक पृथक वाद संस्थित किया जा सकता है जब पुत्र के लिए आवास की वास्तविक आवश्यकता के लिए वाद पूर्व से लंबित है? अभिनिर्धारित, हाँ।

102
189

ADVERSE POSSESSION:

प्रतिकूल कब्जाः

- Adverse possession Whether tenant of original owner can claim adverse possession against transferee of such owner's title? Held, No.
- प्रतिकूल कब्जा क्या मूल भू-स्वामी का किराएदार ऐसे भू-स्वामी के स्वामित्व के अंतरणकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं।
 103 192

APPRECIATION OF EVIDENCE:

साक्ष्य का मूल्यांकनः

- See sections 3 and 32 of the Evidence Act, 1872.
- देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 32 | 64 111

ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

Section 11(6) – Application seeking appointment of Arbitrator – Period of limitation – Commencement of.

धारा 11(6) — मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन — परिसीमा अवधि — प्रारम्भ होना। **153 270**

Sections 31(5) and 34(3) – Application for setting aside arbitral award – Limitation.

धाराएं 31(5) एवं 34(3) — माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करने हेतु आवेदन — परिसीमा। **251 485**

Sections 34 and 37 – (i) Jurisdiction – Scope of jurisdiction u/s 34 and 37 of the Act are not akin to normal appellate jurisdiction.

(ii) Arbitral award – Power of – Courts ought not to interfere with the arbitral award in a casual and cavalier manner and the findings of the tribunal cannot be reversed on the ground of possibility of an alternative view.

JOTI JOURNAL – 2024 IV

धाराएं 34 एवं 37 — (i) क्षेत्राधिकार — अधिनियम की धारा 34 और 37 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के सदृश नहीं है।

(ii) माध्यस्थम् पंचाट – शक्ति – न्यायालयों को माध्यस्थम पंचाट में लापरवाही पूर्वक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अधिकरण के निष्कर्ष को वैकल्पिक दृष्टिकोण की उपलब्धता के आधार पर पलटा नहीं जा सकता।

3

Section 34(3) – Petition against arbitration award u/s 34 of the Act of 1996 – Limitation – Period of limitation is 3 months and not 90 days.

धारा 34(3) — माध्यस्थम् पंचाट के विरूद्ध अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत याचिका — परिसीमा — परिसीमा अवधि 3 माह है, न कि 90 दिन।

201 373

ARMS ACT, 1959

आयुध अधिनियम, 1959

Section 27 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860 and section 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

धारा 27 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1)। **228 435**

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 भारतीय नागरिक सूरक्षा संहिता, 2023

Section 44 – See section 47 of Criminal Procedure Code, 1973, section 19 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Sections 43A, 43B and 43C of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

धारा 44 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 47, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 एवं विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धाराएं 43क, 43ख एवं 43ग। 214 402

Section 144 – See section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 144 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।

215 404

Section 144 – See section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 144 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।

268 519

JOTI JOURNAL - 2024

Sections 173 and 180 – See sections 34 and 302 of the Indian Penal Code, 1860, Sections 3(5) and 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Sections 154 and 161 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 173 एवं 180 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34 एवं 302, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 3(5) एवं 103(1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154 एवं 161। **277 539**

Sections 173, 180 and 181 – See sections 120B and 302 of the Indian Penal Code, 1860, Sections 61(2) and 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023and sections 154, 161 and 162 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 173, 180 एवं 181 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख एवं 302, भारतीय न्याय संहिता, 2023 — धाराएं 61(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 — धाराएं 154, 161 एवं 162। **280 549**

Section 175 (3) – See section 156(3) of the Criminal Procedure Code, 1973 and Sections 3(1)(r), 3(1)(s), 4 and 18A of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

धारा 175(3) — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156(3) एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 — धाराएं 3(1)(द), 3(1)(ध), 4 एवं 18क। *269 521

Sections 180 and 181 – See sections 300 and 302 of the Indian Penal Code, 1860, sections 101 and 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, sections 3, 8, 27, 106, 137, 145 and 154 of the Evidence Act, 1872, sections 2, 6, 23(2), 109, 142, 148 and 157 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 and sections 161 and 162 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 180 एवं 181 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 एवं 302, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 101 एवं 103(1), साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8, 27, 106, 137, 145 एवं 154, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2, 6, 23(2), 109, 142, 148 एवं 157 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 161 एवं 162। **227 429**

Section 216 – See section 195-A of the Criminal Procedure Code, 1973, section 195A of the Indian Penal Code, 1860 and section 232 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

धारा 216 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195-क, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 195क एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 232।

216 406

JOTI JOURNAL – 2024 VI

Sections 250 and 251 – See sections 227 and 228 of the Criminal Procedure Code, 1973 and sections 13(1)(e) and 13(2) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

धाराएं 250 एवं 251 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 227 एवं 228 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ड) एवं 13(2)।

217 409

Section 329 – See sections 302, 309 and 449 of the Indian Penal Code, 1860, Sections 103(1) and 332(a) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Sections 3, 8 and 106 of the Evidence Act, 1872, Sections 2, 6 and 109 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, Section 293 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 329 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302, 309 एवं 449, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 103(1) एवं 332 (क), साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 एवं 106, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2, 6 एवं 109 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 | **230 438**

Sections 335 – See sections 300 and 302 of the Indian Penal Code, 1860, section 101 and 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and section 299 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 335 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 एवं 302, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 101 एवं 103(1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 299। **226 427**

Section 348 – See section 311 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 94 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. धारा 348 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94।

218 410

Section 351 – See section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973, sections 300 and 302 of the Indian Penal Code, 1860 and sections 101 and 103(1) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023.

धारा 351 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 एवं 302 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 101 एवं 103(1)। **270 523**

Section 358 – See section 319 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 358 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319।

*219 413

Section 358 – See section 319 of the Criminal procedure Code, 1973 and Sections 13 and 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

धारा 358 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 13 एवं 19। **271 528**

Section 427 – See section 307 of the Indian Penal Code, 1860, section 109 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and section 386 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 427 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386।

286 564

Section 482 – See section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973 and Interpretation of Statutes.

धारा 482 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 एवं संविधियों का निर्वचन। **272 531**

Section 483 – See section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973, Article 21 of the Constitution of India and Sections 8, 22, 23, 29 and 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

धारा 483 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439, भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 एवं स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 8, 22, 23, 29 एवं 37।

273

532

BHARTIYA NYAYA SANHITA, 2023

भारतीय न्याय संहिता. 2023

Sections 3(5) and 103(1) – See sections 34 and 302 of the Indian Penal Code, 1860, sections 154 and 161 of the Criminal Procedure Code, 1973 and sections 173 and 180 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धाराएं 3(5) एवं 103(1) — देखें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएं 34 एवं 302, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154 एवं 161 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएं 173 एवं 180। **277 539**

VIII

Sections 38, 101, 103(1) and 109 – See sections 100, 300, 302 and 307 of the Indian Penal Code, 1860, Sections 3 and 8 of the Evidence Act, 1872 and Sections 2 and 6 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

धाराएं 38, 101, 103(1) एवं 109 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 100, 300, 302 एवं 307, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 8 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2 एवं 6 | **278 543**

Sections 45 and 108 – See sections 107 and 306 of the Indian Penal Code, 1860. **धाराएं 45 एवं 108** – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 107 एवं 306। **279 547**

Sections 61(2) and 103(1) – See sections 120B and 302 of the Indian Penal Code, 1860, sections 154, 161 and 162 of the Criminal Procedure Code, 1973 and sections 173, 180 and 181 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धाराएं 61(2) एवं 103(1) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख एवं 302, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154, 161 एवं 162 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएं 173, 180 एवं 181।

280 549

Section 64 – See section 376 of the Indian Penal Code, 1860, sections 3 and 114A of the Evidence Act, 1872 and sections 2 and 120 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

धारा 64 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 114क एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2 एवं 120। *231 444

Sections 70(1), 64 and 351(2) & (3) – See sections 376D, 376(2)(g) and 506 of the Indian Penal Code, 1860, section 3 of the Evidence Act, 1872 and section 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

धाराएं 70(1), 64 एवं 351(2) और (3) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376घ, 376(2)(छ) एवं 506, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2। **232 445**

Section 74 r/w/s **3(5)** – See sections 7 and 8 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and section 354 r/w/s 34 of the Indian Penal Code, 1860.

JOTI JOURNAL – 2024 IX

धारा 74 सहपिंत धारा 3(5) — देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 7 एवं 8 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354 सहपिंत धारा 34। **297 588**

Sections 82(1) r/w/s 82(2) – See section 494 r/w/s 495 of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 82(1) सहपठित धारा 82(2) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 494 सहपठित धारा 495। **234 448**

Section 85 – See section 498A of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498क।

235 450

Sections 101 and 103(1) – See sections 300 and 302 of the Indian Penal Code, 1860, section 335 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and section 299 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 101 एवं 103(1) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 एवं 302, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 333 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 299। **226 427**

Sections 101 and 103(1) – See sections 300 and 302 of the Indian Penal Code, 1860, sections 3, 8, 27, 106, 137, 145 and 154 of the Evidence Act, 1872, sections 2, 6, 23(2), 109, 142, 148 and 157 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 and sections 161 and 162 of the Criminal Procedure Code, 1973 and sections 180 and 181 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धाराएं 101 एवं 103(1) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 एवं 302, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8, 27, 106, 137, 145 एवं 154, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2, 6, 23(2), 109, 142, 148 एवं 157 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 161 एवं 162 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएं 180 एवं 181। **227 429**

Sections 101 and 103(i) – See section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973, sections 351 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and sections 300 and 302 of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 101 एवं 103(i) — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 — धाराएं 300 एवं 302। **270 523**

JOTI JOURNAL – 2024 X

Section 103/190 – See sections 302/149 of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 103 / 190 - देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 / 149।

284

Sections 103(1) and 332(a) – See sections 302, 309 and 449 of the Indian Penal Code, 1860, sections 3, 8 and 106 of the Evidence Act, 1872, sections 2, 6 and 109 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, section 293 of the Criminal Procedure Code, 1973 and Section 329 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धाराएं 103(1) एवं 332(क) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302, 309 एवं ४४९, साक्ष्य अधिनियम, १८७२ की धाराएं ३, ८ एवं १०६,भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2, 6 एवं 109, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 329।

> 230 438

Section 103(1) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860 and section 27 of the Arms Act, 1959.

धारा 103(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 एवं आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27। 228 435

Section 103(1) – See section 7A of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, Section 302 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

धारा 103(1) — देखें किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा ७क, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० की धारा ३०२ एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1)। 236 452

Section 103(1) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 103(1) – देखें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302।

281 552

Section 103(1) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860, Sections 3, 24 and 114(g) of the Evidence Act, 1872 and Sections 2, 22 and 119 (g) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

धारा 103(1) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 14 एवं 114(छ) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2, 22 एवं 119(छ)। 282 555

ΧI JOTI JOURNAL - 2024

Section 103(1) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 103(1) – देखें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302।

283

558

Sections 108 and 85 – See sections 306 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860, section 113A of the Evidence Act 1872 and section 117 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. 2023.

धाराएं 108 एवं 85 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 306 एवं 498—क, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113क एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 117। **285 562**

Section 109 – See section 307 of the Indian Penal Code, 1860, section 386 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 427 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धारा 109 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 427।

286 564

Sections 137 (2) and 87 – See sections 363 and 366 of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 137 (2) एवं 87 — भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 363 एवं 366।

287 567

Section 232 – See section 195-A of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 232 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195-क।

216 406

Sections 238, 103(1), 137(2), 140(1), 87 and 64 – See sections 201, 302, 363, 364, 366 and 376 (2) (f) of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 238, 103(1), 137(2), 140(1), 87 एवं 64 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201, 302, 363, 364, 366 एवं 376 (2)(च)।

229 436

Sections 309(6) and 311 – See sections 394 and 397 of the Indian Penal Code, 1860, sections 3 and 27 of the Evidence Act, 1872 and sections 2 and 23(2) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

JOTI JOURNAL – 2024

धाराएं 309(6) एवं 311 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 394 एवं 397, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 27 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2 एवं 23(2)। **233 446**

BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

Section 2 – See sections 376D, 376(2)(g) and 506 of the Indian Penal Code, 1860, Sections 70(1), 64 and 351(2) & (3) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Section 3 of the Evidence Act, 1872.

धारा 2 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376घ, 376(2)(छ) एवं 506, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 70(1), 64 एवं 351(2) और (3) एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।

232

445

Sections 2 and 6 – See sections 100, 300, 302 and 307 of the Indian Penal Code, 1860, Sections 38, 101, 103(1) and 109 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, 1872 and Sections 3 and 8 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 2 एवं 6 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 100, 300, 302 एवं 307, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 38, 101, 103(1) एवं 109 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2 एवं 6। **278 543**

Sections 2, 6, 23(2), 109, 142, 148 and 157 – See sections 300 and 302 of the Indian Penal Code, 1860, sections 101 and 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, sections 3, 8, 27, 106, 137, 145 and 154 of the Evidence Act, 1872 and sections 161 and 162 of the Criminal Procedure Code, 1973 and sections 180 and 181 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धाराएं 2, 6, 23(2),109, 142, 148 एवं 157 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 एवं 302, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 101 एवं 103(1), साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8, 27, 106, 137, 145 एवं 154, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 161 एवं 162 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएं 180 एवं 181। **227 429**

Sections 2 and 23(2) – See sections 394 and 397 of the Indian Penal Code, 1860, sections 309(6) and 311 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and sections 3 and 27 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 2 एवं 23(2) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 394 एवं 397, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 309(6) एवं 311 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 27। **233 446**

Sections 2, 6 and 109 – See sections 302, 309 and 449 of the Indian Penal Code, 1860, sections 103(1) and 332(a) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, sections 3, 8 and 106 of the Evidence Act, 1872, section 329 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 295 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धाराएं 2, 6 एवं 109 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302, 309 एवं 449, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 103(1) एवं 332 (क), साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 एवं 106, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 329 | 230 438

Sections 2, 22 and 119(g) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860, section 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Sections 3, 24 and 114(g) of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 2, 22 एवं 119(छ) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 14 एवं 114**(**छ)। **282 555**

Sections 2 and 120 – See section 376 of the Indian Penal Code, 1860, section 64 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and sections 3 and 114A of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 2 एवं 120 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 114क। *231 444

Sections 2 and 140 – See sections 7 and 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and sections 3 and 135 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 2 एवं 140 — देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 7 एंव 13 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 135 | ***296 586**

Section 2(1)(e) – See section 7 of the Family Courts Act, 1984 and section 3 of the Evidence Act, 1872.

धारा 2(1)(ङ) — देखें कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की 3। **222 417**

Section 7 – See section 9 of the Evidence Act, 1872.

धारा 7 — देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9। **274 535**

Section 109 – See section 173 of the Motor Vehicles Act, 1988 and section 106 of the Evidence Act, 1872.

JOTI JOURNAL – 2024 XIV

Act/ Topic

Note No. Page No.

धारा 109 — देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106। **240 461**

Section 116 – See section 112 of the Evidence Act, 1872.

धारा 116 — देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 | **275 536**

Section 117 – See sections 306 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860, sections 108 and 85 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and section 113A of the Evidence Act, 1872.

धारा 117 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 306 एवं 498—क, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 108 एवं 85 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113क।

285 562

Sections 140 and 143 – See sections 135 and 138 of the Evidence Act, 1872. **धाराएं 140 एवं 143** – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 135 एवं 138।

*221 416

CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES, 1989 केन्द्रीय मोटरयान नियम. 1989

Rule 9 – Driving licence – Driver was not holding a valid driving licence as per the requirements of Rule 9 of the Central Rules, 1989.

नियम 9 — चालन अनुज्ञप्ति — चालक केंद्रीय नियम, 1989 के नियम 9 की आवश्यकता अनुसार वैध चालन अनुज्ञप्ति धारित नहीं करता था।

238(i) 458

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

Sections 2(2), 2(9) and 47, Order 8 Rule 10 and Order 20 Rule 4(2) – (i) Written statement – Failure to file – Scope of power of Court under Order 8 Rule 10.

(ii) Judgment passed under Order 8 Rule 10 – Executability of decree drawn on the basis of such judgment.

धाराएं 2(2), 2(9) एवं 47, आदेश 8 नियम 10 एवं आदेश 20 नियम 4(2) -

- (i) लिखित कथन प्रस्तुत करने में विफलता आदेश 8 नियम 10 के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति का विस्तार।
- (ii) आदेश 8 नियम 10 के अंतर्गत पारित निर्णय ऐसे निर्णय के आधार पर निर्मित डिक्री की निष्पादन योग्यता। **202 375**

XV

Section 2(11) – See sections 166 and 173 of the Motor Vehicles Act, 1988. **धारा 2(11)** – देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराएं 166 एवं 173।

.89 349

Section 9 – Civil suit – Whether civil suit for declaration and injunction on the basis of adverse possession can be filed without availing the remedy of appeal against the order of Tehsildar passed u/s 248(c) of MPLRC? Held, Yes.

धारा 9 — व्यवहार वाद — क्या भू—राजस्व संहिता की धारा 248 (सी) के अंतर्गत पारित तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील के उपचार का लाभ उठाए बिना प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए व्यवहार वाद दायर किया जा सकता है? अभिनिर्धारित, हाँ।

252
486

Section 10 – (i) Stay of suit – Applicability – Whether applies to proceedings of other nature instituted under another statute? Held, No.

(ii) Suit for title and application for probate – Scope of proceeding –Whether simultaneous pendency of these two will attract section 10 CPC? Held, No.

धारा 10 — (i) वाद का रोक दिया जाना — प्रयोज्यता — क्या यह किसी अन्य संविधियों के तहत संस्थित अन्य प्रकृति की कार्यवाहियों पर लागू होता है? अवधारित, नहीं।

(ii) प्रोबेट के लिए आवेदन और स्वत्व के लिए वाद — कार्यवाही का विस्तार क्षेत्र — क्या इन दोनों की एक साथ विचाराधीन होना धारा 10 सी.पी.सी. को आकर्शित करेगी? अवधारित, नहीं। 51 89

Sections 10 and 151 – Stay of suit – Co-defendants cannot file the counterclaim against each other, therefore, the *inter se* dispute between them was not a subject, matter of the earlier suit – It can be decided only in a separate suit.

धाराएं 10 एवं 151 — वाद का रोक दिया जाना — सह—प्रतिवादी एक—दूसरे के विरूद्ध प्रति—दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इसलिए, उनके बीच के अंतिववाद पूर्व के वाद की विषय वस्तु नहीं थी — सी.पी.सी. की धारा 10 ऐसे मामले में लागू नहीं होगी और वाद पोषणीय है तथा वाद रोके जाने योग्य नहीं हैं।

253 488

Section 11 – Res judicata – Doctrine of merger – Effect

धारा 11 — पूर्व न्याय — विलयन का सिद्धांत — प्रभाव । 104 193

Section 11 – $Res\ judicata$ – When in earlier suit, rights of co-defendants in respect of suit land were neither in issue nor adjudicated, even principle of $res\ judicate$ will not be applicable.

JOTI JOURNAL – 2024 XVI

धारा 11 — पूर्व न्याय — पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा जब पूर्व वाद में वादग्रस्त भूमि के संबंध में न तो सहप्रतिवादीगण के अधिकार विवादित थे न ही उनका विनिश्चय हुआ।

254

490

Sections 11 and 100 – (i) Appeal – Not maintainable when the decree is not against the appellant.

(ii) Res judicata – Adverse finding – If the finding recorded against the party cannot be challenged by him then it cannot be said that such finding has been finally decided against him – Therefore, would not operate as res judicata.

धाराएं 11 एवं 100 — (i) अपील — अपीलार्थी के विरूद्ध डिक्री न होने से अपील पोषणीय नहीं।

(ii) पूर्वन्याय — प्रतिकूल निष्कर्ष — यदि अभिलिखित निष्कर्ष को पक्षकार चुनौती नहीं दे सकता तब ऐसे निष्कर्ष को उसके विरुद्ध अंतिम रूप से निराकृत होना नहीं कहा जा सकता — इसलिये पूर्वन्याय की तरह लागू नहीं होगा।

4 8

Section 11 and Order 14 Rules 1 and 2 – (i) *Res judicata* – Framing of issues – Without affording any opportunity to the parties to adduce evidence, the court decided the same as preliminary issue and dismissed the suit holding it to be barred by principle of *res judicata* – Whether course adopted by the court was proper? Held, No.

(ii) Preliminary issue – With respect to *res judicata* – It is a mixed question of law and fact – Should be decided after recording evidence adduced by the parties.

धारा 11 एवं आदेश 14 नियम 1 एवं 2 — (i) पूर्व न्याय — विवाद्यकों की विरचना — पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना, विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक वाद प्रश्न के रूप में उक्त वाद प्रश्न को निराकृत करते हुये वाद इस आधार पर निरस्त किया कि वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर वर्जित है — क्या न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित थीं? अवधारित, नहीं।

(ii) प्रारंभिक वाद प्रश्न — पूर्व-न्याय के विषय में — यह तथ्य एवं विधि का मिश्रित वाद प्रश्न है — इसे पक्षकारों की साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात निराकृत किया जाना चाहिए। 154 273

Section 20 and Order 1 Rules 3 & 7 - (i) Civil Suit – Where transactions were intertwined and cannot be compartmentalized – Plea of not having territorial jurisdiction, was set aside.

(ii) Issue of territorial jurisdiction – Preliminary issue – Question of territorial jurisdiction should not be deferred.

धारा 20 एवं आदेश 1 नियम 3 एवं 7 — (i) सिविल वाद — संव्यवहार परस्पर अंतर्मिश्रित है एवं उन्हे पृथक नहीं किया जा सकता — प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न होने के अभिवाक् को अपास्त किया गया।

(ii) प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का वाद विषय — प्रारंभिक वाद विषय — प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के प्रश्न को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।255 491

Section 20 and Order 7 Rule 10 – Return of plaint on ground of territorial jurisdiction – E-mails and phone calls received at Mhow, do not create any cause of action regarding negotiations.

धारा 20 एवं आदेश 7 नियम 10 — प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के आधार पर वाद पत्र का लौटाया जाना — महू में प्राप्त ई—मेल और फोन कॉल, वार्ता के संबंध में वाद करण उत्पन्न नहीं करते।

256
493

Section 24(5) – (i) Transfer of case – Allegation of bias against Presiding Officer of Court – If the allegations are apparently false, strict approach is the call of the day to maintain discipline in the Court.

(ii) Transfer of case – Mere apprehension of a party that he will not get justice would not be sufficient to justify transfer.

धारा 24(5) — (i) वाद का अंतरण — न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध पक्षपात का आरोप — यदि आरोप प्रत्यक्ष रूप से मिथ्या हैं तो न्यायालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु सख्त रवैया अपनाया जाना समय की पुकार है।

(ii) वाद का अंतरण — किसी पक्ष की मात्र यह आशंका कि उसे न्याय प्राप्त नहीं होगा, अंतरण को उचित ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं होगा। 203 378

Section 47 – Execution – In a suit for partition of agricultural land, after declaring shares of parties, Court becomes *functus officio*.

धारा 47 — निष्पादन — कृषि भूमि के विभाजन हेतु वाद में पक्षकारों के हिस्सों की घोषणा करने के पश्चात, न्यायालय पदकार्य निवृत्त हो जाता है।

204 381

Section 51 and Order 21 Rules 37 & 40 – Execution of money decree – Arrest and detention of judgment-debtor – Before sending judgment-debtor to civil prison, proviso to section 51 has to be complied with and Executing Court has to record its satisfaction for sending judgment-debtor to civil prison.

धारा 51 एवं आदेश 21 नियम 37 एवं 40 — धन की डिक्री का निष्पादन — निर्णीतऋणी को सिविल कारागार भेजे जाने के पूर्व धारा 51 के परन्तुक का

XVIII

पालन करना होगा एवं निष्पादन न्यायालय को, निर्णीतऋणी को सिविल कारागार भेजने के लिए अपनी संतुष्टि अभिलिखित करनी होगी। 257

Section 51 and Order 21 Rules 37 & 40 - (i) Execution of money decree by detention of judgment-debtor in civil prison – When can be ordered?

(ii) Money decree – Execution by detention of judgment-debtor in civil prison
– Judgment-debtor has no property or source to pay decreetal amount –
Cannot be sent to civil prison due to poverty, as poverty is not an offence.

धारा 51 एवं आदेश 21 नियम 37 व 40 — (i) धन की डिक्री का निष्पादन — निर्णीतऋणी को सिविल कारागार में निरोध द्वारा — कब आदेशित किया जा सकता है?

(i) धन की डिक्री — निर्णीतऋणी के सिविल कारागार में निरोध द्वारा निष्पादन — निर्णीतऋणी के पास कोई सम्पत्ति नहीं या डिक्री धन के भुगतान हेतु कोई स्त्रोत नहीं — उसे निर्धनता के कारण सिविल कारागार नहीं भेजा जा सकता क्योंकि निर्धनता एक अपराध नहीं है।

258
496

Sections 80, 80(2), Order 6 Rule 2 (3) and Order 7 Rule 11 – Rejection of plaint – Grounds which cannot be considered for rejection of plaint – Enunciated.

धाराएं 80, 80(2), आदेश 6 नियम 2 (3) एवं आदेश 7 नियम 11 — वाद पत्र का नामंजूर किया जाना — आधार जिन्हें वाद पत्र के नामंजूर करने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता — प्रतिपादित। 205 382

Section 96, Order 3 Rules 2 and 4, Order 20 Rule 12 and Order 23 Rule 3 – See section 6 of the Hindu Succession Act, 1956.

धारा 96, आदेश 3 नियम 2 एवं 4, आदेश 20 नियम 12 एवं आदेश 23 नियम 3 — देखें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 6 ।

69 121

Section 108, Order 39 Rules 1 & 2, Order 41 and Order 43 Rule 1 -

- (i) Application for issuance of temporary injunction By defendant Maintainability.
- (ii) Applications for issuance of temporary injunction filed by both plaintiff and defendant Both applications ought to be heard and decided analogously to avoid anomalous situation.
- (iii) Whether Appellate Court while exercising powers under Order 43 of CPC, could remand the matter? Held, Yes.

XIX

धारा 108, आदेश 39 नियम 1 एवं 2, आदेश 41 एवं आदेश 43 नियम 1 —

- (i) अस्थाई व्यादेश जारी करने हेत् आवेदन प्रतिवादी द्वारा पोषणीयता।
- (ii) वादी एवं प्रतिवादी दोनों के द्वारा अस्थाई व्यादेश जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत असंगत स्थिति से बचने के लिए दोनों आवेदन पत्रों को सदृश रूप से सुना एवं निराकृत किया जाना चाहिए।
- (iii) क्या अपीलीय न्यायालय संहिता के आदेश 43 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मामले का प्रतिप्रेषण कर सकता है? अभिनिर्धारित, हाँ।

206 385

Section 141, Order 7 Rule 11 and Order 20 Rule 12 – *Mesne profits* – Where no limitation is prescribed, it would be inappropriate for a Court to provide a limitation

धारा 141, आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 20 नियम 12 — मध्यवर्ती लाभ — जहां कोई परिसीमा प्रावधानित नहीं है वहां न्यायालय के लिए परिसीमा प्रावधानित करना अनुचित है। **259 498**

Section 151 – Insufficiently stamped instrument – Admitted in evidence and marked as exhibit – Whether such order/proceeding can be recalled? Held, Yes.

धारा 151 — अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखत — साक्ष्य में स्वीकार किया गया और प्रदर्श चिन्हित किया गया — क्या इस तरह के आदेश / कार्यवाही को वापस लिया जा सकता है? अभिनिर्धारित, हाँ। 260 500

Section 151 and Order 14 Rules 3 & 5 – Proceeding u/s 26 of the Public Trusts Act – Framing of issues – Mandatory provisions as applicable to the trial of a regular civil suit cannot be applied to proceedings u/s 26 mechanically.

धारा 151 एवं आदेश 14 नियम 3 व 5 — अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत कार्यवाही — नियमित व्यवहार वाद में लागू होने वाले अनिवार्य प्रावधानों को धारा 26 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही पर यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

Order 1 Rule 1 and Order 7 Rule 11 – Rejection of plaint – Whether in an application under Order 7 Rule 11, whether Civil Court can hold non-joinder of a party to be fatal to the suit or direct for impleadment of any party as a necessary/proper party to the suit? Held, No.

JOTI JOURNAL – 2024 XX

आदेश 1 नियम 1 एवं आदेश 7 नियम 11 — वाद नामंजूर किया जाना — क्या आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में सिविल न्यायालय पक्षकार के असंयोजन को वाद के लिये घातक ठहरा सकता है या वाद में किसी पक्षकार को आवश्यक / उचित पक्षकार के रूप में जोड़ने का निर्देश दे सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं। 155(i) 276

Order 3 Rules 1 and 2 – Suit for specific performance – Competence of power of attorney holder to depose – He cannot depose for principal in respect of the matter of which only the principal can have personal knowledge and in respect of which the principal is entitled to be cross-examined.

आदेश 3 नियम 1 एवं 2 — विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद — मुख्तारनामा धारक की साक्ष्य देने हेतु सक्षमता — मुख्तारनामा धारक उन तथ्यों के संबंध में मालिक की ओर से गवाही नहीं दे सकता है जिन तथ्यों की केवल मालिक को व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है एवं जिनके संबंध में मालिक से प्रतिपरीक्षण का अधिकार है।

*207(i) 387

Order 5 Rule 17 – See section 129(5) of the Land Revenue Code, 1959. **आदेश 5 नियम 17** – देखें भू—राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धारा 129(5)। **288 570**

Order 6 Rule 17 – (i) Amendment of plaint – Factors to be considered.

- (ii) Due diligence Mere pleading of 'oversight' for not seeking the relief earlier is not sufficient.
- (iii) Compromise or consent decree Mode and manner permissible to challenge.

आदेश 6 नियम 17 - (i) वादपत्र का संशोधन - विचार योग्य कारक।

- (ii) सम्यक तत्परता पूर्व में अनुतोष की मांग न करने के लिए केवल 'नजरचक' का अभिवचन पर्याप्त नहीं है।
- (iii) राजीनामा या सहमति डिक्री आक्षेपित करने का अनुमत तरीका एवं माध्यम। **105 194**

Order 6 Rule 17 – (i) Amendment – Seeking new relief in plaint, when does not amount to change in nature of suit?

- (ii) Amendment Commencement of trial Whether proviso appended to Order 6 Rule 17 of CPC is conclusive, mandatory and putting bar against allowing application after commencement of trial? Held, No.
- आदेश 6 नियम 17 (i) संशोधन वादपत्र में नवीन अनुतोष की मांग करना कब वाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं माना जाएगा?

XXI

(ii) संशोधन — विचारण का प्रारंभ होना — क्या संहिता के आदेश 6 नियम 17 का परन्तुक निश्चायक, आज्ञापक एवं विचारण प्रारंभ होने के उपरान्त आवेदन स्वीकार करने के विरूद्ध रोक लगाता है? अभिनिर्धारित, नहीं। 208 388

Order 6 Rule 17 and Order 7 Rule 11 – Application for amendment in the plaint *vis-a-vis* for rejection of plaint – Provisions of amendment are not restricted or controlled by the provisions of Order 7 Rule 11.

आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 7 नियम 11 — वाद को नामंजूर करने संबंधी आवेदन के संदर्भ में वाद में संशोधन करने संबंधी आवेदन — संशोधन के प्रावधान आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं हैं।

5

Order 6 Rule 17 and Order 41 Rule 23-A - (i) Remand - Scope of - Until and unless re-trial is found necessary, the case cannot be remanded back.

(ii) Proviso of section 22 (2) – Applicability – Suit is for declaration of title and not for specific performance of contract – The proviso is applicable in cases of specific performance of contract – Applying it on a title suit, held illegal.

आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 41 नियम 23-क — (i) रिमांड — विस्तार — जब तक कि पुनः विचारण आवश्यक नहीं पाया जाता है, प्रकरण को रिमांड नहीं किया जा सकता।

(ii) धारा 22(2) का प्ररंतुक — प्रयोज्यता — वाद स्वामित्व की घोषणा के लिए न कि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए — यह प्रावधान संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वादों पर लागू होता है — इसे स्वत्व के वाद पर लागू करना, अवैध माना गया। 52 90

Order 6 Rule 17 and Order 41 Rule 27 – Amendment of plaint when suit is remanded – Amendment would not change nature of suit – Application should be allowed.

आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 41 नियम 27 — वाद प्रतिप्रेषित किए जाने पर वाद पत्र में संशोधन — वांछित संशोधन उन अतिरिक्त प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों के संबंध में था — अभिनिर्धारित, संशोधन से वाद के स्वरूप में परिवर्तन नहीं — आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए। 262 505

Order 7 Rule 11 – Jurisdiction of Civil Court – Bar created by section 34 of the Act – Scope.

आदेश 7 नियम 11 — सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार — अधिनियम की धारा 34 द्वारा निर्मित वर्जन — विस्तार। **108 199**

XXII

Order 7 Rule 11 – Preliminary issue – Consideration of an issue as a preliminary issue is permissible in limited cases.

आदेश 7 नियम 11 — प्रारंभिक वादप्रश्न — किसी वादप्रश्न को प्रारंभिक वादप्रश्न के रूप में विचार करना सीमित मामलों में अनुमत है। *106 197

Order 7 Rule 11 – Rejection of plaint – Multiple reliefs are being claimed by the plaintiff therefore, suit is required to be valued as per section 7(v), (vi) of the Court Fees Act.

आदेश 7 नियम 11 — वादपत्र का नामंजूर किया जाना — वादी द्वारा अनेक अनुतोषों का दावा किया जा रहा है, इसीलिये वाद का मूल्यांकन न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा7(v)एवं 7 (vi) के अनुसार करना आवश्यक है। 107 197

Order 7 Rule 11 – (i) Rejection of plaint under Order 7 Rule 11 CPC – Scope – Grounds as contained in Rule 11 are not exhaustive and are merely illustrative – Plaint can be rejected on other grounds also, if suit is not maintainable.

- (ii) Rejection of plaint Plaint found to be manifestly vexatious and not disclosing a clear right to sue Held, suit is barred by law.
- (iii) Limitation for filing suit Successive violations will not give rise to fresh cause of action.
- आदेश 7 नियम 11 (i) वादपत्र का आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंतर्गत नामंजूर किया जाना विस्तार नियम 11 में दिए गए आधार परिपूर्ण नहीं है वह केवल दृष्टांत दर्शक है यदि वाद पोषणीय नहीं है तो अन्य आधार पर भी वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है।
- (ii) वादपत्र नामंजूर करना वाद स्पष्टतः त्रासदायक एवं वादकारण रहित होना पाया गया — अभिनिर्धारित, वाद विधि द्वारा वर्जित।
- (iii) वाद प्रस्तुत करने की परिसीमा अधिकार के उत्तरोत्तर उल्लंघन से नया वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होगा। 263 506

Order 7 Rule 11 – See section 7(iv)(c), Schedule II, Article 17(iii) of the Court Fees Act, 1870.

आदेश 7 नियम 11 — देखें न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 7(iv)(ग), अनुसूची II एवं अनुच्छेद 17(iii)। **267 516**

Order 7 Rule 11 – Suit for permanent injunction – No averments in the plaint showing that conditions which are necessary u/s 53-A of Transfer of Property Act for defending or protecting possession are fulfilled.

आदेश 7 नियम 11 — स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद — वाद पत्र में यह दर्शित करने हेतु कोई अभिवचन नहीं कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 53क के अंतर्गत आधिपत्य के बचाव अथवा उसके संरक्षण के लिए आवश्यक शर्ते पूरी होती है। 264 508

Order 7 Rule 11 (d) – Subsequent event – Held, if due to subsequent event, the original proceedings become infructuous, such event should be taken into consideration by the court – Suit was dismissed for want of jurisdiction.

आदेश 7 नियम 11 (घ) — पश्चात्वर्ती घटना — अभिनिर्धारित, यदि पश्चात्वर्ती घटना के कारण मूल कार्यवाही निरर्थक हो जाती है तो न्यायालय को ऐसी घटना को विचार में लेना चाहिए — वाद को क्षेत्राधिकार न होने से निरस्त किया गया।

7 (ii) 12

Order 7 Rule 11 and Order 21 Rule 97 – Execution of decree – Third party claiming himself to be in possession of disputed property – Suit for protection of possession by the same third party – Plaintiff had opportunity of raising objection in execution proceedings under Order 21 Rule 97 – Suit rightly rejected under Order 7 Rule 11.

आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 21 नियम 97 — डिक्री का निष्पादन — तृतीय पक्ष द्वारा विवादित संपत्ति पर स्वयं के आधिपत्य का दावा — उसी तृतीय पक्ष द्वारा आधिपत्य के संरक्षण हेतु वाद — वादी को डिक्री और निष्पादन कार्यवाही के विषय में जानकारी थी — वादी को निष्पादन कार्यवाही में आदेश 21 नियम 97 के अंतर्गत आपत्ति उठाने का अवसर था — आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वाद उचित नामंजूर किया गया।

6 10

Order 7 Rule 14 (4), Order 8 Rule 1-A (4) (a), Order 13 Rule 1 (3), Order 14 Rule 21, Order 16 Rules 14& 21 and Order 18 Rule 3-A — See sections 120, 135 to 139, 154 and 155 of the Evidence Act, 1872.

आदेश 7 नियम 14 (4), आदेश 8 नियम 1-क (4) (क), आदेश 13 नियम 1 (3), आदेश 14 नियम 21, आदेश 16 नियम 14 और 21 एवं आदेश 18 नियम 3-क – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धाराएं 120, 135 से 139, 154 एवं 155।

67 117

Order 8 Rule 1 – See section 15(4) of the Commercial Courts Act, 2015. **आदेश 8 नियम 1** – देखें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 15(4)।

162 290

Order 8 Rules 3 and 5 – Written statement – Requirement of para-wise reply to the plaint and specific admission or denial of pleadings.

आदेश 8 नियम 3 एवं 5 — लिखित कथन — वादपत्र का कंडिकावार जवाब देने तथा अभिवचनों की विनिर्दिष्ट स्वीकारोक्ति अथवा प्रत्याख्यान करने की अपेक्षा करना। 156 281

XXIV

Order 8 Rule 6-A – Counter-claim – Defendant cannot be permitted to file the counter-claim after framing of issue and after substantial progress of the suit.

आदेश 8 नियम 6-क — प्रतिदावा — प्रतिवादी को वादप्रश्न विरचित हो जाने और वाद की कार्यवाही सारभूत रूप से काफी आगे बढ़ जाने के पश्चात् प्रतिदावा दायर करने की अनुमित नहीं दी जा सकती। 157 283

Order 8 Rule 6-A and Order 22 Rule 3 – Counter-claim – Substitution of legal representatives – Legal representatives of plaintiff are already substituted in the plaint – No need to substitute them again in the counter-claim – Parties to the suit are treated as parties to the counter-claim also.

आदेश 8 नियम 6-क एवं आदेश 22 नियम 3 —प्रतिदावा — विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन — वादी के विधिक प्रतिनिधि पूर्व से ही वाद में प्रतिस्थापित — उन्हें प्रतिदावे में पुनः प्रतिस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है — वाद के पक्षकार प्रतिदावे के लिए भी पक्षकार माने जाएंगे। 158 284

Order 9 Rule 13 and Order 17 Rule 2 – Application to set aside *ex parte* decree – Maintainbility.

आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 17 नियम 2 — एक पक्षीय आज्ञप्ति को अपास्त करने हेतु आवेदन — पोषणीयता। 8 (i) 13

Order 11 Rule 1 – Interrogatories – But questions in the nature of cross-examination must not be allowed.

आदेश 11 नियम 1 — परिप्रश्न — परंतु ऐसे प्रश्न जो कि प्रतिपरीक्षण की प्रकृति के हैं, की अनुमित नहीं देनी चाहिए। *9 15

Order 14 Rules 1 & 5 and Order 26 Rule 9 – Appointment of Commissioner – Where dispute is in respect of encroachment/demarcation/boundary, Court must appoint Commissioner for obtaining Commission Report – Such an order can be made even without any application being preferred by the parties.

आदेश 14 नियम 1 एवं 5 एवं आदेश 26 नियम 9 — आयुक्त की नियुक्ति — जहां विवाद अतिक्रमण / सीमांकन / सीमा विवाद इत्यादि से संबंधित है, वहां न्यायालय को आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु आयुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए — यहां तक कि ऐसा आदेश पक्षकारों द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत न करने पर भी दिया जा सकता है। 209 (i) 390

Order 16 Rule 1 and Order 41 Rule 23-A – Power of remand – Cannot be exercised to allow a party to fill up the lacuna of the case.

JOTI JOURNAL – 2024 XXV

आदेश 16 नियम 1 एवं आदेश 41 नियम 23—क — रिमांड की शक्ति—किसी पक्ष द्वारा प्रकरण की कमी को पूरा करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।

Order 19 Rules 1 & 2 and Order 39 Rules 1 & 2 – Suit for declaration and injunction – Provisions as contained in Order 19 Rules 1 & 2 and Order 39 Rules 1 & 2 also suggests that deponent (of Affidavit) can be called for cross-examination to prove particular fact.

आदेश 19 नियम 1 व 2 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 — घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए वाद — आदेश 19 नियम 1 और 2 एवं आदेश 39 नियम 1 और 2 में निहित प्रावधान यह सुझाव देते है कि साक्षी (शपथकर्ता) को विशेष तथ्य साबित करने के लिए, प्रतिपरीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है। 265 510

Order 21 Rule 29 and Order 41 Rule 5 – Execution proceeding – Stay of. आदेश 21 नियम 29 एवं आदेश 41 नियम 5 – निष्पादन कार्यवाही – स्थगन । *11 19

Order 21 Rule 90 – Execution proceedings – Setting aside of sale on the ground of irregularity or fraud.

आदेश 21 नियम 90 — निष्पादन कार्यवाहियां — विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त करना। 109 200

Order 21 Rule 54(1) and 66 - (i) Execution of decree – Whenever attached property is to be sold in public auction, the value thereof is required to be estimated and the sale proclamation should mention such value.

- (ii) Execution of a decree Court's power to auction any property or part thereof is not a discretion but an obligation Sale not in confirmity with this requirement would be illegal and without jurisdiction.
- आदेश 21 नियम 54(1) एवं 66 (i) आज्ञप्ति का निष्पादन जब भी कुर्क संपत्ति सार्वजनिक नीलामी में विक्रय की जानी हो तब उसके मूल्य का प्राक्कलन करना अपेक्षित है और विक्रय की उद्घोषणा में मूल्य का उल्लेख होना चाहिए।
- (ii) आज्ञप्ति का निष्पादन संपत्ति या उसके अंश की नीलामी करने का न्यायालय का अधिकार मात्र एक वैवेकीय अधिकार नहीं है बल्कि न्यायालय पर एक बाध्यता है विक्रय जो उक्त अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, वह अवैध एवं अधिकारातीत के होगा। 210 393

Order 22 Rules 3 and 9 – Dismissal of appeal as abated – Appellate Court ought to have afforded opportunity to applicants to file application under Order 22 Rule 9 – Matter remanded.

JOTI JOURNAL – 2024 XXVI

आदेश 22 नियम 3 एवं 9 — उपशमन हो जाने के आधार पर अपील निरस्त — अपीलीय न्यायालय को आदेश 22 नियम 9 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर आवेदकगण को देना चाहिए था — मामला प्रतिप्रेषित किया गया।

159 285

Order 22 Rule 4 – Decree in favour of or against a dead person – Party to a suit expired before final arguments were heard – Legal Representatives were not brought on record – Decree passed in such matter would be a nullity.

आदेश 22 नियम 4 — मृत व्यक्ति के पक्ष में अथवा उसके विरूद्ध आज्ञप्ति — वाद का पक्षकार अंतिम तर्क सुने जाने के पूर्व मृत हो जाता है — उसके विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर नहीं लाये गए — ऐसे मामलों में पारित आज्ञप्ति अकृत होगी।

*12
19

Order 22 Rule 4 and Order 23 Rule 1 (3) — Suit instituted against dead persons — Held, such suit is a nullity since the very inception — Treating it to be a formal defect, prayer for withdrawal of suit with liberty to file fresh suit should have been allowed.

आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 23 नियम 1 (3) — मृत व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित वाद — अभिनिर्धारित, ऐसा वाद प्रारंभ से ही अकृत था — उक्त त्रुटि को प्रारूपिक त्रुटि मानते हुए नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के साथ वाद वापिस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। 53 92

Order 23 Rule 1(3) – Application for withdrawal of suit with liberty to file fresh suit – Such application cannot be partly allowed and partly rejected.

आदेश 23 नियम 1(3) — नवीन वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वाद वापस लेने का आवेदन — ऐसा आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार एवं आंशिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। 160 287

Order 23 Rule 2 and Order 43 Rule 1-A – Application to recall compromise decree – Maintainability.

आदेश 23 नियम 2 एवं आदेश 43 नियम 1—क — समझौता डिक्री के प्रत्याह्वान हेतु आवेदन — पोषणीयता। 13 19

Order 26 Rule 9 – Appointment of Commissioner – Plaintiff filed a suit for declaration of easementary rights – Defendant in counter-claim raised an issue of encroachment by plaintiff upon disputed land – Plaintiff before adducing any evidence in support of his case filed an application under Order 26 Rule 9 of the Code for issuance of commission on the issue of encroachment – Such application would amount to collection of evidence.

JOTI JOURNAL – 2024 XXVII

आदेश 26 नियम 9 — आयुक्त की नियुक्ति — वादी ने सुखाधिकार की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया — प्रतिवादी ने प्रतिदावा में वादी द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न उठाया — वादी ने अपने प्रकरण के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के पूर्व संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत अतिक्रमण के बिन्दु पर कमीशन जारी करनें हेतु आवेदन प्रस्तुत किया — ऐसा आवेदन साक्ष्य संकलन के सदृश होगा।

Order 26 Rule 9 – (i) Appointment of Commissioner – Scope.

(ii) Commission for demarcation – Scope – Demarcation already done by the revenue officers and plaintiff filed it in support – There is no need for fresh demarcation by appointing commission.

आदेश 26 नियम 9 - (i) आयुक्त की नियुक्ति - विस्तार।

(ii) सीमाकंन हेतु कमीशन — विस्तार —राजस्व अधिकारियों द्वारा संपत्ति का सीमांकन पूर्व में किया गया जिसे वादी ने अपने समर्थन में प्रस्तुत किया — नए सीमांकन की कोई आवश्यकता नहीं। 15 22

Order 26 Rule 9 and Order 41 Rule 23 – Remand – Appellate Court for deciding the appeal could also appoint a commissioner and summon local inspection report – Order of remand found not necessary hence, set aside.

आदेश 26 नियम 9 एवं आदेश 41 नियम 23 — प्रत्यावर्तन — अपील में निर्णय पारित करने के लिए अपीलीय न्यायालय किमश्नर की नियुक्ति भी कर सकता था और स्थानीय निरीक्षण प्रतिवेदन भी आहूत कर सकता था — प्रत्यावर्तन आदेश आवश्यक नहीं पाया गया. अतः अपास्त किया गया। 110 201

Order 37 Rule 3(5) – Summary suit – Leave to defend – Held, at this stage the court has only to determine if any triable issue is shown by the defendants.

आदेश 37 नियम 3(5) — संक्षिप्त वाद — प्रतिरक्षा के लिए अनुमित — अभिनिर्धारित, इस प्रकरण पर न्यायालय को सिर्फ यह निर्धारित करना है कि क्या प्रतिवादीगण कोई विचारणीय विवाद्यक दर्शित कर रहे हैं। 54

Order 38 Rule 5 — Direction for furnishing security for production of property — When can be given to the defendant during pendency of suit? आदेश 38 नियम 5 — संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभृति प्रस्तुत करने हेत्

निर्देश – वाद लंबन की अवधि में कब प्रतिवादी को निर्देशित किया जा सकेगा?

211 394

Order 39 Rules 1 and 2 – Temporary injunction – Grant of – Conduct of plaintiff is also a very relevant consideration for the purpose of injunction.

JOTI JOURNAL – 2024 XXVIII

आदेश 39 नियम 1 एवं 2 — अस्थायी निषेधाज्ञा — प्रदान किया जाना — निषेधाज्ञा के प्रयोजन के लिए वादी का आचरण भी अत्यन्त सुसंगत विचारणीय तथ्य होता है। 161 288

COMMERCIAL COURTS ACT, 2015 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015

Section 12-A – Commercial suit – "Pre-institution mediation" u/s 12-A inserted in the Act by amendment which came into force from 20.08.2022 – Whether such mandatory provision is binding on civil suit filed prior to the amendment? Held, No.

धारा 12-क — वाणिज्यिक वाद — धारा 12-क के अंतर्गत ''संस्थित करने के पूर्व मध्यस्थता'' को अधिनियम में संशोधन कर जोड़ा गया है जो कि दिनांक 20.08.2022 से प्रभावी है — क्या ऐसा आज्ञापक प्रावधान संशोधन के पूर्व संस्थित सिविल वाद में बाध्यकारी हैं? अभिनिर्धारित, नहीं। 212 396

Section 12-A – Commercial suit – Pre-litigation mediation – Commercial Court has a role to check when deception and falsity is apparent or established and should examine the nature and subject-matter of the suit, the cause of action and the prayer of interim relief.

धारा 12-क — वाणिज्यिक वाद — वाद प्रस्तुति पूर्व मध्यस्थता — जब धोखाधड़ी और मिथ्या स्पष्ट अथवा स्थापित हो तब इनकी जांच हेतु वाणिज्यिक न्यायालय की भूमिका होती है एवं उसे वाद की प्रकृति एवं विषय-वस्तु, वाद कारण एवं अंतरिम राहत के अनुतोष की प्रार्थना की जांच करनी चाहिए। 266 512

Section 15(4) – Filing of written statement – After transfer of the suit to the Commercial Court, the case management hearing needs to be applied and for that purpose, the court is obliged to prescribe a new time period within which the written statement shall be filed.

धारा 15(4) — लिखित कथन की प्रस्तुति — वाणिज्यिक न्यायालय में वाद के अंतरण के उपरांत, मामला सुनवाई प्रबंधन का लागू करना आवश्यक है और इस प्रयोजन से न्यायालय के लिए बाध्यकर है कि वह नई समय सीमा निर्धारित करे जिसके भीतर लिखित कथन प्रस्तुत किया जाएगा। 162 290

COMMISSION FOR LOCAL INVESTIGATION RULES, 1962 (M.P.) स्थानीय निरीक्षण हेतु आयोग नियम, 1962 (म.प्र.)

Rule 3 – Boundary dispute – Under Rule 3 of the Rules, Revenue Officer is an appropriate person to whom writ of Commission may be issued for conducting demarcation.

JOTI JOURNAL – 2024 XXIX

नियम 3 — सीमा विवाद — इन नियमों के नियम 3 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी ऐसा उपयुक्त अधिकारी है जिसे सीमांकन करने हेतु रिट ऑफ कमीशन जारी किया जा सकता है।

209(ii) 390

CONSTITUTION OF INDIA

भारत का संविधान

Article 21 – (i) Fair trial – Meaning of.

- (ii) Court Competency Lacking competence to try any particular offence Acquittal or conviction by such Court would not be a bar for second trial.
- अनुच्छेद 21 (i) निष्पक्ष विचारण अर्थ।
- (ii) न्यायालय सक्षमता किसी विशेष अपराध की सुनवाई हेतु सक्षमता का अभाव ऐसे न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि दूसरे विचारण हेतु बाधा नहीं होगी। 213 399
- **Article 21** See section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973, section 483 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and sections 8, 22, 23, 29 and 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
- अनुच्छेद 21 देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 एवं स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 8, 22, 23, 29 एवं 37। 273 532
- **Article 141** (i) Doctrine of binding precedent *Per incuriam* and *sub silentio* decisions Meaning Non-binding effect of both kinds of decisions Law clarified.
- (ii) Order obtained by playing fraud on Court Will be treated *non est* in the eyeof law Doctrine of *res judicata* or doctrine of binding precedent would not be attracted.
- अनुच्छेद 141 (i) बाध्यकारी पूर्वनिर्णय का सिद्धांत पर इन्क्यूरियम और सब साइलेन्सियो निर्णय अर्थ दोनों प्रकार के निर्णयों का अबाध्यकारी प्रभाव विधि स्पष्ट की गई।
- (ii) न्यायालय से कपट कर प्राप्त किया गया आदेश विधि की दृष्टि में इसे अमान्य माना जाएगा पूर्व न्याय का सिद्धांत अथवा बाध्यकारी पूर्वनिर्णय का सिद्धांत आकृष्ट नहीं होगा। 163 293

CONSUMER PROTECTION ACT, 1986

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

Section 12 – Theft of vehicle – Whether repudiation of claim is justified? Held, No – If police is informed immediately about the theft but some delay is caused to submit insurance claim, it cannot be repudiated on the ground of violation of conditions of policy.

धारा 12 — वाहन चोरी — क्या दावे की अस्वीकृति न्यायोचित थी? अभिनिर्धारित, नहीं — यदि पुलिस को चोरी की सूचना तत्काल दे दी गई थी परंतु बीमा दावा प्रस्तुत करने में कुछ विलंब हुआ हो तब भी बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

55 94

CONTRACT ACT, 1872

संविदा अधिनियम, 1872

Section 25(3) – See sections 138 and 142 of the Negotiable Instruments Act, 1881.

धारा 25(3) – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 138 एवं 142।

139 248

COURT FEES ACT, 1870

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870

Section 7 – Suit for declaration and mandatory injunction – Court fees to be paid – Whether said relief can be said to be consequential in nature?

धारा 7 — घोषणा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का वाद — न्यायालय शुल्क की अदायगी — कब अनुतोष को पारिणामिक प्रकृति का माना जा सकता है?

164 295

Section 7(iv)(c), Schedule II and Article 17(iii) – Payment of court fees – Fixed or *ad valorem* – Plaintiff is an executant of sale deed which bears his thumb impression and sale consideration is mentioned therein – Plaintiff is required to pay *ad valorem* court fees on sale consideration and not on fixed court fees.

धारा 7(iv)(ग), अनुसूची II, अनुच्छेद 17(iii) — न्यायालय शुल्क का भुगतान — निश्चित या मूल्यानुसार — वादी विक्रय विलेख का निष्पादक है जिस पर उसके अंगूठे का निशान है और उसमें विक्रय प्रतिफल का उल्लेख किया गया है — वादी को विक्रय प्रतिफल के मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है न कि निश्चित न्यायालय शुल्क का। 267 516

JOTI JOURNAL – 2024 XXXI

Sections 7(v) and 7(vi) – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.

धाराएं 7(v) एवं 7(vi) — देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम।

Section 7(xi)(cc) – Suit for eviction and arrears of rent – Requisite court fees – Court fees paid only in relation to relief of eviction – When relief of recovery of arrears of rent is sought, plaintiff is required to value the suit on the basis of amount of arrears and has to pay *ad valorem* court fees on the said amount.

धारा 7(xi)(77) — निष्कासन एवं बकाया किराया की वसूली हेतु वाद — आवश्यक न्यायालय फीस — न्यायालय फीस मात्र निष्कासन की सहायता के लिए अदा की गई — जब बकाया किराया की वसूली का अनुतोष चाहा गया है — वादी को वाद का मूल्यांकन बकाया किराये की राशि के आधार पर करते हुए उस राशि पर मूल्यानुसार न्यायालय शूल्क का भूगतान करना होगा। 165 298

CRIMINAL PRACTICE:

आपराधिक विचारणः

- (i) Mentioning caste of accused in title of judgment Impermissible.
 - (ii) Rehabilitation of victim Whenever a child is subjected to sexual assault, the State Legal Services Authorities should ensure that the child is provided with a facility of counselling by a trained child counsellor or child Psychologist.
 - (iii) Sentencing The mitigating circumstances which weigh in favour of the accused must be balanced with the impact of the offence on the victim, her family and society in general.
- -(i) निर्णय के शीर्षक में अभियुक्त की जाति का उल्लेख करना अस्वीकार्य।
 - (ii) पीड़ित का पुनर्वास जब भी कोई बालक लैंगिक हमले का शिकार होता है, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालक को एक प्रशिक्षित बाल परामर्श दाता या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा परामर्श की सुविधा प्राप्त हो
 - (iii) दण्डादेश दण्डादेश कम करने वाली परिस्थितियाँ जो अभियुक्त के पक्ष में हैं, उन्हें पीड़ित, उसके परिवार और सामान्यतः समाज पर अपराध के प्रभाव के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। 16 23

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

Sections 29(2), 248, 325 and 360 – Sentence – Procedure when Magistrate cannot pass sufficiently severe sentence.

धाराएं 29(2), 248, 325 एवं 360 — दण्डादेश — प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्डादेश नहीं दे सकता। 166 **299**

Section 47 – Arrest – Grounds on which liberty of a citizen is curtailed, must be communicated in writing so as to enable the individual to seek remedial action against deprivation of liberty.

धारा 47 — गिरफ्तारी — जिस आधार पर किसी नागरिक की स्वतंत्रता अल्पीकृत होती है, उसे लिखित रूप से सूचित करना चाहिए ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वंचित होने के विरूद्ध उपचार प्राप्त कर सके। 214 402

Sections 53-A and 164-A – Failure to conduct DNA – Drawing adverse inference in the light of section 114(g) of the Act r/w/s 53-A of the Code, not proper.

धाराएं 53-क एवं 164-क — डीएनए परीक्षण कराने में विफलता — अधिनियम की धारा 53-क सहपिटत धारा 114(छ) के प्रकाश में विपरीत निष्कर्ष निकालना उचित नहीं।

34(ii) 60

Sections 82 and 438 – (i) Anticipatory bail – Entitlement of.

- (ii) Anticipatory bail Caution.
- (iii) Whether initiation of proceedings u/s 82 of the Code is barred because an anticipatory bail application has been filed or because such application was adjourned without passing any interim protection order? Held, No Law clarified.

धाराएं 82 एवं 438 - (i) अग्रिम जमानत - पात्रता।

- (ii) अग्रिम जमानत सावधानी।
- (iii) क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना वर्जित है क्योंकि अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा कोई अंतरिम सुरक्षा आदेश पारित किये बिना ऐसे आवेदन पर सुनवाई स्थगित की गई है? अभिनिर्धारित, नहीं विधि स्पष्ट की गई। 167 302

Sections 91 and 202 – Power to summon a document – Court is empowered to call any document u/s 91 of the Code which is necessary for fair proceeding in the case.

धाराएं 91 एवं 202 — दस्तावेज को आहुत करने की शक्ति — न्यायालय को संहिता की धारा 91 के अंतर्गत यह अधिकारिता है कि वह कोई भी दस्तावेज आहुत कर सकता है जो कि प्रकरण की निष्पक्ष कार्यवाही के लिए आवश्यक है ।

*56

96

Section 125 – Maintenance – Determination of amount.

धारा 125 – भरणपोषण – राशि का निर्धारण।

1 203

Section 125 – (i) Maintenance – Subsequent application – Principle of *res judicata*.

(ii) Amount of maintenance – Whether can be granted more than claimed? Held, Yes.

धारा 125 - (i) भरणपोषण - पश्चातवर्ती आवेदन - पूर्व न्याय का सिद्धांत।

(ii) भरणपोषण की राशि — क्या दावे से ज्यादा प्रदत्त की जा सकती है? अभिनिर्धारित, हाँ। 215 404

Section 125 – Muslim woman – There is no express extinguishment of the rights u/s 125 CrPC in Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act – Petition filed by muslim woman u/s 125 CrPC is maintainable.

धारा 125 — मुस्लिम महिला — मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधिकारों का कोई स्पष्ट निर्वापन नहीं है — मुस्लिम महिला द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत दायर याचिका पोषणीय है।

268 519

Sections 125 and 127 — Maintenance amount – Quantum of.

धाराएं 125 एवं 127 - भरणपोषण राशि - परिमाण। 112 204

Section 154 – Delay in lodging FIR – Effect of –The Court must look for the possible motive and the explanation for the delay as well as consider its effect on the trustworthiness of the prosecution witnesses.

धारा 154 — प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराने में विलंब — प्रभाव — न्यायालय को संभावित उद्देश्य और विलंब के स्पष्टीकरण की खोज करनी चाहिए और अभियोजन साक्षीगण की विश्वसनीयता पर, इसका क्या प्रभाव पड़ा पर विचार करना चाहिए।

17(i) 26

Sections 154 and 161 – FIR – Failure of police to read out or apprise the informant about the contents – Effect – Held, such requirement is procedural in nature and not obligatory.

Dying Declaration – Deceased person's statement to police officer u/s 161 CrPC regarding cause of death can be considered as dying declaration, even if IO had not taken certification from doctor regarding the assessment of mental fitness of deceased.

धाराएं 154 एवं 161 — प्रथम सूचना रिपोर्ट — सूचनाकर्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़कर सुनाने अथवा उसकी अर्न्तवस्तु से अवगत कराने में पुलिस की असफलता — प्रभाव।

मृत्युकालिक कथन — दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत मृत्यु के कारण के संबंध में मृतक व्यक्ति का कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में विचार में लिया जा सकता है, यद्यपि अन्वेषण अधिकारी ने मृतक के मानसिक रूप से स्वस्थ होने के संबंध में चिकित्सक से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया।

277(ii) & (iv) 539

Sections 154, 161 and 162 – Murder – FIR prepared after reaching the spot after due deliberations, consultation and discussion, which cannot be treated as FIR – It would be a statement made during the investigation of a case and is hit by section 162 of the CrPC – Adverse inference would be drawn against the prosecution on this count.

धाराएं 154, 161 एवं 162 — हत्या — घटनास्थल पर पहुँचने के उपरान्त विचार—विमर्श एवं चर्चा के उपरान्त तैयार प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रथम सूचना रिपोर्ट की तरह नहीं माना जा सकता — वह मामले के अन्वेषण के दौरान दिया गया कथन होगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से प्रभावित होगा — इस आधार पर अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लिया जाएगा।

280(i) 549

Section 156 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 156 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।

127 231

Section 156 (3) – Application for registration of FIR u/s 156(3) of CrPC when it discloses a cognizable offence – It is the duty of concerned Magistrate to direct registration of the FIR.

धारा 156 (3) — दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के लिए आवेदन — जब किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है — संबंधित मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने का निर्देश दे। *269(i) 521

Sections 161 and 162 – See sections 300 and 302 of the Indian Penal Code, 1860, sections 101 and 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, sections 3, 8, 27, 106, 137, 145 and 154 of the Evidence Act, 1872, sections 2, 6, 23(2), 109, 142, 148 and 157 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 and sections 180 and 181 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धाराएं 161 एवं 162 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 एवं 302, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 101 एवं 103(1), साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8, 27, 106, 137, 145 एवं 154, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2, 6, 23(2), 109, 142, 148 एवं 157, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 161 एवं 162 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएं 180 एवं 181 | **227 429**

Sections 161 and 313 – (i) Police statement – Failure of witness to mention about involvement of particular accused – Effect of.

- (ii) Examination of accused Standard of proof.
- (iii) Rustic/illiterate witness Appreciation of evidence.

धाराएं 161 एवं 313 — (i) पुलिस कथन — विशिष्ट अभियुक्त के संलिप्त होने का उल्लेख करने में साक्षी का असफल रहना — प्रभाव।

- (ii) अभियुक्त का परीक्षण प्रमाण का स्तर।
- (iii) ग्रामीण / अशिक्षित साक्षी साक्ष्य का मूल्यांकन। 113 205

Section 162 – See section 165 of the Evidence Act, 1872.

धारा 162 — देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 | **118 215**

Sections 164-A and 173 – Medical examination of victim – Importance of speedy and fair justice system reiterated.

धाराएं 164-क एवं 173 — पीड़ित की चिकित्सा जांच — त्वरित तथा निष्पक्ष न्याय प्रणाली का महत्व दोहराया गया। 114 207

Section 167 (2) – See sections 22 (b) and 36(a) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

धारा 167 (2) — देखें स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 22 (ख) एवं 36(क)। **168 304**

Sections 167(2) and 173(2) & (8) – Default bail – When such right is not available? On the ground of incomplete charge sheet or investigation pending for other accused would not entitle accused to claim right to get default bail.

धाराएं 167(2) एवं 173(2) और (8) — व्यतिक्रम जमानत — कब ऐसा अधिकार उपलब्ध नहीं होता? — अपूर्ण अभियोग पत्र या अन्य अभियुक्तों के लिए जांच लंबित होने के आधार पर अभियुक्त व्यक्तिक्रम जमानत प्राप्त करने का अधिकार नहीं।

57 97

Section 173 (8) – See sections 420 and 468 of the Indian Penal Code, 1860. **धारा 173 (8)** – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 420 एवं 468।

86 160

Section 173 (8) r/w/s 158 — Further investigation and re-investigation — Scope. धारा 173 (8) सहपठित धारा 158 — अतिरिक्त अन्वेषण एवं पुनः अन्वेषण — विस्तार। 58 98

Sections 190, 202 and 203 – (i) Dismissal of first complaint – Maintainability of subsequent complaint – Order of dismissal u/s 203 of CrPC is no bar to entertain second complaint on the same facts, but it can be done only in exceptional circumstances.

(ii) Summoning of accused – Nature of order – Duty of Magistrate.

धाराएं 190, 202 एवं 203 — (i) प्रथम परिवाद का खारिज होना — पश्चात्वर्ती परिवाद की प्रचलनशीलता — धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिवाद खारिज किये जाने पर उन्हीं तथ्यों पर दूसरे परिवाद पर विचार करने में कोई बाधा नहीं है, किंतु यह केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।

(ii) अभियुक्त को समंस जारी किया जाना — आदेश की प्रकृति — मजिस्ट्रेट का कर्तव्य। **59 99**

Section 195(1)(b)(i) – See section 193 of the Indian Penal Code, 1860. धारा 195(1)(ख)(i) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193।

124 226

Section 195-A – First Information Report – Offence of threatening witness – Maintainability.

धारा 195-क — प्रथम सूचना प्रतिवेदन — साक्षियों को धमकाने का अपराध — पोषणीयता। **216 406**

Sections 197 and 239 – See section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988

धाराएं 197 एवं 239 — देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 ।

18 28

XXXVII

Sections 202(1) and 204 – Summoning order – After recording evidence, the Magistrate on 15.12.2011 called report from the concerned police station u/s 202 of the Code – However, without awaiting the report, Magistrate passed the summoning order – Proper course to be followed by Magistrate, clarified.

धाराएं 202(1) एवं 204 – समन करने का आदेश – साक्ष्य अभिलिखित करने के उपरांत मजिस्ट्रेट ने दिनांक 15.12.2011 को संबंधित आरक्षी केन्द्र से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत रिपोर्ट आहूत की – किंतू रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना मजिस्ट्रेट ने समन आदेश पारित किया – मजिस्ट्रेट को जिस उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, स्पष्ट किया गया।

306

Section 204 – See section 306 of the Indian Penal Code, 1860. धारा 204 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 306।

128 233

Sections 216, 374 and 386 – Appeal against conviction – Absence of Advocate at the time of hearing – Without hearing accused or his advocate, appeal cannot be decided – In absence of advocate, court should have appointed a lawyer to espouse his cause.

Alteration or addition of charge by appellate court – Permissibility.

धाराएं 216, 374 एवं 386 – दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील – सुनवाई के समय अधिवक्ता की अनुपस्थिति – अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को सुने बिना अपील में निर्णय नहीं किया जा सकता है, यदि अधिवक्ता अनुपस्थितथा, तो न्यायालय को उसका पक्ष समर्थन करने के लिए एक अन्य अधिवक्ता को नियुक्त करना

अपीलीय न्यायालय द्वारा आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन – अनुज्ञेयता।

19 (i) & (ii) 29

Section 222 (2) – See sections 308 and 338 of the Indian Penal Code, 1860 धारा 222 (2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 308 एवं 228।

> 33 **58**

Section 227 – See section 13 of the Notaries Act, 1952.

धारा 227 – देखें नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 13। ***140** 249

Sections 227 and 228 – Criminal misconduct by public servant – Framing of charge – Legality.

धाराएं 227 एवं 228 – लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार – आरोप की विरचना – वैधानिकता। 217 409

XXXVIII

Sections 227 and 228 – See sections 13(1)(d) and 13(2) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

धाराएं 227 एवं 228 — देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 13(1)(घ) एवं 13(2)। **141 250**

Sections 227 and 465 – See sections 13 and 19 of the Prevention of Corruption Act.

धाराएं 227 एवं 465 — देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 13 एवं 19। **20 33**

Section 293 – Sentence – Modification.

FSL report – Joint Director is encompassed in the phrase "Director" used in Section 293(4)(e) of CrPC – The report is therefore admissible in evidence without examination of expert.

धारा 293 – दण्डादेश – परिवर्तन।

एफ.एस.एल. रिपोर्ट — संहिता की धारा 293 (4)(ड) में प्रयुक्त "निदेशक" में संयुक्त निदेशक भी सम्मिलित हैं — अतः प्रतिवेदन बिना विशेषज्ञ की साक्ष्य के भी साक्ष्य में ग्राह्य है। **230(ii)&(iii)** 438

Sections 299 – See sections 300 and 302 of the Indian Penal Code, 1860, section 101 and 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and section 335 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धारा 299 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 एवं 302, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 101 एवं 103(1) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 335।

226 427

Section 311 – Recall of witness – Aadhar Card cannot be used as proof of date of birth.

धारा 311 — साक्षी को पुनः बुलाना — आधार कार्ड जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। 218 410

Section 313 – (i) Examination of accused – When and under what circumstances would vitiate the trial? Law explained.

(ii) Examination of accused – Whether non-questioning of such incriminating circumstances had caused material prejudice to him? Held, Yes – It is a patent illegality vitiating the trial *qua* the accused/appellant – Conviction set aside and accused acquitted.

JOTI JOURNAL – 2024 XXXIX

धारा 313 — (i) अभियुक्त का परीक्षण — कब और किन परिस्थितियों में विचारण को दूषित करेगा? विधि स्पष्ट की गई।

(ii) अभियुक्त का परीक्षण — क्या अपराध में संलिप्तता दर्शाने वाली उक्त परिस्थितियों के संबंध में प्रश्न न पूछे जाने से उस पर सारवान रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था? अभिनिर्धारित, हॉ — यह एक स्पष्ट अवैधानिकता जो कि अभियुक्त / अपीलकर्ता के मामले की कार्यवाही को दूषित करती है — दोषसिद्धि निरस्त एवं अभियुक्त दोषमुक्त। 270 523

Section 313 – Expert witness – Authenticity of such report has to be proved through evidence – Relevant question needs to be framed u/s 313 of the Code as well.

धारा 313 — विशेषज्ञ साक्षी — ऐसी रिपोर्ट की विश्वसनीयता साक्ष्य के द्वारा ही प्रमाणित की जा सकती है — संहिता की धारा 313 के अंतर्गत सुसंगत प्रश्न निर्मित करने की भी आवश्यकता है। 36 64

Section 313 – See sections 120-B and 411 of the Indian Penal Code, 1860 and sections 3 and 114(a) of the Evidence Act, 1872.

धारा 313 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120—बी एवं 41 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 114(क)। **30 49**

Section 319 – (i) Power to summon any person as accused – Stage – Whether the trial court can pass such order in the judgment? Held, No.

(ii) Grounds to invoke section 319 of the Code – Trial court passed the order without considering the grounds constituting the offence on the basis that his role was suspicious – Such vague finding is not sufficient to implead any person as accused.

धारा 319 — (i) किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन करने की शक्ति — प्रक्रम —क्या विचारण न्यायालय निर्णय में ऐसा आदेश पारित कर सकती है? अवधारित, नहीं।

(ii) धारा 319 का अवलंब लेने के आधार — विचारण न्यायालय ने अपराध गठित करने वाले कारकों पर विचार किये बिना आदेश इस आधार पर पारित किया कि उसकी भूमिका संदिग्ध थी — ऐसा अस्पष्ट निष्कर्ष किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में आलिप्त करने हेतु पर्याप्त नहीं।

21
34

Section 319 – (i) Power to summon additional accused – It requires much stronger evidence than mere probability of complicity of proposed accused.

(ii) Summoning order – Justifiability.

JOTI JOURNAL – 2024 XL

धारा 319 — (i) अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की शक्ति — यह प्रस्तावित अभियुक्त के अपराध में संलिप्त होने की संभावना से परे सुदृढ़ साक्ष्य की अपेक्षा करती है।

(ii) समन का आदेश — औचित्यता।

*219 413

Section 319 – See section 358 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and sections 13 and 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988.

धारा 319 — देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 13 एवं 19 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 358 | **271 528**

Section 319 – Summoning of additional accused – Opportunity of hearing.

धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त को समन किया जाना – सुनवाई का अवसर।

Section 386 – See section 307 of the Indian Penal Code, 1860, section 109 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and section 427 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धारा 386 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 427 | **286 564**

Section 389 – Imposition of maximum sentence – Where offence is non-cognizable, bailable and compoundable, Trial Judge must assign reasons as to why maximum sentence was necessary to be imposed?

धारा 389 — अधिकतम दण्ड का अधिरोपण — जहां, अपराध असंज्ञेय, जमानती व शमनीय है, वहां विचारण न्यायाधीश को कारण दर्शित करना चाहिए कि अधिकतम दण्ड अधिरोपित करने की आवश्यकता क्यों थी? 115 209

Section 389(1) – Suspension of conviction – Parameters to be considered, summarized.

धारा 389(1) — दोषसिद्धि का निलंबन — विचार में लिए जाने योग्य मापदंड साराशित। 60 101

 $\textbf{Section 397} - (i) \ Revision - Maintainability.$

(ii) Release of property – In lieu of fixed deposit.

धारा 397 - (i) पुनरीक्षण - पोषणीयता।

(ii) संपत्ति का उन्मोचन – सावधि जमा के स्थान में। 61 103

Section 429 – (i) Bail application – Exercise of general power to grant bail under UAP Act is severely restrictive in scope.

(ii) Delay in trial – Whether a ground for bail?

JOTI JOURNAL – 2024 XLI

धारा 429 — (i) जमानत आवेदन — यूएपी अधिनियम के अंतर्गत जमानत देने की सामान्य शक्ति के उपयोग का दायरा अत्यधिक सीमित है।

(ii) विचारण में देरी – क्या जमानत हेत् एक आधार है? 116 210

Sections 437 r/w/s 389, 438 and 439 – (i) Bail application – Mandatory mentioning of information regarding prior/pending bail applications.

(ii) Duties of litigant – Suppression of material facts from the Court is actually playing fraud with the Court.

धाराएं 437 सहपिटत धारा 389, 438 एवं 439 — (i) जमानत आवेदन — पूर्व / लंबित जमानत आवेदनों के संबंध में जानकारियों का उल्लेख अनिवार्य।

(ii) पक्षकार के कर्तव्य — न्यायालय से तात्विक तथ्यों को छिपाना वास्तव में न्यायालय से छल करना है। 171 311

Sections 437, 438 and 439 – (i) Anticipatory bail – Salient features.

(ii) Extra-territorial transit or interim anticipatory bail – Grant of.

धाराएं 437, 438 एवं 439 — (i) अग्रिम जमानत — प्रमुख तत्व।

(ii) राज्यक्षेत्रातीत पारगमन या अंतरिम अग्रिम जमानत – प्रदान करना।

170 307

Sections 437 and 439(2) – Bail – Parameters for grant of and cancellation of bail – Distinction between them clarified.

धाराएं 437 एवं 439(2) — जमानत — जमानत प्रदान करने तथा निरस्त करने के मानदण्ड — उनके मध्य अंतर को स्पष्ट किया गया। 172 314

Sections 437(5), 439(2) and 482 – Bail – Cancellation of.

धाराएं 437(5), 439(2) एवं 482 — जमानत — निरस्त किया जाना।

173(i) 315

Section 438 – Pre-arrest bail – Law pertaining to conditions that may be imposed in pre-arrest bails clarified.

धारा 438 — गिरफ्तारी पूर्व जमानत — गिरफ्तारी पूर्व जमानत में अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के संबंध में विधि स्पष्ट की गई। 272(i) 531 Sections 438 and 439 (2) — (i) Anticipatory Bail — Grant of.

(ii) Whether cancellation of bail amounts to setting aside erroneous bail order? Held, No.

धाराएं 438 एवं 439 (2) - (i) अग्रिम जमानत - प्रदान किया जाना।

(ii) क्या जमानत का रद्दकरण, त्रुटिपूर्ण जमानत आदेश को निरस्त करने के समान है? अभिनिर्धारित, नहीं। 62 108

XLII

Section 439 – Grant of bail – Imposing any bail condition which enables the police/investigation agency to track every movement of the accused released on bail by using any technology would undoubtedly violate the right to privacy guaranteed under Article 21 of the Constitution.

धारा 439 — जमानत प्रदान किया जाना — ऐसी कोई भी जमानत की शर्त अधिरोपित करना जो पुलिस / अनुसंधान अभिकरण को किसी भी तकनीक का उपयोग कर जमानत पर रिहा किए गए अभियुक्त की प्रत्येक गतिविधि को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, निरसंदेह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

273 532

Section 439 – See section 45D of Prevention of Money Laundering Act, 2002. धारा 439 – देखें धन शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 45घ।

*142 251

Sections 451 and 457 – Interim custody – Held, on the date of application, there was no intimation received by the court regarding initiation of proceedings for confiscation – Hence, the bar under section 47-D would not be attracted and the vehicle was liable to be released.

धाराएं 451 एवं 457 — अंतरिम अभिरक्षा — अभिनिर्धारित, आवेदन प्रस्तुति दिनांक को राजसात की कार्यवाही आरंभ होने संबंधी कोई सूचना न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई थी — अतः धारा 47-घ का वर्जन आकर्षित नहीं होता है एवं वाहन को मुक्त किया जाना चाहिए था।

63
109

Sections 451 and 457 – See Rules 18(4) and 21 of the Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2022 (M.P.).

धाराएं 451 एवं 457 — देखें खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 (म.प्र.) का नियम 18(4) एवं 21 | **186 343**

Section 451/ **457** – See section 47(1) of the Excise Act, 1915 and section 39 of the Wild Life (Protection) Act, 1972.

धारा 451/457 — देखें आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.) की धारा 47 (1) एवं वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 39। 23 37

CRIMINAL TRIAL:

आपराधिक विचारण:

 Burden of proving a fact which was especially within the knowledge of accused – Has to be discharged by the accused – But to invoke section 106 of the Evidence Act, the prosecution has to establish the foundational fact.

JOTI JOURNAL – 2024 XLIII

- उस तथ्य को साबित करने का भार जो विशेषतः अभियुक्त के ज्ञान में था अभियुक्त को ही निर्वहनित करना होगा परंतु साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का अवलंब लेने के लिये अभियोजन को बुनियादी तथ्यों को स्थापित करना होगा ।
 27(ii) 43
- Sentence Leniency Only because an accused remained on bail for a long time cannot be a ground by itself to show leniency – Factors for deciding question of showing leniency depends upon the facts and circumstances of the case and conduct of the accused cumulatively.
- सजा उदारता केवल अभियुक्त का लंबे समय तक प्रतिभूति पर रहना मात्र स्वमेव उदारता दर्शित करने के लिये आधार नहीं हो सकता — उदारता दर्शित करने के लिये आव यक कारक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त के आचरण पर समेकित रूप से निर्भर करते हैं।24

DATE OF BIRTH (ENTRIES IN THE SCHOOL REGISTER) RULES, 1973 (M.P.) जन्म तिथि (स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टियाँ) नियम, 1973 (म.प्र.)

Rules 3 and 4 – Non-production of declaration – Absence of declaration as per Rules 3 and 4 of Rules, 1973 – If date of birth is recorded on the instruction of parents, no fault can be found in the date of birth even if declaration is not produced.

नियम 3 एवं 4 — घोषणा प्रस्तुत न करना — 1973 के नियमों के नियम 3 एवं 4 के अनुसार घोषणा का अभाव — यदि जन्मतिथि माता पिता के निर्देश पर दर्ज की गई है, तब घोषणा प्रस्तुत नहीं करने पर भी जन्म तिथि में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। 183(ii) 335

EASEMENTS ACT, 1882 सुखाचार अधिनियम, 1882

Sections 13 and 15 – (i) Easementary Right – Acquisition by prescription – Use of the term "last many years" in the plaint is not sufficient to mean that they have been enjoying for the last 20 years or more.

- (ii) Easement of necessity Available only when it is necessary for enjoying the dominant heritage.
- (iii) Easement on the basis of sale deed Legal requirement Sale deed alone cannot grant rights that the seller did not have.
- (iv) Power of Attorney Holder Evidentiary value.

धाराएं 13 एवं 15 — (i) सुखाधिकार — चिरभोग द्वारा अर्जन — वादपत्र में ''अंतिम कई वर्ष'' शब्द का उपयोग यह अर्थावयन करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अंतिम बीस वर्ष या अधिक अवधि से वे उपभोग कर रहे है।

- (ii) आवश्यकता का सुखाधिकार केवल तब उपलब्ध जब यह अधिष्ठायी संपत्ति के उपभोग के लिए आवश्यक है।
- (iii) विक्रय विलेख के आधार पर सुखाधिकार विधिक आवश्यकता मात्र विक्रय विलेख से वे अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते, जो विक्रेता को प्राप्त नहीं थे।
- (iv) मुख्तारनामा धारक साक्षिक मूल्य।

220

414

EVIDENCE ACT, 1872 साक्ष्य अधिनियम, 1872

Section 3 – See sections 376D, 376(2)(g) and 506 of the Indian Penal Code, 1860, sections 70(1), 64 and 351(2) & (3) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and section 2 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

धारा 3 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376घ, 376(2)(छ) एवं 506, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 70(1), 64 एवं 351(2) और (3) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 2। **232 445**

Section 3 – See sections 161 and 313 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 3 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 161 एवं 131

113 205

Section 3 – Suit for recovery of money equivalent to *stridhan* property – Standard of proof in matrimonial cases will be preponderance of probability.

धारा 3 — स्त्रीधन संपत्ति के समतुल्य धन की वसूली के लिए वाद — वैवाहिक मामलों में सबूत का मानक संभावना की प्रबलता होगी। 222(i) 417

Sections 3 and 8 – Cross-examination of witness – Deferment of.

धाराएं 3 एवं 8 — साक्षी का प्रतिपरीक्षण — स्थगन। 278(ii) 543

Sections 3, 8, 27, 106, 137, 145 and 154 – Burden of proof – Under illustration (a) of section 106 of the Act of 1872, it would be assumed that the accused had that intention unless he proves the contrary.

Hostile witness – Procedure to be followed for cross-examination of such witness – Role of Public Prosecutor and of trial court – Explained.

धाराएं 3, 8, 27, 106, 137, 145 एवं 154 — सबूत का भार — धारा 106 के दृष्टांत (क) के अंतर्गत यह समझा जायेगा कि अभियुक्त का आशय घटना कारित करने का था जब तक कि वह इसके विपरीत साबित न करे।

पक्षद्रोही साक्षी — साक्षी से प्रतिपरीक्षण हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया — विचारण न्यायालय एवं लोक अभियोजक की भूमिका — समझाई गई।

227(ii)&(iii) 428

Sections 3, 8, 27 and 106 – See sections 201 and 302 of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 3, 8, 27 एवं 106 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201 एवं 302। **75 134**

Sections 3, 8 and 106 – See sections 302, 309 and 449 of the Indian Penal Code, 1860, sections 103(1) and 332(a) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, sections 2, 6 and 109 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, section 293 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 329 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धाराएं 3, 8 एवं 106 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302, 309 एवं 449 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 103(1) एवं 332(क), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2, 6 एवं 109, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 329।

230 438

Sections 3, 24 and 114(g) – Extra-judicial confession – Evidentiary value – It is considered to be a weak type of evidence and is generally used as a corroborative link to lend credibility to the other evidence on record.

धाराएं 3, 24 एवं 114(छ) — न्यायिकेत्तर संस्वीकृति — साक्षिक मूल्य — यह कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और सामान्यतः इसका उपयोग समर्थनकारी कड़ी के रूप में अभिलेख पर आई अन्य साक्ष्य को विश्वसनीयता प्रदान करने हेतु किया जायेगा।

282(i) 555

Sections 3 and 27 – See sections 394 and 397 of the Indian Penal Code, 1860, sections 309(6) and 311 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and sections 2 and 23(2) of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

धाराएं 3 एवं 27 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 394 एवं 397, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 309(6) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2 एवं 23(2)। **233 446**

Sections 3 and 27 – Circumstantial evidence – Murder – Discovery of fact should be in consequence of information given by accused – Information which can be proved must relate distinctly to the fact thereby discovered.

धाराएं 3 एवं 27 — परिस्थितिजन्य साक्ष्य — हत्या — अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप तथ्य की खोज होना चाहिए — जानकारी जो साबित की जा सकती है, वह स्पष्ट रूप से उस तथ्य से संबंधित होनी चाहिए जिसे खोजा गया।

176 322

Sections 3 and 27 – See sections 302 and 397 of the Indian Penal Code, 1860. **धाराएं 3 एवं 27** – देखें भारतीय दण्ड संहिता. 1860 की धाराएं 302 एवं 397।

*181 33

Sections 3 and 32 – (i) Criminal trial – Practice and procedure – Oral dying declaration – Proof of – Prosecution has to prove that the deceased was in a fit state of mind and was in a position to make oral dying declaration to the witness or doctor.

- (ii) "Interested witness" and "Related witness" Law explained.
- (iii) Un-exhibited document of prosecution Whether it can be used?

धाराएं 3 एवं 32 — (i) आपराधिक विचारण — पद्धति और प्रक्रिया — मौखिक मृत्यु कालिक कथन — प्रमाण — अभियोजन को यह साबित करना होता है कि मृतक स्वस्थ मानसिक अवस्था में था और साक्षी या चिकित्सक के समक्ष मौखिक मृत्यु कालिक कथन देने की स्थिति में था।

- (ii)''हितबद्ध साक्षी'' और ''संबंधित साक्षी'' विधि समझाई गई।
- (iii) अभियोजन पक्ष का अप्रदर्शित दस्तावेज क्या इसका उपयोग किया जा सकता है? 64 111

Sections 3, 45 and 118 - Acquittal of co-accused - Effect.

धाराएं 3, 45 एवं 118 - सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति - प्रभाव।

35 (ii) 62

Sections 3 and 114(a) – Offence of dishonestly receiving stolen property – Disclosure statements made by co-accused solely does not suffice to draw a presumption u/s 114 (a) of Evidence Act.

धाराएं 3 एवं 114(क) — चुराई हुई सम्पित्त बेईमानी पूर्वक प्राप्त करने का अपराध — अभियुक्त एवं अन्य सह—अभियुक्तों के प्रकटन कथन मात्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(क) के अन्तर्गत उपधारणा आकर्षित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

30(i)

49

Sections 3 and 114A – See section 376 of the Indian Penal Code, 1860, section 64 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and sections 2 and 120 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

धाराएं 3 एवं 114क — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2 एवं 120। *231 444

Sections 3, 114 and 118 – Evidence – Tutoring of witnesses by police – Effect.

धाराएं 3, 114 एवं 118 — साक्ष्य — पुलिस द्वारा साक्षीगण को सिखाया जाना — प्रभाव। 177(ii) 324

Sections 3 and 135 – See sections 7 and 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and sections 2 and 140 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

धाराएं 3 एवं 135 — देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएं 7 एवं 13 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएं 2 एवं 140।

*296 586

Sections 8, 32, 54 and 56 – Judicial notice in criminal cases – When permissible?

धाराएं 8, 32, 54 एवं 56 — दाण्डिक मामलों में न्यायिक अवेक्षा — कब अनुमत? **32 (ii) 55**

Section 9 – Principle of parity – The Court cannot make a distinction between two accused, this will amount to discrimination.

धारा 9 — समानता का सिद्धांत — न्यायालय दो अभियुक्तों के मध्य अंतर नहीं कर सकता, यह पक्षपाती होगा। 31(ii) 51

Section 9 – Test identification parade – In cases where accused is stranger to a witness and there has been no TIP, Court should remain very cautious while accepting the dock identification by such a witness.

धारा 9 — परीक्षण पहचान परेड — किन्तु ऐसे मामले जिनमें अभियुक्त साक्षी से अपरिचित है एवं परीक्षण पहचान परेड नहीं हुई, वहाँ न्यायालय को ऐसे साक्षी द्वारा न्यायालय में की गयी अभियुक्त की पहचान को स्वीकार करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए।

274 535

Section 11 – Plea of *alibi* – Standard of "strict scrutiny" is required when such plea is taken – When prosecution relied on eye witness then something more than ocular statement ought to have been present to prove the *alibi*.

Criminal history of deceased – Simply because the deceased has a chequered past which constituted several run-ins with the law, cannot be a factor to give benefit thereof to accused.

धारा 11 — अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् — जब ऐसा अभिवाक् लिया जाता है तो ''सख्त जांच'' के मानक की आवश्यकता होती है — जब अभियोजन पक्ष चक्षुदर्शी साक्षी पर विश्वास करता है तो अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् साबित करने के लिए मौखिक कथन से कुछ अधिक उपलब्ध होना चाहिए था।

मृतक की आपराधिक पृष्ठभूमि – केवल इसलिए कि मृतक का विधि के साथ संघर्षरत उतार – चढ़ाव युक्त अतीत है, अभियुक्त को लाभ देने का कारक नहीं हो सकता।

17 (ii) & (iii) 26

Section 27 – (i) Memorandum and recovery – Short span of time between statement, recovery and arrest – Whether such situation casts any doubt on the prosecution case? Held, No.

(ii) Custody – Connotation of – It has a wider meaning for the purpose of section 27 of the Act.

धारा 27 — (i) ज्ञापन और बरामदगी — कथन, बरामदगी और गिरफ्तारी के मध्य कम समयांतराल — क्या ऐसी स्थिति अभियोजन मामले पर कोई संदेह उत्पन्न करती है? अभिनिर्धारित, नहीं।

(ii) अभिरक्षा – आशय – इसका व्यापक अर्थ है। 25 40

Section 32 (1) – See sections 364 and 364-A of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 32 (1) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 364 एवं 364-क।

83 152

Section 32(1) - (i) Dying declaration - Tutored and doubtful - Before convicting the accused on the basis of sole dying declaration, court must come to the conclusion that it is trustworthy, reliable and one which inspires confidence.

(ii) Dying declaration against several accused – Interpretation of.

धारा 32 (1) — (i) मृत्युकालीन कथन — सिखाया हुआ और संदिग्ध — एकमात्र मृत्युकालीन कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले, न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि यह भरोसेमंद, विश्वसनीय और विश्वास प्रेरित करता है।

(ii) अनेक अभियुक्त के विरूद्ध मृत्युकालीन कथन – निर्वचन।

6 41

Section 35 – See sections 342 and 376(2)(f) of the Indian Penal Code, 1860. **धारा 35** – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 342 एवं 376(2)(च)।

183 335

105 555

Sections 40 to 43 – See section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. धाराएं 40 से 43 - देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138।

192

355

Sections 61, 63 and 65 – See section 35, Schedule 1-A and Article 23 Expln. (as amended in State of M.P.) of the Stamp Act, 1899.

धाराएं 61, 63 एवं 65 - देखें स्टॉम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 एवं अनुसूची 1-क, अनुच्छेद २३ स्पष्टीकरण (मध्यप्रदेश राज्य मे यथा संशोधित)।

370

Section 63 – Photocopy of document (Will) – When can be admitted as secondary evidence? Mere averment that original document is lost, would not be sufficient.

धारा 63 – दस्तावेज (वसीयत) की छायाप्रति – द्वितीयक साक्ष्य के रूप में कब ग्राहय होगी? – मात्र यह अभिकथन करना की मूल दस्तावेज गुम हो गया है, पर्याप्त नहीं है। 65 113

Section 68 – Will – Validity and execution – Proof of.

धारा 68 – वसीयत – विधिमान्यता एवं निष्पादन – प्रमाणन। 66 114

Section 102 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा102 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।

328

Section 106 – Burden of proof – Applicability of Section 106 of the Act. धारा 106 – सब्त का भार – अधिनियम की धारा 106 की प्रयोज्यता।

> 182(ii) 332

Section 106 – Circumstantial evidence – Burden of proof – The law does not enjoin a duty on the prosecution to lead such evidence which is almost impossible or extremely difficult to be led.

Circumstantial evidence – Additional link.

धारा 106 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – सबूत का भार – पूर्ण एकांतता में कारित अपराध – विधि अभियोजन पक्ष से ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करती है जिसे प्रस्तुत कर पाना असंभव हो या अत्यन्त कठिन हो ।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अतिरिक्त कडी।

27 (i) & (iii) 43

Section 106 – See section 173 of the Motor Vehicles Act, 1988 and section 109 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

JOTI JOURNAL - 2024

धारा 106 — देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 109। **240 461**

Section 106 – See sections 302 and 498A of the Indian Penal Code, 1860. **धारा 106** – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 498क।

80 148

Section 112 – (i) Legitimacy of child – Even result of a genuine DNA test cannot escape from the conclusiveness of the presumption u/s 112 of the Evidence Act.

- (ii) DNA test of a minor child Circumstances Principles regarding circumstances under which a DNA test of a minor child may be directed, summarized.
- धारा 112 (i) बालक की धर्मजता एक वास्तविक डीएनए परीक्षण का परिणाम भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत उपधारणा की निश्चायकता से बच नहीं सकता।
- (ii) अवयस्क बालक का डीएनए परीक्षण परिस्थितियां अवयस्क बालक का डीएनए परीक्षण जिन परिस्थितियों में निर्देशित किया जा सकता है, के संबंध में सिद्धांत सारांशित किए गये। 275 536
- **Section 112** Presumption as to legitimacy of a child DNA test for determination of paternity Court should not direct such test to be conducted as a matter of course.
- धारा 112 बालक के धर्मजत्व की उपधारणा पितृत्व के निर्धारण के लिए डीएनए परीक्षण न्यायालय सामान्यतः ऐसा परीक्षण कराने के लिए निर्देशित नहीं कर सकता। 174(i) 318

Section 113-A – (i) Offence of abetment of suicide – Essential ingredients.

- (ii) Presumption as to abetment of suicide The presumption is discretionary and would not apply automatically.
- (iii) Appreciation of evidence Duty of Court.

धारा 113-क - (i) आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध - आवश्यक तत्व।

- (ii) आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारणा यह उपधारणा विवेकाधीन है एवं स्वतः लागू नहीं होगी।
- (iii) साक्ष्य का मूल्यांकन न्यायालय का कर्तव्य। 117 212

Section 113-A – See sections 306 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860, sections 108 and 85 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and section 117 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

JOTI JOURNAL – 2024 LI

धारा 113-क — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 306 एवं 498—क, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 108 एवं 85 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 117। **285 562**

Section 114 (g) – Appreciation of evidence – Merely because minor was allegedly raped, accused cannot be mechanically held guilty.

धारा 114 (छ) — साक्ष्य का मूल्यांकन — अवयस्क से बलात्कार होने के कारण अभियुक्त को मशीनी तौर पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।

34 (i) 60

Section 118 – (i) Child witness – Duty of the Trial Court before recording evidence of child.

(ii) Testimony of child witness – Court must make careful scrutiny of evidence of child witness to rule out the possibility of being tutored.

धारा 118 — (i) बाल साक्षी — बालक की साक्ष्य का अभिलेखन करने के पूर्व न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य है ।

(ii) बालसाक्षी की परिसाक्ष्य — न्यायालय को बालसाक्षी के सिखाये जाने की संभावना को दूर करने के लिए उसकी साक्ष्य का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना चाहिए।

28
46

Sections 120, 135 to 139, 154 and 155 - (i) Party to a suit and witness in a suit - Whether the phrase "plaintiff's/defendant's witness" excludes the plaintiff or defendant themselves, when they appear as a witness in their own case? Held, No - Law explained.

- (ii) Production of documents during cross-examination Whether law differentiates between party to a suit and witness of a party? Held, No.
- (iii) Trial of a suit Recording of evidence Duty of the court Objectives of rules for conducting civil proceedings summarised.

धाराएं 120, 135 से 139, 154 एवं 155 — (i) वाद में पक्षकार और वाद में साक्षी — क्या वादी / प्रतिवादी का साक्षी, वादी या प्रतिवादी से भिन्न है, जब वे अपने मामले में साक्षी के रूप में उपस्थित होते हैं? अवधारित, नहीं — विधि समझाई गई।

- (ii) प्रतिपरीक्षा के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना क्या विधि किसी वाद के पक्षकार और किसी पक्षकार के साक्षी के बीच अंतर करती है अभिनिर्धारित, नहीं।
- (iii) वाद की विचारण साक्ष्य का अभिलेखन न्यायालय का कर्तव्य सिविल कार्यवाही के संचालन के लिए नियमों के उद्देश्यों को सारांशित किया गया।

67 117

Sections 135 and 138 – Prosecution witness – Whether a witness who has been shown in the prosecution list but not examined on behalf of the prosecution, can be permitted to be examined as defence witness? Held, Yes.

धाराएं 135 एवं 138 — अभियोजन साक्षी — क्या किसी साक्षी को, जिसका नाम अभियोजन की सूची में दर्शाया गया है लेकिन अभियोजन की ओर से उसको परीक्षित नहीं किया गया है, बचाव के साक्षी के रूप में उसका परीक्षण करने की अनुमित दी जा सकती है? अभिनिर्धारित, हाँ। *221 416

Section 165 – (i) Examining police records by Court – Nothing in section 162 CrPC prevents the Trial Judge from putting questions to prosecution witness otherwise permissible.

(ii) Serious lapses in investigation – Free and fair trial is *sine qua non* of Article 21 of the Constitution of India.

धारा 165 — (i) न्यायालय द्वारा पुलिस अभिलेखों का परीक्षण — धारा 162 दं.प्र.सं. में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विचारण करने वाले न्यायाधीश को अभियोजन पक्ष के साक्षी से अन्यथा स्वीकार्य प्रश्न पूछने से निवारित करता हो, जो अन्यथा अनुज्ञेय है। (ii) अन्वेषण में गंभीर त्रुटियाँ — स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अनिवार्यता है। 118 215

EXCISE ACT, 1915 (M.P.)

आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.)

Section 47 (1) – Interim custody of vehicle – Magistrate may proceed with the trial but regarding confiscation, order of Executive Magistrate will be final.

धारा 47 (1) — वाहन की अंतरिम अभिरक्षा — मजिस्ट्रेट विचारण जारी रख सकता है किंतु राजसात करने के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम होगा। 23 (i) 37

Section 47-A(2) - Confiscation of vehicle - During pendency of criminal trial.

धारा 47-क(2) — वाहन का अधिहरण — आपराधिक विचारण लंबित रहने के दौरान। 187 346

Sections 47-A(3)(a) and 47-D – See sections 451 and 457 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 47-क(3)(क) एवं 47-घ — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 451 एवं 457। 63 109

JOTI JOURNAL – 2024 LIII

FAMILY AND PERSONAL LAWS:

परिवार एवं व्यक्तिगत विधिः

- See section 17 of the Guardians and Wards Act, 1890.
- देखें संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 17।

223 420

FAMILY COURTS ACT, 1984

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984

Section 7 – Stridhan – Stridhan property does not become a joint property of husband and wife and the husband has no title or independent dominion over property as owner thereof.

धारा 7 — स्त्रीधन — स्त्रीधन संपत्ति पति और पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं बन जाती और पति का संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं होता।

222(ii) 417

GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF GOODS (REGISTRATION AND PROTECTION) ACT, 1999

वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

Sections 2 (1)(n), (b) and 21 – Suit for infringement of GI – Whether u/s 21(1), Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 registered Proprietor can bring the suit in its own capacity or must join authorized user to make the suit maintainable?

धाराएं 2(1)(ढ़), (ख) एवं 21 — भौगोलिक संकेत के अतिलंघन हेतु वाद — क्या वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1990 की धारा 21(1) के अंतर्गत रिजस्ट्रीकृत स्वत्वधारी स्वयं की हैसियत से वाद ला सकता है अथवा वाद की पोषणीयता हेतु प्राधिकृत उपयोगकर्ता को संयोजित करना आवश्यक है?

GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890 संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890

Section 12 – See sections 21 and 31 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

धारा 12 — देखें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धाराएं 21 एवं 31 **44 78**

JOTI JOURNAL – 2024 LIV

Section 17 – Guardians and wards – Phrases "Custody" and "Guardianship" explained – Principles governing custody of minor children explained.

धारा 17 — संरक्षक और प्रतिपाल्य — शब्द ''अभिरक्षा'' एवं ''संरक्षकता'' को समझाया गया — अवयस्क किशोर की अभिरक्षा के सिद्धांतो को समझाया गया।

223 420

HINDU MARRIAGE ACT, 1955

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

Sections 7 and 19 – Petition for divorce – Territorial jurisdiction. धाराएं 7 एवं 19 – विवाह विच्छेद की याचिका – प्रादेशिक अधिकारिता।

276 538

Sections 13 and 13 (1)(i-a) – (i) Mental cruelty – Determination of.

(ii) Irretrievable breakdown of marriage – Whether a ground for divorce? **धाराएं 13 एवं 13(1)(i-क)** – (i) मानसिक क्रूरता – निर्धारण।

(ii) विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन – क्या विवाह विच्छेद का आधार है?

119 218

Section 13 (1)(i-a) – Divorce – Grounds of harassment and cruelty by wife. धारा 13(1)(i-क) – विवाह विच्छेद – पत्नी द्वारा कारित उत्पीड़न और क्रूरता के आधार। 120 220

Sections 13 (1) (i-a) and 13 (1)(i-b) – (i) 'Cruelty' – As a ground of divorce – Conduct of one party, which adversely affects the other – It may be mental or physical, intentional or unintentional – Has to be construed and interpreted considering various factors.

(ii) 'Desertion' – Heavy burden lies upon the party who seeks divorce on this ground.

धाराएं 13 (1)(i-क) एवं 13 (1)(i-ख) — (i) क्रूरता — विवाह विच्छेद का आधार — एक पक्ष का आचरण जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है — क्रूरता मानिसक अथवा शारीरिक, जानबूझकर अथवा बिना जाने बूझे हो सकती है — विनिश्चय और निर्वचन विभिन्न कारकों पर विचार कर किया जाना चाहिए।

(ii) अभिव्यजन — गुरूत्तर प्रमाण भार उस पक्ष पर होगा जो इस आधार पर विवाह विच्छेद चाहता है। 68 119

Section 16 – Child born from void or voidable marriage – Effect of conferrment of legitimacy to such child u/s 16(1) and 16(2) of the Hindu Marriage Act.

JOTI JOURNAL – 2024 LV

धारा 16 — शून्य अथवा शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न अपत्य — धारा 16(1) एवं 16(2) हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अपत्य को प्रदत्त धर्मजता का प्रभाव। 224 422

Sections 24 and 25 - (i) Permanent alimony - Grant of - In a divorce petition, whether husband can be directed to pay permanent alimony without the wife filing application u/s 25 of the Act? Held, No.

(ii) Respondent wife filed an application u/s 24 of the Act – Issue to be framed on the point and evidence regarding the income, liabilities and occupation of the husband, should be adduced by the wife.

धाराएं 24 एवं 25 — (i) स्थायी निर्वाह भत्ता — प्रदान करना — क्या विवाह विच्छेद याचिका में पितन द्वारा अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किये बगैर पित को यह निर्देशित किया जा सकता है कि वह पितन को स्थायी निर्वाह भत्ते का भुगतान करे? अवधारित, नहीं।

(ii) प्रत्यर्थी पित्न द्वारा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत — इस संबंध में विवाद्यक विरचित करना होगा और पत्नी को पित की आय, वित्तीय क्षमता एवं पित के व्यवसाय के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

175 321

HINDU SUCCESSION ACT, 1956 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

Section 6 – (i) Partition suit – Devolution of interest in coparcenary property and rights of daughter.

- (ii) Consent decree Compromise deed in a partition suit must include written consent of all parties; decree by consent amongst some of the parties only in a suit for partition of joint property, will be unlawful.
- (iii) Duty of Advocate Advocate cannot settle and compromise claim without specific authorization from his client.
- **धारा 6** (i) बंटवारे का वाद सहदायिक सम्पत्ति में हित का न्यागमन एवं पुत्री के अधिकार।
- (ii) सहमति डिक्री बंटवारे के वाद में प्रस्तुत राजीनामा विलेख में सभी पक्षकारों की लिखित सहमति होना चाहिए; संयुक्त सम्पत्ति के बटवारे के वाद में पक्षकारों में से केवल कुछ के मध्य हुई सहमति के आधार पर पारित डिक्री विधि विरूद्ध होगी।
- (iii) अधिवक्ता का कर्तव्य वह पक्षकार से विशेष प्राधिकार प्राप्त किये बिना मामले का समझौता एवं निपटारा नहीं कर सकता है। 69 121

JOTI JOURNAL – 2024 LVI

Section 6 and proviso to section 6 (1) - (i) Coparcenary property - If the ancestral property is in the hands of a sole surviving coparcener, then the said property turns into separate property.

(ii) Right of female child – Such testamentary disposition of property which had taken place before 20th day of December, 2004 is saved by proviso to section 6 (1).

धारा 6 एवं धारा 6 (1) का परन्तुक — (i) सहदायिक संपत्ति — यदि पैतृक संपत्ति एकमात्र जीवित सहदायिक के हाथों में है तो वह संपत्ति पृथक संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है।

(ii) पुत्री का अधिकार — ऐसा वसीयती व्ययन जो कि दिनांक 20 दिसम्बर 2004 के पूर्व हुआ हो वह धारा 6 (1) के परन्तुक से व्यावृत्त होगा।

29 47

Sections 6, 8, 10, 15 and 16 – See section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955.

धाराएं 6, 8, 10, 15 एवं 16 — देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16।

224 422

Section 14 – *Stridhan* – It is the personal property of a woman.

धारा 14 – स्त्रीधन – यह महिला की व्यक्तिगत संपत्ति है।

174(ii) 318

Section 14(1) - (i) Right of a female Hindu - For establishing full ownership on such property u/s 14(1) of Succession Act, a female Hindu must not only be in possession of the property but she must have acquired the property.

- (ii) Right to partition Suit for partition claiming absolute ownership u/s 14(1) of the Hindu Succession Act could not be maintained by her adopted son by virtue of inheritance.
- धारा 14(1) (i) हिन्दू महिला का अधिकार उक्त संपत्ति पर अपना पूर्ण स्वामित्व धारा 14(1) उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित करने के लिए हिन्दू महिला का संपत्ति पर अपना आधिपत्य ही नहीं वरन् उक्त संपत्ति को अर्जित करना भी होगा।
- (ii) विभाजन का अधिकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व का दावा करते हुये उसके पुत्र द्वारा विरासत के आधार पर प्रस्तुत विभाजन का वाद प्रचलन योग्य नहीं है। 225 425

LVII

Sections 14 (2), 15 and 16 – Property acquired by a Hindu female in partition – She had pre-existing right in the joint family property – She would be deemed to have become the full owner thereof despite the fact that the partition deed prescribed a limited estate for her – Upon her intestate death, her property would devolve by way of succession as per sections 15 and 16 of the Act.

धाराएं 14 (2), 15 एवं 16 — हिन्दू महिला द्वारा विभाजन में अर्जित संपत्ति — उसका संयुक्त परिवार की संपत्ति में पूर्व विद्यमान अधिकार था — यद्यपि उसे विभाजन विलेख में सीमित संपदा प्रदान की गई थी परन्तु वह पूर्ण स्वामी मानी जायेगी — उसकी निर्वसीयती मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम की धाराएं 15 एवं 16 के अनुसार न्यागत होगी।

70 123

INDIAN PENAL CODE, 1860 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

Sections 34, 120B and 302 – See sections 3 and 27 of the Evidence Act, 1872.

धाराएं 34, 120ख एवं 302 — देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 27। **176 322**

Sections 34, 148, 149, 201 and 302 – Conversion of charge from section 149 to Section 34 – If the common object does not necessarily involve a common intention, the substitution of section 34 for section 149 might result in prejudice to the accused and therefore, ought not be permitted.

धाराएं 34, 148, 149, 201 एवं 302 — धारा 149 से धारा 34 में आरोप का परिवर्तन — यदि सामान्य उद्देश्य में आवश्यक रूप से एक सामान्य आशय सिम्मिलित नहीं है, तब धारा 149 के स्थान पर धारा 34 के प्रति स्थापन का परिणाम अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह हो सकता है अतः इसकी अनुमित नहीं दी जानी चाहिए।

19 (iii)
29

Sections 34 and 302 – Common intention – Determination.

धाराएं 34 एवं 302 – सामान्य आशय – अवधारण। 121 222

Sections 34 and 302 – Murder – Evidence and proof.

धाराएं 34 एवं 302 — हत्या — साक्ष्य एवं सबूत। 177(i) 324

Sections 34 and 302 – Criminal trial – Site plan merely denotes the location of the incident without implying further details – Due weightage must be given to the first-hand version of eyewitnesses.

Recovery of weapon – Non-explanation of human blood on the weapon – Effect.

LVIII

धाराएं 34 एवं 302 — दांडिक विचारण — अन्वेषण अधिकारी द्वारा केवल नक्शा मौका में घटना स्थल को विशिष्ट नाम से चिन्हित करने में हुआ लोप सारहीन होगा।

आयुध की जब्ती — आयुध पर मानव रक्त होने का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना — प्रभाव। 277 (i) &(iii) 539

Sections 34 and 324 – Common intention – Conduct of accused.

धाराएं 34 एवं 324 – सामान्य आशय – अभियुक्त का आचरण।

122 223

Sections 84 and 302 – (i) Defence of insanity or unsoundness of mind – Burden of proof – Accused has to establish legal insanity/unsoundness of mind at the time of commission of offence – Standard of proof to prove the same is only 'reasonable doubt'.

(ii) Murder – Inference of legal insanity drawn – Conviction set aside and appellant acquitted.

धाराएं 84 एवं 302 — (i) उन्मत्तता एवं विकृत चित्तता की प्रतिरक्षा — सबूत का भार — अभियुक्त को अपराध कारित होते समय विधिक उन्मत्तता / विकृति चित्त का होना स्थापित करना होगा — यह साबित करने हेतु सबूत का मानक 'युक्तियुक्त संदेह' हैं।

(ii) हत्या — विधिक विकृत चित्तता का निष्कर्ष निकाला गया — दोषसिद्धि अपास्त कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया। 71 124

Sections 100, 300, 302 and 307 – Murder or culpable homicide not amounting to murder – Determination.

धाराएं 100, 300, 302 एवं 307 — हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध — निर्धारण। **278(i) 543**

Sections 104, 148, 149, 307 and 324 – Attempt to murder – Right of private defence of property.

धाराएं 104, 148, 149, 307 एवं 324 — हत्या करने का प्रयत्न — संपत्ति की प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। **72 126**

Sections 107 and 306 – Abetment of suicide – Contents of suicide note did not indicate any act or omission on the part of accused which could make him responsible for abetment – Ingredients of section 3(2)(v) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 are not made out.

JOTI JOURNAL – 2024 LIX

धाराएं 107 एवं 306 — आत्महत्या का दुष्प्रेरण — आत्महत्या लेख की अंतर्वस्तु से भी यह दर्शित नहीं था कि अभियुक्त ने ऐसा कोई कृत्य या लोप कारित किया था जिसके कारण उसे दुष्प्रेरण का जिम्मेदार माना जाता — अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(V) के घटक गठित नहीं होते हैं।

Sections 107 and 306 – Instigation – *Mense rea* is a necessary ingredient of instigation and the abetment to suicide would be constituted only when such abetment is found intentional.

धाराएं 107 एवं 306 — उकसाना — मेन्स रिया उकसाने का आवश्यक घटक है एवं आत्महत्या का दुष्प्रेरण तभी गठित होगा जब दुष्प्रेरण साशय किया गया हो।

279 547

Sections 120B and 302 – Recovery of blood stained weapon – FSL report – It concludes that the blood group found on the weapon recovered at the instance of the accused matched with the blood group of the deceased – However, it cannot form the sole basis of conviction unless the same was connected with the murder of the deceased by the accused.

धाराएं 120ख एवं 302 — रक्तरंजित आयुध की जब्ती — एफएसएल रिपोर्ट — यह निष्कर्ष अंकित है कि अभियुक्त की सूचना पर जब्त आयुध पर पाया गया रक्त समूह मृतक के रक्त समूह से मिलता है — परंतु यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता जब तक कि वह अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या करने से संबंधित न हो।

280(ii) 549

Sections 120B and 411 – Criminal conspiracy – Agreement of two or more persons is *sine qua non* to constitute offence of criminal conspiracy.

धाराएं 120ख एवं 411 — आपराधिक षड्यंत्र — आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के गठन हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सहमत होना अपरिहार्य घटक है।

123 225

Sections 120-B and 411 – Criminal conspiracy – Requirement of agreement between two or more persons.

धाराएं 120—बी एवं 411 — आपराधिक षडयंत्र — दो और अधिक व्यक्तियों के मध्य करार की आवश्यकता। 30 49

Sections 148, 149, 302 and 307 – See section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 11 of the Evidence Act, 1872.

JOTI JOURNAL – 2024 LX

धाराएं 148, 149, 302 एवं 307 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11। **17 26**

Section 149 - (i) Unlawful assembly - Liability of members - It has to be established that the person constituting the assembly had shared the common object of the assembly alongwith other members.

(ii) Unlawful assembly – Common object – Incident arose due to quarrel that happened a day prior to the day of occurrence – Although, the accused had assembled to teach a lesson to informant, there was no intention to cause death – Common object not revealed from the record – Prosecution failed to prove common object of unlawful assembly.

धारा 149 — (i) विधि विरूद्ध जमाव — सदस्यों का दायित्व — यह स्थापित किया जाना चाहिए कि जमाव करने वाले व्यक्ति ने अन्य सदस्यों के साथ जमाव के सामान्य उददेश्य को साझा किया।

(ii) विधि विरूद्ध जमाव — सामान्य उद्देश्य — घटना वाले दिन के एक दिन पूर्व हुए झगड़े के कारण यह घटना उद्भूत हुई — हालांकि अभियुक्त सूचनाकर्ता को सबक सिखाने के लिये एकत्रित हुए थे किंतु उनका उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं था — अभिलेख से सामान्य उद्देश्य प्रकट नहीं हुआ — अभियोजन विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य साबित करने में असफल रहा।

73 128

Sections 149 and 302 – (i) Murder – Proof of – Absence of FSL report.

(ii) Unlawful assembly and murder – Involvement of co-accused – Test identification parade was not conducted – No cogent statement regarding active participation of co-accused persons and incriminating weapons were also not recovered from their possession – Their presence on the spot was also found to be doubtful – Held, co-accused rightly acquitted.

धाराएं 149 एवं 302 - (i) हत्या - सबूत - फोरेंसिक रिपोर्ट का अभाव।

(ii) विधि विरूद्ध जमाव और हत्या — सहअभियुक्त की संलिप्तता — पहचान परेड नहीं कराई गई — सहअभियुक्त की सिक्रिय संलिप्तता के संबंध में कोई तर्कपूर्ण कथन नहीं किया गया और उनके कब्जे से कोई आपत्तिजनक आयुध भी बरामद नहीं हुए — घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति भी संदिग्ध पाई गई — अभिनिर्धारित, सहअभियुक्त की दोषमुक्ति उचित। 74 131

Sections 149 and 395 — Unlawful assembly — No identification parade was held — Appellant was part of a big mob and witness were not acquainted with him earlier — Evidence found to be unreliable — Conviction set aside.

JOTI JOURNAL – 2024 LXI

धाराएं 149 एवं 395 — विधि विरूद्ध जमाव — कोई शिनाख्ती परेड नहीं हुई थी — अपीलार्थी एक बड़ी भीड़ का सदस्य था एवं साक्षी उसे पूर्व से नहीं जानती थी — साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना गया — दोषसिद्धि को अपास्त किया गया।

31(i) 51

Section 193 – Cognizance – Whether court can direct to lodge FIR for the offence punishable u/s 193 of IPC? Held, No.

धारा 193 — संज्ञान — क्या न्यायालय भा.द.सं. की धारा 193 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं।

124
226

Section 195-A – See section 195-A of the Criminal Procedure Code, 1973. **धारा 195-क** – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195**-**क।

216 406

Sections 201 and 302 – (i) Circumstantial evidence – Murder – In the statement recorded u/s 313 accused has not furnished any explanation regarding his knowledge of the place from where the parts of the dead body were recovered – Adverse inference u/s 106 of the Evidence Act was drawn and motive was also proved – Conviction upheld.

- (ii) Discovery of fact Words "Person accused of an offence" and "in the custody of police" are separated by a comma (,) in section 27, thus they have to be read distinctively As soon as the accused or suspected person comes into the hand of a police officer, he is in the custody of Police within the meaning of sections 25 and 27.
- (iii) Information by co-accused Co-accused cannot be held guilty on the basis of information already given by accused The same information even if voluntarily made by co-accused, cannot be used against him.

धाराएं 201 एवं 302 — (i) परिस्थितिजन्य साक्ष्य — हत्या — धारा 313 के तहत कथन में आरोपी ने उस स्थान के बारे में अपनी जानकारी के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जहां से शव के अंग बरामद किए गए थे — साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया था और हेतुक भी साबित हुआ — दोषसिद्धि स्थिर रखी गई।

(ii) तथ्य की खोज — "अपराध का अभियुक्त व्यक्ति" और "पुलिस की अभिरक्षा में" शब्दों को धारा 27 में अल्पविराम द्वारा अलग किया गया है, इस प्रकार उन्हें विशिष्ट रूप से पढ़ा जाना चाहिए — जैसे ही आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी के हाथ में आता है, वह धारा 25 और 27 के अर्थ में पुलिस की अभिरक्षा में होता है।

(iii) सह-अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी — सह-अभियुक्त को अभियुक्त द्वारा पूर्व से दी गई जानकारी के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता — वही जानकारी भले ही सह-अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से दी गई हो, उसका उपयोग उसके विरूद्ध नहीं किया जा सकता।

75
134

Sections 201 r/w/s 120-B and 302 – (i) Circumstantial evidence – Essential requirements.

- (ii) Standard of proof Strong suspicion cannot take the place of proof beyond reasonable doubt for convicting an accused.
- (iii) Examination of accused It cannot be used as an additional link to complete the chain of circumstances.

धाराएं 201 सहपिठत धारा 120-ख एवं 302 — (i) परिस्थितिजन्य साक्ष्य — महत्वपूर्ण आवश्यकताएं।

- (ii) प्रमाण का मानक अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु प्रबल संदेह युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित किए जाने का स्थान नहीं ले सकता।
- (iii) अभियुक्त का परीक्षण इसका उपयोग साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त कड़ी के रूप में अन्यथा नहीं किया जा सकता। 125 227

Sections 201, 302 363, 366-A, 376(A), 376(2)(i), 376(2)(j), 376(2)(k) and 376(2)(m) – See sections 5(m) & 5(i) r/w/s 6 of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

धाराएं 201, 302, 363, 366-क, 376(क), 376(2)(ज्ञ), 376(2)(ञ), 376(2)(ट) एवं 376(2)(ड) — देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 5(ड) और 5(झ) सहपठित धारा 6। 99 179

Sections 201, 302, 363, 364, 366 and 376 (2) (f) – (i) Rape and Murder – Circumstantial evidence – Last Seen Theory.

(ii) Interested witness – Their testimony should not be discarded merely because they are relatives – However, their testimony should be scrutinised by Court with a little care and caution for its credibility as a rule of prudence and not one of law.

धाराएं 201, 302, 366, 364, 366 एवं 376 (2)(च) — (i) बलात्संग एवं हत्या — परिस्थितिजन्य साक्ष्य — अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत।

(ii) हितबद्ध साक्षी — केवल इस कारण कि वे संबंधी है, उनकी परिसाक्ष्य को त्यागा नहीं जायेगा — तथापि उनकी विश्वसनीयता के लिए न्यायालय द्वारा

LXIII

उनकी परिसाक्ष्य का कुछ सावधानी एवं सर्तकता से परीशीलन किया जाना होगा, जो सावधानी का नियम है, विधि का नहीं। 229 436

Section 294 – (i) Obscene acts – Mere filthy abuses used by accused – None of the witnesses deposed anything about causing annoyance to others – As annoyance being main ingredient, offence punishable u/s 294 IPC and section 3(1)(s) of the Act of 1989 not made out – Accused rightly acquitted.

- (ii) Criminal intimidation Witness deposed that accused told him that he has been rescued but if he came to his field he would be killed Said intimidation was conditional, so does not come under the purview of offence punishable u/s 506 Part-II of IPC and section 3(1)(r) of the Act.
- (iii) Criminal appeal Non appearance of appellant before the appellate Court Counsel of appellant and appellant himself did not appear on the date of final hearing Criminal appeal should be decided on merits based on contentions mentioned in appeal memo.
- धारा 294 (i) अश्लील कृत्य अभियुक्त द्वारा केवल गंदी गालियाँ दी गईं किसी भी गवाह ने दूसरों को क्षोभ कारित होने के विषय में कुछ भी नहीं कहा क्षोभ कारित होना मुख्य घटक है धारा 294 और धारा 3(1)(ध) के अंतर्गत अपराध गठित नहीं होता अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित।
- (ii) आपराधिक अभित्रास साक्षी ने कथन दिया कि अभिमत ने उससे कहा कि उसे बचा लिया गया है लेकिन अगर वह अपने खेत पर गया तो वह मार दिया जाएगा धमकी सशर्त थी, इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 भाग—II और अधिनियम की धारा 3(1)(द) के तहत दंडनीय अपराध की परिधि में नहीं आती।
- (iii) आपराधिक अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की अनुपस्थिति अपीलार्थी और अपीलार्थी का अधिवक्ता स्वयं अंतिम सुनवाई दिनांक को उपस्थित नहीं हुए आपराधिक अपील का निर्णय अपील ज्ञापन में उल्लिखित तर्कों के आधार पर गुण—दोषों पर किया जाना चाहिए। 76 138

Sections 299 and 304 – (i) Culpable Homicide – Appreciation of evidence – Determination of nature of injury, whether caused by assault or it is accidental? (ii) Abscondence of the accused for three years – Whether this fact itself can be treated as a sole ground for establishing his guilt? Held, No.

धाराएं 299 एवं 304 — (i) आपराधिक मानव वध — साक्ष्य का मूल्यांकन — उपहति की प्रकृति का निर्धारण, क्या हमले के कारण या दुर्घटनावश कारित?

JOTI JOURNAL – 2024 LXIV

(ii) अभियुक्त का तीन साल तक फरार रहना — क्या इस तथ्य को ही उसके अपराध को स्थापित करने का एकमात्र आधार माना जा सकता है? अवधारित, नहीं।

77
141

Sections 300 and 302 – Murder or culpable homicide not amounting to murder – Determination – Evidence available on record showed that accused had inflicted as many as 12 blows with a knife on his wife who was unarmed – Benefit of Exception 4 cannot be given to him.

धाराएं 300 एवं 302 — हत्या या हत्या की कोटी में न आने वाला मानव वध — निर्धारण — अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से दर्शित होता है कि अभियुक्त ने अपनी निहत्थी पत्नी पर चाकू से 12 वार किये थे — अपवाद 4 का लाभ उसे नहीं दिया जा सकता है।

227(i) 429

Sections 300 and 302 – Murder – Proof – During trial, complainant could not be traced despite best efforts as such his statements recorded in the proceeding u/s 299 were used by the trial court as a piece of substantive evidence alongwith other cogent evidence and proved circumstances.

धाराएं 300 एवं 302 — हत्या — प्रमाण — विचारण के दौरान पूर्ण प्रयास करने पर भी परिवादी नहीं मिल पाया तब विचारण न्यायालय ने धारा 299 के अंतर्गत कार्यवाही में लेखबद्ध उसके कथन को तात्विक साक्ष्य के रूप में अन्य सुदृढ़ साक्ष्य व प्रमाणित परिस्थितियों सहित उपयोग किया। 226 427

Sections 300 and 302 – See section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973, section 351 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and sections 101 and 103(1) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023.

धाराएं 300 एवं 302 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 101 एवं 103(1)। 270 523

Sections 300 Exception 4, 302 and 304 Part II – Murder or culpable homicide not amounting to murder – Benefit of Explanation 4 to section 300 when available?

धाराएं 300 परंतुक 4, 302 एवं 304 भाग 2 — हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध — धारा-300 के स्पष्टीकरण-4 का लाभ कब उपलब्ध होगा?

Section 302 – (i) Criminal trial – Minor discrepancies do not discredit overall reliability.

(ii) Murder or culpable homicide not amounting to murder – Determination.

धारा 302 — (i) दांडिक विचारण —सूक्ष्म विसंगति, सम्पूर्ण विश्वसनीयता पर अविश्वास उत्पन्न नहीं करती।

(ii) हत्या अथवा हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध — निर्धारण। **281 552**

Section 302 – Murder – Appreciation of evidence – Discrepancies in statement of eye witness.

धारा 302 — हत्या — साक्ष्य का मूल्यांकन — चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य में विसंगती। **228 435**

Section 302 – Murder – Burden of proof.

धारा 302 – हत्या– सबूत का भार।

179 328

Section 302 – (i) Murder by poisoning – Requisite ingredients for proving murder by poisoning summarised.

(ii) Delay in filing FIR – No *malafide* intention found on the part of any witness or police to delay registration of FIR – Such delay is not fatal.

धारा 302 — (i) जहर देकर हत्या — जहर देकर हत्या किया जाना साबित करने के लिये आवश्यक तत्व सारांशित।

(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब — प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलंब से दर्ज कराने में किसी साक्षी या पुलिस का दुर्भावनापूर्ण आशय नहीं पाया गया — ऐसा विलम्ब घातक नहीं। 127 231

Section 302 – Murder – Extra-judicial confession – Probative value – Where accused allegedly confessed his crime before the witness on telephone.

धारा 302 — हत्या — न्यायिकेत्तर संस्वीकृति — साक्षिक मूल्य — जहां अभियुक्त ने कथित रूप से साक्षी के समक्ष टेलीफोन पर अपना अपराध स्वीकार किया।

283 558

Section 302 – Murder – If there is no eyewitness of incident, prosecution has to prove the motive of commission of crime.

धारा 302 — हत्या — यदि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, तो अभियोजन पक्ष को अपराध करने का उद्देश्य साबित करना होगा।

126 229

55

Section 302 – Murder – Proof of.

धारा 302 - हत्या - प्रमाण।

32(i)

Section 302 – Offence of murder – Circumstantial evidence – Adverse inference against prosecution.

LXVI

धारा 302 — हत्या का अपराध — परिस्थितिजन्य साक्ष्य — अभियोजन के विरूद्ध प्रतिकूल अनुमान। 282(ii) 555

Section 302 – See section 7A of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, section 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and sections 9(2) and 94 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

धारा 302 — देखें किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 7क, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) एवं किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 9(2) एवं 94।

236 452

Sections 302/149 – Offence of murder – Unlawful assembly – Appellant was one of the members of the unlawful assembly therefore his mere presence was sufficient to render him vicariously liable u/s 149 for causing death of the victim of attack.

धाराएं 302/149 — हत्या का अपराध — विधिविक्तद्ध जमाव — अपीलार्थी विधि विक्तद्ध जमाव का सदस्य था इसलिए उसकी उपिश्थित मात्र ही प्रतिनिधिक रूप से उसे धारा 149 के अंतर्गत हमले के पीड़ित की हत्या करने हेतु दायित्वाधीन बनाती है।

284 559

Sections 302, 304B and 498A – Murder or dowry death – Presumption – Burden of proof.

धाराएं 302, 304ख एवं 498क — हत्या अथवा दहेज मृत्यु — उपधारणा — सबूत का भार।

Sections 302 and 307 – (i) Criminal trial – Whether non-recovery of fire arm and omission to obtain ballistic report would be fatal to the prosecution case? Law summarised.

(ii) Acquittal of co-accused – Effect on the case of remaining accused – When evidence against both the accused is similar and identical in nature, court cannot convict one accused and acquit the other.

धाराएं 302 एवं 307 — (i) दांडिक विचारण — क्या आग्नेयास्त्र का बरामद नहीं होना एवं प्राक्षेपिक परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति में लोप अभियोजन मामले के लिए घातक होगा? — विधि सारांशित की गयी।

(ii) सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति — अन्य अभियुक्त के मामले पर इसका प्रभाव — जब दोनों अभियुक्त के विरूद्ध एक जैसी और समान प्रकृति की साक्ष्य हो, न्यायालय एक अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं अन्य को दोषमुक्त नहीं कर सकता।

180 329

Sections 302, 309 and 449 – Murder – Appreciation of circumstantial evidence.

धाराएं 302, 309 एवं 449 — हत्या — परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन।

230(i) 438

Sections 302 and 397 – Offence of robbery and murder – Test identification of jewellery was conducted which was recovered at the instance of accused – No purpose would be served if test identification is conducted.

धाराएं 302 एवं 397 — लूट और हत्या का अपराध — अभियुक्त द्वारा बताये जाने पर जब्त हुए आभूषण की पहचान कार्यवाही की गई — पहचान कार्यवाही के संपादन से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है । *181 331

Sections 302 and 498A – (i) Matrimonial cruelty and murder – Burden of proof.

(ii) Burden of proof – Facts especially within the knowledge – Until a *prima facie* case is established by prosecution by proving all necessary elements, the onus does not shift to the accused to show that no crime was committed.

धाराएं 302 एवं 498क — (i) वैवाहिक क्रूरता और हत्या — सबूत का भार।

(ii) सबूत का भार — विशिष्ट ज्ञान के तथ्य — जब तक अभियोजन आवश्यक तत्वों को प्रमाणित करते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण स्थापित नहीं कर देता है तब तक यह साबित करने का भार कि कोई अपराध कारित नहीं हुआ, अभियुक्त पर अंतरित नहीं होता है।

Section 304-B – See section 32(1) of the Evidence Act, 1872.

धारा 304-ख – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 (1)।

26 41

Section 306 – Offence of abetment to commit suicide – Summoning of accused – Propriety.

धारा 306 — आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध — अभियुक्त को समन करना — औचित्य। 128 233

Sections 306 r/w/s 107, 342 and 365 – Abetment of suicide – Law explained. धाराएं 306 सहपठित धाराएं 107, 342 एवं 365 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – विधि समझाई गई। 182(i) 332

Sections 306 r/w/s 107 and 498-A – See section 113-A of the Evidence Act, 1872.

धारा 306 सहपठित धारा 107 एवं 498-क — देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क। **117 212**

JOTI JOURNAL – 2024 LXVIII

Sections 306 and 498-A – Abetment – Suicide committed by married lady within 7 years of her marriage on account of harassment meted out to her by in laws – Presumption u/s 113A.

धाराएं 306 एवं 498-क — दुष्प्रेरण — विवाहित स्त्री द्वारा विवाह के 7 वर्ष के भीतर सास-ससुर द्वारा उसके प्रति की गई प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली गई — धारा 113क की उपधारणा। 285 562

Section 307 – (i) Attempt to murder – If a person commits an act with such intention or knowledge and under such circumstances that if death has been caused, offence would have amounted to murder or act itself is of such a nature as would have caused death in the usual course of an event, but something beyond his control prevented that result, his act would constitute the offence of attempt to murder.

(ii) Offence of attempt to Murder – Act of accused was covered under second Part of section 307 of the Code, which prescribes punishment of either life imprisonment or punishment under first part i.e. upto 10 years – Since punishment of life imprisonment was not imposed, sentence permissible under first Part of section 307 should have been imposed.

धारा 307 — (i) हत्या का प्रयास — यदि कोई इस आशय या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है जिससे कि यदि मृत्यु हो जाती है तो वह हत्या का अपराध होता या कार्य अपने आप में इस प्रकृति का है कि वह सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित कर दे, किन्तु उसके नियंत्रण के बाहर, का कोई कार्य ऐसे परिणाम को रोक देता है, तो उसका यह कार्य हत्या के प्रयास का गठन करेगा।

(ii) हत्या के प्रयास का अपराध — अभियुक्त का कार्य संहिता की धारा 307 के दूसरे भाग के अंतर्गत आता है, जिसके लिए विहित दण्ड आजीवन कारावास या प्रथम भाग के तहत 10 वर्ष तक का कारावास है। 286 564

Section 307 – Sentence – Reduction of.

धारा 307 — दण्डादेश — कमी किया जाना। 81

Sections 308 and 338 – Alteration of conviction from section 308 to one u/s 338 of IPC in absence of charge u/s 338 of IPC – Whether permissible? Held, Yes.

धाराएं 308 एवं 338 — धारा 338 भा.दं.सं. के अधीन आरोप के अभाव में धारा 308 के अंतर्गत दोषसिद्धि का धारा 338 भा.दं.सं. में परिवर्तन — क्या अनुज्ञात है? अभिनिर्धारित, हाँ। 33 58

150

Sections 313, 316 and 324 – (i) Causing miscarriage – *Mens rea* for the offence.

(ii) Causing death of unborn child – Where victim was only two months pregnant, the offence of section 316 is not made out.

धाराएं 313, 316 एवं 324 — (i) गर्भपात कारित करना — अपराध के लिए दुराशय।

(ii) अजन्मे बच्चे की मृत्यु कारित करना — जहाँ पीड़ित केवल दो महीने गर्भवती थी, वहां धारा 316 का अपराध नहीं माना जा सकता है। **82 151**

Sections 342, 376(1) and 376(2) – See section 114 (g)of the Evidence Act, 1872 and sections 3 (a) and 4 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

धाराएं 342, 376(1) एवं 376(2) — देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 (छ) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिमय, 2012 की धाराएं 3(क) एवं 4। 34 60

Sections 342 and 376(2)(f) – See Rule 12 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007 and Rules 3 and 4 of the Date of Birth (Entries in the School Register) Rules, 1973 (M.P.).

धाराएं 342 एवं 376(2)(च) — देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 का नियम 12 एवं (स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टियां) नियम, 1973 (म.प्र.) का नियम 3 एवं 4। 183 335

Sections 342 and 376 (2) (g) – Gang rape – Proof.

धाराएं 342 एवं 376 (2)(छ) — सामूहिक बलात्संग — प्रमाण।

35(i) 62

Section 354 r/w/s 34 – See sections 7 and 8 of the Protection of Children form Sexual Offences Act, 2012 and section 74 r/w/s 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

धारा 354 सहपित धारा 34 — देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 7 एवं 8 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74 सहपित धारा 3(5)। 297 588

Sections 363 and 366 – (i) Abduction – Evidence of prosecutrix didn't indicate that the accused had kidnapped the prosecutrix with intent to marry – Two vital ingredients for upholding the conviction u/s 366 IPC not proved.

JOTI JOURNAL – 2024 LXX

(ii) Age of prosecutrix – In absence of any document regarding age, benefit of uncertainty must be given to the accused.

धाराएं 363 एवं 366 — (i) अपहरण — अभियोक्त्री की साक्ष्य से यह संकेत नहीं मिला कि आरोपी ने विवाह करने के आशय से उसका अपहरण किया — भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत दोषसिद्धि यथावत रखने हेतु दो महत्वपूर्ण तत्व साबित नहीं हुए।

(ii) अभियोक्त्री की आयु — आयु के संबंध में किसी दस्तावेज के अभाव में अनिश्चितता का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। **287 567**

Section 364 and 364-A – (i) Offence of kidnapping for ransom – Ingredients to be established for conviction.

(ii) Dying declaration – Survival of the person making such statement – Effect of.

धारा 364 एवं 364-क — (i) फिरौती के लिए अपहरण का अपराध — दोषसिद्धि के लिए तत्वों का स्थापित किया जाना।

(ii) मृत्युकालिक कथन — इस तरह का कथन देने वाले व्यक्ति का जीवित रहना — प्रभाव। 83 152

Section 376 – Rape – Appreciation of evidence.

धारा 376 – बलात्संग – साक्ष्य का मूल्यांकन।

37 68

Section 376 – Rape – Appreciation of evidence.

धारा 376 – बलात्संग – साक्ष्य का मूल्यांकन।

*231

444

Section 376 – (i) Rape – Appreciation of evidence.

(ii) Non-examination of material independent witness – When can be termed as suffering from deficiency leading to adverse inference against the prosecution?

धारा 376 – (i) बलात्संग – साक्ष्य का मूल्यांकन।

(ii) सारवान स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण न होना — कब इसे अभियोजन के विपरीत अभिमत की ओर इंगित करने वाली कमी से ग्रसित होना मान्य किया जा सकता है?

Section 376 AB – See sections 3/4 and 5(d)/6 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

धारा 376 कख — देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 3 / 4 एवं 5(घ) / 6। **143 251**

LXXI

Sections 376D, 376(2)(g) and 506 – Gang rape – There was sufficient corroboration to the version given by the prosecutrix in her examination-in-chief with FIR, her statement recorded u/s 164 CrPC and of other witnesses and medical evidence which fully incriminates the accused – Evidence found sufficient to hold accused guilty.

धाराएं 376घ, 376(2)(छ) एवं 506 — सामूहिक बलात्कार — प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियोक्त्री एवं अन्य साक्षियों के लेखबद्ध साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य की पुष्टि साक्षी के मुख्य परीक्षण से होती है जो पूर्णतः अभियुक्त को अपराध से पूर्ण रूप से जोड़ती है — उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। 232 445

Sections 376(2), 377, 504 and 506 – Rape – Consent.

धाराएं 376(2), 377, 504 एवं 506 — बलात्संग — सहमित । **184** 339

Sections 394 and 397 – Criminal trial – Offence of robbery with attempt to cause grievous hurt – Appreciation of evidence.

धाराएं 394 एवं 397 — आपराधिक विचारण — गंभीर चोट पहुँचाने के प्रयास के साथ लूट का अपराध — साक्ष्य का मूल्यांकन। 233 446

Sections 405, 406, 419, 420, 467 and 468/34 – Offence of cheating/criminal breach of trust – Ingredients – Fraudulent or dishonest intention or misappropriation of property entrusted from the beginning is must – Intention is the gist of the offence.

धाराएं 405, 406, 419, 420, 467 एवं 468/34 — छल/आपराधिक न्यास भंग का अपराध — तत्व — कपटपूर्ण या बेइमानी पूर्ण या प्रारंभ से ही सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग का आशय आवश्यक है — आशय अपराध का सार है।

85 157

Sections 420, 467, 468 and 471 – See section 13 of the Notaries Act, 1952. धाराएं 420, 467, 468 एवं 471 – देखें नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 13।

*140 249

Sections 420 and 468 – (i) Offence of cheating and forgery – When primary ingredients of dishonest intention itself could not be established, the offence of forgery too could not be constituted.

(ii) Supplementary charge sheet – Further investigation – It is obligatory upon the officer in-charge of the Police Station to obtain further evidence, oral or

LXXII

documentary and only then forward a supplementary report regarding such evidence, in the prescribed form.

धाराएं 420 एवं 468 — (i) छल और कूटरचना का अपराध — जब छल के आशय के प्राथमिक तत्व स्वयं स्थापित नहीं किए जा सके, तो कूटरचना का अपराध भी गठित नहीं होता।

(ii) पूरक अभियोग पत्र — अग्रिम जांच — पुलिस थाना प्रभारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करे और केवल तभी निर्धारित प्रपत्र में ऐसी साक्ष्य के संबंध में एक पूरक रिपोर्ट भेजे।

86 160

Sections 420, 498A and 506 – Matrimonial dispute – Allegation on vexatious grounds – Phenomenon of false implication by way of general *omnibus* allegation in the course of matrimonial disputes is not unknown to the Courts – It is the duty of Court to consider the allegation with great care to protect against the danger of unjust prosecution.

धाराएं 420, 498क एवं 506 — वैवाहिक विवाद — तुच्छ आधारों पर आरोप — वैवाहिक विवादों में सामान्य सर्वव्यापी प्रकृति के आरोपों के माध्यम से मिथ्या फंसाये जाने की घटनाएं न्यायालयों के लिये अज्ञात नहीं हैं — यह न्यायालय का कर्तव्य है कि अन्यायपूर्ण अभियोजन के खतरों से बचाने हेतु आरोपों पर बहुत सावधानी से विचार करे।

Section 494 r/w/s 495 – (i) Offence relating to marriage – Appropriate sentence – Sentence till rising of the court has to be in tune with the rule of proportionality.

(ii) Sentencing policy – One of the objectives of criminal law is the imposition of adequate, just, proportionate punishment which commensurate with gravity, nature of crime and the manner in which it was committed.

धारा 494 सहपित धारा 495 — (i) विवाह से संबंधित अपराध — समुचित दण्डादेश — न्यायालय उठने तक का दण्डादेश आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए।

(ii) दण्डादेश नीति — दण्डविधि का एक यह भी सिद्धांत है कि ऐसी पर्याप्त, उचित एवं आनुपातिक सजा अधिरोपित की जाए जो कि गंभीरता, अपराध की प्रकृति एवं जिस रीति से वह किया गया, के अनुरूप हो। 234 448

Section 498A – Matrimonial cruelty – Conduct of a spouse though may cause annoyance need not necessarily amount to cruelty.

LXXIII

धारा 498क — वैवाहिक क्रूरता — पति या पत्नी का व्यवहार यद्यपि क्षोभ कारित करता हो परन्तु आवश्यक नहीं कि प्रताड़ना माना जाये। **235 450**

Sections 499 and 500 – (i) Defamation – Exceptions to offence – Relevant factors before issuance of process – It is the duty of the Magistrate to prevent false/frivolous complaints.

- (ii) Precedents Binding effect.
- (iii) Applicability of precedents Extent.

धाराएं 499 एवं 500 — (i) मानहानि — अपराध के अपवाद — आदेशिका जारी करने से पूर्व के सुसंगत कारक — ऐसी शिकायत को निरस्त करना उचित होगा।

(ii) पूर्व निर्णय – बाध्यकारी प्रभाव।

(iii) पूर्व निर्णय की प्रयोज्यता – विस्तार।

88

Section 500 – See section 389 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 500 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389।

115 209

163

INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

Sections 67 and 67A – Offence u/s 67 and 67A of the Act – Vulgarity and profanities do not *per se* amounts to obscenity – Standard to determine obscenity cannot be an adolescent's or child's mind or a hyper-sensitive person who is susceptible to such influence.

धाराएं 67 एवं 67क — अधिनियम की धारा 67 एवं 67क के अंतर्गत अपराध — अशिष्टता एवं अपवित्र आचरण स्वयं में अश्लीलता के समान नहीं — अश्लीलता का निर्धारण करने का मानक किशोर या बालक का मस्तिष्क अथवा एक अतिसंवेदनशील व्यक्ति नहीं हो सकता जो ऐसे प्रभाव के लिए अतिसंवेदनशील है।

INTERPRETATION OF STATUTES: संविधियों का निर्वचन:

- Interpretation How should the word 'and' occurring in section 21(1)(a) of the Act, 1999 be read?
- निर्वचन 1999 के अधिनियम की धारा 21(1)(क) के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द 'अथवा' को कैसे पढा जाना चाहिए? 155(iii) 277
- Lex non cogit ad impossibilia Meaning of Law does not compel a man to do what he cannot perform.

LXXIV

लेक्स नॉन कोगिट एड इम्पॉसिबिलिया – अर्थ – विधि किसी व्यक्ति को वह
 करने के लिए बाध्य नहीं करता जो वह नहीं कर सकता।

272(ii) 531

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2000

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000

Section 7A – Claim of juvenility – Plea of juvenility raised by the appellant cannot be thrown out without conducting proper inquiry.

धारा 7क — किशोर होने का दावा — अपीलार्थी द्वारा उठाया गया किशोर होने का दावा बिना उचित जांच के निरस्त नहीं किया जा सकता।

236 452

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015 किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

Sections 9(2) and 94 – See section 7A of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, section 302 of the Indian Penal Code, 1860 and section 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

धारा 9(2) एवं 94 — देखें किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7क, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1)। 236 452

Sections 14, 15, 17, 18, 19 and 101 - (i) Preliminary assessment in heinous offences — Timeline — Whether prescribed period of three months for completion of preliminary assessment u/s 15 of the Act is mandatory? Held, No — It is only directory.

- (ii) Appeal under the Act Competent court Where no Children's Court is available, the power is to be exercised by the Sessions Court.
- (iii) Order passed u/s 18(3) of the Act after preliminary assessment Limitation for filing appeal Endeavour has to be made to decide such appeal within a period of 30 days.

धाराएं 14, 15, 17, 18, 19 एवं 101 — (i) जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण — समय सीमा — क्या अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण को पूर्ण करने के लिए तीन माह की निर्धारित अविध आज्ञापक है? अभिनिर्धारित, नहीं — यह केवल निर्देशात्मक है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत अपील — सक्षम न्यायालय — जहां कोई बालक न्यायालय उपलब्ध नहीं है वहाँ उक्त शक्ति का प्रयोग सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना है।

(iii) प्रारंभिक निर्धारण के बाद अधिनियम की धारा 18(3) के अंतर्गत पारित आदेश — अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा — ऐसी अपील को 30 दिनों की अवधि के भीतर निराकृत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 237 454

Sections 27, 30 and 37 – Child in need of care and protection – Welfare and safety of child is legal responsibility of Board/Child Welfare Committee.

धाराएं 27, 30 एवं 37 — देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक — बालक का कल्याण और सुरक्षा बोर्ड / बाल कल्याण समिति का विधिक दायित्व है।

129 235

Section 94 – Claim of juvenility – Determination of.

धारा 94 – किशोरावस्था का दावा – निर्धारण।

*130 236

Section 94 – See section 311 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 348 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धारा 94 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 348। 218 410

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2007

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) नियम, 2007

Rules 12 – Age determination of victim – Admission register of school showing date of birth was produced before the Court by the Headmaster – Parents gave contradictory oral evidence – As school register was found to be relevant, documentary evidence has to be given precedence over oral evidence of parents.

नियम 12 — पीड़ित की उम्र का निर्धारण — जन्मतिथि दर्शाने वाला विद्यालय का प्रवेश रिजस्टर प्रधानाध्यापक द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया — माता पिता ने विरोधाभासी मौखिक साक्ष्य दिये — चूंकि विद्यालय का रिजस्टर सुसंगत पाया गया इसलिये दस्तावेजी साक्ष्य को माता—पिता की मौखिक साक्ष्य की तुलना में वरीयता दी जानी चाहिए। 183(i) 335

Rule 12 – Determination of age – Documents – Rule 12 reveals that while conducting enquiry regarding age, Court should consider the documents as mentioned in Rule 12 (1) (i) to (iii) – However, it is upon the Court to whether or not to rely upon such documents without any further enquiry.

नियम 12 — आयु का निर्धारण — दस्तावेज — नियम 12 से स्पष्ट है कि न्यायालय आयु के संबंध में जांच करते समय नियम 12 (1) (i) से (iii) में उल्लेखित दस्तावेजों पर विचार करेगा — किंतु यह न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वह इन दस्तावेजों पर बिना अग्रिम जाँच के विश्वास करे या न करें।

38 69

JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2016

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016

Sections 10, 10A and 13 – See sections 14, 15, 17, 18, 19 and 101 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

धाराएं 10, 10क एवं 13 — देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं 14, 15, 17, 18, 19 एवं 101।

237 454

LAND REVENUE CODE, 1959 (M.P.)

भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)

Section 110 – Mutation on the basis of Will – Whether revenue authorities have jurisdiction to mutate the name of a beneficiary on the basis of Will? Held, No.

धारा 110 — वसीयत के आधार पर नामांतरण — क्या राजस्व अधिकारियों को वसीयत के आधार पर हितधारी के नाम का नामांतरण करने का अधिकार है? अभिनिर्धारित, नहीं। *131 236

Section 129 – See order 14 Rules 1 & 5 and Order 26 Rule 9 of the Civil Procedure Code, 1908 and Rule 3 of the Commission for Local Investigation Rules, 1962.

धारा 129 — देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14 नियम 1 एवं 5 एवं आदेश 26 नियम 9 एवं स्थानीय निरीक्षण हेतू आयोग नियम, 1962 (म.प्र.)।

209 390

Section 129(5) – Demarcation proceedings – Need for proper service of notice.

धारा 129(5) — सीमाकंन की कार्यवाही — नोटिस के उचित निर्वहन की आवश्यकता। **288 570**

Sections 248 and 257 – See section 9 of the Civil Procedure Code, 1908.

धाराएं 248 एवं 257 — देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9।

252 486

LIMITATION ACT, 1963 परिसीमा अधिनियम. 1963

Section 3 and Article 5 – Plea of limitation not set up as a defence – Even if plea of limitation is not set up as a defence, the Court has to dismiss the suit if it is barred by limitation.

धारा 3 एवं अनुच्छेद 5 — प्रतिरक्षा के रूप में परिसीमा का अभिवाक नहीं किया गया — यद्यपि प्रतिरक्षा के रूप में परिसीमा का अभिवाक नहीं किया गया हो परन्तु यदि दावा परिसीमा से बाधित है तो न्यायालय को वाद को खारिज करना होगा।

244(ii) 469

Sections 4 and 12 – See section 34(3) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996

धाराएं 4 एवं 12 — देखें माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34(3)। **201** 373

Section 5 – Condonation of delay – While appreciating reason for condonation of delay, Court should distinguish between an "explanation" and an "excuse".

धारा 5 — विलंब क्षमा — विलंब को क्षमा करने के कारण पर विचार करते समय, न्यायालय को ''स्पष्टीकरण'' और ''बहाने'' के बीच अंतर करना चाहिए।

9 70

Section 17 – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 17 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश ७ नियम ११।

263 506

Article 34 – See sections 138 and 142 of the Negotiable Instruments Act 1881.

अनुच्छेद 34 — देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 138 एवं 142। 139 248

Articles 64 and 65 – See sections 34 and 38 of the Specific Relief Act, 1963. अनुच्छेद 64 एवं 65 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 – धाराएं 34 एवं 38। 300 593

Article 65 – Adverse possession – There is no equity in favour of a party who seeks to defeat the rights of true owner by claiming adverse possession.

अनुच्छेद 65 — विरोधी आधिपत्य — ऐसे पक्षकार के पक्ष में कोई साम्या नहीं होती है जो विरोधी आधिपत्य का दावा करते हुए वास्तविक स्वामी के अधिकारों को परास्त करने की मांग करता है। 199 369 **Article 136** – (i) Subsequent suit for possession – Maintainability.

(ii) Power of attorney holder – Acceptability of his deposition.

अनुच्छेद 136 – (i) आधिपत्य वापसी हेतू पश्चातुवर्ती वाद – पोषणीयता।

(ii) मुख्तारनामा धारक – कथन की स्वीकार्यता।

132

237

MINERAL (PREVENTION OF ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION AND STORAGE) RULES, 2022 (M.P.)

खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 (म.प्र.)

Rules 18(4) and 21 – (i) Interim custody of seized vehicle – Jurisdiction to grant - Whether Judicial Magistrarte First Class has jurisdiction to release the vehicle u/s 451 or 457 of CrPC seized in case of Illegal Mining and Transportation of Mineral Rules? Held, No.

(ii) Words "seized", "forfeiture" and "confiscation" - Difference amongst them explained.

नियम 18(4) एवं 21 – (i) जब्त वाहन की अन्तरिम अभिरक्षा – प्रदान करने की अधिकारिता – क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को धारा ४५१ या ४५७ द.प्र.स. के अन्तर्गत ऐसा वाहन जो खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन नियम के अन्तर्गत जब्त किया गया है, को मुक्त करने की अधिकारिता है? – अवधारित, नहीं।

(ii) शब्द ''जब्त'', ''समपहरण'' एवं ''अधिहरण'' — इनमें अन्तर समझाया गया।

186 343

MOTOR VEHICLES ACT, 1988 मोटरयान अधिनियम, 1988

Section 10 – (i) Driving licence – If a person is licensed to drive a particular category of vehicle but there is lack of endorsement to drive a commercial vehicle, will not exonerate the insurance company.

(ii) Offending vehicle – Motor cycle – Driver was having a licence to drive a Light Motor Vehicle (Non-transport) and Heavy Motor Vehicle – He was not licensed to drive a two wheeler which is a vehicle of separate category – Tribunal righty orderd for pay and recover.

धारा 10 – (i) चालन अनुज्ञप्ति – यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहन को चलाने की अनुज्ञप्ति है किंतू व्यावसायिक वाहन चालन के संबंध में पृष्टांकन नहीं है तब बीमा कंपनी को विमुक्त नहीं किया जा सकता।

(ii) दुर्घटनाकारी वाहन – मोटरसाइकिल – चालक के पास हल्के मोटर यान या (गैर-परिवहन) और भारी मोटर यान चलाने की अनुज्ञप्ति थी – उसके पास दो

LXXIX

पहिया वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं थी जो कि एक अलग श्रेणी का वाहन है — अधिकरण द्वारा पारित भुगतान करे और वसूलें का आदेश उचित।

0 72

Sections 149 and 166 – Contributory negligence – Triple riding. धाराएं 149 एवं 166 – योगदायी उपेक्षा – तीन सवारी बैठाना।

167

Sections 149 and 166 – Involvement of vehicle – Delay in lodging FIR. धाराएं 149 एवं 166 – वाहन की संलिप्तता – प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब।

Section 149 (2) (a) (ii) – Fake driving licence – Liability of Insurance Company.

धारा 149 (2) (क) (ii) — नकली चालक अनुज्ञप्ति — बीमा कंपनी का दायित्व।

Section 149 (2)(a)(ii) – Assessment of compensation – Enhancement of 10% increase would apply only when the accident takes place after 3 years of the judgment passed in case of *National Insurance Company Limited v. Pranay Sethi, 2017 ACJ 2700 (SC)*.

धारा 149 (2)(क)(ii) — प्रतिकर का निर्धारण — 10 प्रतिशत की वृद्धि केवल तभी लागू होगी जब दुर्घटना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी, 2017 एसीजे 2700 (एससी) के मामले में पारित निर्णय के 3 वर्ष के उपरांत होती है। 238(ii) 458

Section 166 – Accident claim – Girl aged 10 years sustained grievous fracture in motor accident – Application rejected by Tribunal on the ground that registration number of offending vehicle mentioned in FIR is different from one which is disclosed in the charge sheet and claim application – Whether order is justified? Held, No.

धारा 166 — दुर्घटना दावा — वाहन दुर्घटना में 10 वर्ष की लड़की को गंभीर अस्थिभंग कारित हुआ — आवेदन अधिकरण द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित उल्लंघन करने वाले वाहन का पंजीयन क्रमांक आरोप पत्र और क्लेम आवेदन में बताए गए वाहन से अलग है — क्या आदेश उचित है? अभिनिर्धारित, नहीं।

290 574

Section 166 – (i) Compensation – Deceased an employed lady – Enhancement of compensation.

(ii) Compensation – Injury – Loss of earning – Determination of compensation.

LXXX

धारा 166 — (i) प्रतिकर — मृतक कर्मचारी महिला — प्रतिकर में वृद्धि की गई। (ii) प्रतिकर — क्षति — आय का कोई नुकसान नहीं — प्रतिकर निर्धारण?

2 171

Section 166 – Compensation – Deceased was a carpenter at the time of accident in the year 2009 – Supreme Court, taking into consideration the fact that deceased was a carpenter and was undertaking carpentry work in another State, held that it would be reasonable to reckon the daily income of the deceased at Rs. 400/- – Also added 40% of income for future prospects and enhanced the compensation accordingly.

धारा 166 — प्रतिकर — दुर्घटना के समय वर्ष 2009 में मृतक बढ़ई का काम कर रहा था — उच्चतम न्यायालय ने मृतक के बढ़ई होने एवं अन्य राज्य में भी बढ़ई का कार्य करने के तथ्य को विचार में लेते हुए माना कि मृतक की आय 400 रूपये प्रतिदिन आंकलित किया जाना उचित होगा — आय में भविष्य की संभावना के लिए 40 प्रतिशत राशि को भी जोड़कर तद्नुसार प्रतिकर में वृद्धि की गई।

93 172

Section 166 – Compensation – Income – Determination when at the time of accident, claimant was working as a teachers.

धारा 166 — प्रतिकर — आय — दुर्घटना के समय जब दावेदार एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थी । *239 460

Section 166 – Compensation – Income Tax Return – Production of – Last Income Tax Return filed prior to the death of the deceased depicting e-filing acknowledgment – Can be considered as income document of deceased.

धारा 166 — प्रतिकर — आयकर रिर्टन — प्रस्तुत किया जाना — मृतक की मृत्यु के पूर्व जमा किया गया अंतिम आयकर रिटर्न जिसमें ई—फाइलिंग अभिस्वीकृति दर्शाई गयी हो — मृतक की आय के दस्तावेज के रूप में विचार में लिया जा सकता है।

94
173

Section 166 – Compensation – Fatal accident – Death of daughter who was a B.Tech student.

धारा 166 — प्रतिकर — घातक दुर्घटना — पुत्री की मृत्यु जो बी.टैक की छात्रा थी। 133 239

Section 166 – Compensation – In absence of any contra-evidence, non-acceptance of medical evidence, held illegal – Compensation enhanced. धारा 166 – प्रतिकर – किसी भी विपरीत साक्ष्य के अभाव में, चिकित्सीय साक्ष्य की अस्वीकृति को अवैध ठहराया गया – प्रतिकर में वृद्धि की गई।

188 348

LXXXII

Section 166 – Compensation – Quantum of – Deathof home maker.

धारा 166 – प्रतिकर – परिमाण – गृहणी की मृत्यु। 134 240

Section 166 – Contributory negligence – Offending truck parked in the middle of the road without clear indication or signal – Deceased did not notice the truck as it was night and visibility was poor – Held, truck driver was solely responsible for causing the accident.

धारा 166 — योगदायी उपेक्षा — दुर्घटनाकारी ट्रक को सड़क के बीचों बीच स्पष्ट संकेत या सिग्नल के बिना खड़ा किया गया था — मृतक रात्रि होने और कम दृश्यता के कारण ट्रक को नहीं देख पाया — अभिनिर्धारित, केवल ट्रक ड्रायवर दुर्घटना कारित करने के लिये उत्तरदायी था। 95 175

Sections 166 and 166 (1) (c) – (i) Compensation – Entitlement of – Earning widow.

(ii) Future prospects – Calculation of.

धाराएं 166 एवं 166 (1)(ग) — (i) प्रतिकर — पात्रता — आय अर्जन करने वाली विधवा। (ii) भविष्य की संभावनाएँ — गणना। **135 241**

Sections 166 and 168 – Accident claim – Contributory negligence.

धाराएं 166 एवं 168 – दुर्घटना दावा – योगदायी उपेक्षा। 136 243

Sections 166 and 168 – Motor accident claim – Application to summon the Investigating Officer dismissed by the Tribunal – Held, Investigating Officer was a necessary witness.

धाराएं 166 एवं 168 — मोटर दुर्घटना दावा — अधिकरण ने अन्वेषण अधिकारी को तलब करने का आवेदन निरस्त किया था — अभिनिर्धारित, अनुसंधानकर्ता अधिकारी एक आवश्यक साक्षी था। 291 576

Sections 166 and 168 – Motor Accident Claim – Delay in lodging FIR – Effect of.

धाराएं 166 एवं 168 — मोटर दुर्घटना दावा — एफ.आई.आर. दर्ज करने में विलंब — प्रभाव। **137 244**

Sections 166 and 173 – Compensation – Legal representatives.

धाराएं 166 एवं 173 – प्रतिकर – विधिक प्रतिनिधि। 189 349

Sections 166 and 173 – Compensation – Reduction of.

धाराएं 166 एवं 173 – प्रतिकर – कटौती। **41 73**

Sections 166 and 173 – (i) Motor accident claim – Plea of false implication of vehicle – Burden of proof is on the insurance company.

JOTI JOURNAL – 2024

(ii) Valid and effective driving license – Mere absence of endorsement in the driving license is not sufficient to exonerate the insurance company.

धाराएं 166 एवं 173 — (i) मोटर दुर्घटना दावा — वाहन असत्य रूप से आलिप्त किये जाने का अभिवाक् — सबूत का भार बीमा कंपनी पर।

(ii) वैध और प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञप्ति — केवल वाहन चालन अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकन का अभाव बीमा कंपनी को विमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

Section 166 (1) (c) – Legal representative – Elder married brothers – Two family registers show that brother of deceased lived separately with their respective family – Only on the basis that deceased visited his siblings and had meals together, they cannot be treated as dependent – Not entitled to claim compensation – Award set aside.

धारा 166 (1) (ग) — विधिक प्रतिनिधि — ज्येष्ठ विवाहित भाई — दो पारिवारिक रिजस्टरों से पता चलता है कि मृतक के भाई अपने—अपने परिवार के साथ अलग रहते थे — केवल इस आधार पर कि मृतक अपने भाई—बहनों से मिलने जाता था और एक साथ भोजन करता था, उन्हें आश्रित के रूप में नहीं माना जा सकता — भाई प्रतिकर का दावा करने का अधिकारी नहीं — अवार्ड निरस्त किया गया।

Section 173 - (i) Award - Whether Tribunal can award more compensation than the amount claimed by the claimant? Held, Yes.

(ii) Notional income – Appellant used to run an auto and also do agriculture work – Incremental addition must be made even for self-employed individual.

धारा 173 — (i) पंचाट — क्या अधिकरण याचिकाकर्ता द्वारा याचित राशि से अधिक का प्रतिकर प्रदाय कर सकता है? अभिनिर्धारित, हाँ।

(ii) काल्पनिक आय — अपीलार्थी ऑटो चलाता था एवं कृषि कार्य करता था — स्विनयोजित व्यक्तियों के लिए भी वेतन वृद्धि करनी चाहिए।292 578

Section 173 – (i) Cross-objections in appeal – Maintainability.

(ii) Involvement of offending vehicle – When driver and owner did not complain.

धारा 173 – (i) अपील में प्रत्याक्षेप – पोषणीयता।

(ii) उल्लंघनकारी वाहन की संलिप्तता — जब चालक और स्वामी ने शिकायत नहीं की। 190 351

Section 173 – Driving licence – Driver of offending vehicle appeared before the Claims Tribunal and filed reply but did not produce driving licence –

LXXXIII

Adverse inference can be drawn against him to the effect that he did not possess valid and effective driving licence at the time of accident.

धारा 173 — चालन अनुज्ञप्ति — उल्लंघनकारी वाहन का चालक दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जबाब प्रस्तुत किया किन्तु चालन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की — उसके विरूद्ध यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दुर्घटना के समय उसके पास वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी।

240 461

MOTOR VEHICLES RULES, 1995 (M.P.) मोटर यान नियम, 1995 (म.प्र.)

Rule 242 – See section 173 of the Motor Vehicles Act, 1988.

नियम 242 — देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173।**190** 351

MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (M.P.)

नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (म.प्र.)

Section 401 – See sections 80, 80(2), Order 6 Rule 2 (3) and Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 401 — देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धाराएं 80, 80(2), आदेश 6 नियम 2 (3) एवं आदेश 7 नियम 11। **205 382**

MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) ACT, 2019 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

Sections 2(c) and 4 – (i) Pronouncement of talaq – When it becomes an offence?

(ii) Difference between Talaq-e-biddat and Talaq-e-ahsan – Talaq-e-biddat comes into operation immediately whereas Talaq-e-ahsan becomes operative after three menstrual cycles.

धारा 2(ग) एवं 4 - (i) तलाक की उद्घोषणा - कब एक अपराध होगा?

(ii) तलाक—ए—बिद्दत एवं तलाक—ए—एहसान में विभेद — तलाक—ए—बिदद्त तत्काल प्रभावी होता है जबिक तलाक—ए—एहसान तीन ऋतुकाल के बाद प्रभावशील होगा। 289 572

NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985 स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

Sections 2(viiia), 8, 9, 21 and 29 – Essential narcotic drug – Codeine and its salts are included in category of essential narcotic drug u/s 9(1)(a)(va) of NDPS Act and Rule 52A(3) of Rules of 1985.

धाराएं 2(viiiक), 8, 9, 21 एवं 29 — आवश्यक स्वापक औषधि — कोडीन और इसके लवण एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 9 (1)(क)(vक) एवं एन.डी.पी.एस. नियम, 1985 के अतंर्गत आवश्यक स्वापक औषधि की श्रेणी में सम्मिलित हैं।

241 463

Section 8/20 – Narcotic substance – Quantity.

धारा 8/20 - स्वापक पदार्थ - मात्रा।

173(ii) 315

Sections 8, 22, 23, 29 and 37 – See section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973, section 483 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Article 21 of the Constitution of India.

धाराएं 8, 22, 23, 29 एवं 37 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 एवं भारत का संविधान का अनुच्छेद 21। 273 532

Sections 8(b) r/w/s **15(c)** and **52A** – (i) Compliance of mandatory provision regarding disposal of seized narcotic drugs and psychotropic substances – Guidelines issued by way of notification in consonance with provisions as contained in section 52A has to be followed mandatorily.

(ii) Production of seized material is a factor to establish seizure followed by recovery – Non-production would lead to negative inference within the meaning of section 114(g) of the Evidence Act.

धाराएं 8(ख) सहपठित धारा 15(ग) एवं 52क — (i) जब्तशुदा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के व्ययन के संबंध में आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन — धारा 52क में वर्णित प्रावधान के अनुरूप अधिसूचना के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

(ii) जब्त की गई सामग्री का प्रस्तुतीकरण, जब्ती और बरामदगी स्थापित करने के लिए एक कारक है — संपत्ति प्रस्तुत न करना साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (छ) के अनुसार नकारात्मक निष्कर्ष की ओर ले जाएगा। 138 245

Sections 8 (c) r/w/s 20(b)(ii)(c) – (i) Search and seizure – Narcotic substances – Recovery of contraband from three bags wherein *ganja* as well as green chillies were present – No effort was made to conduct a separate weighment by segregating the chillies – It cannot be said with any degree of certainty about the exact weight of recovered *ganja*.

- (ii) Chain of custody Narcotic substance Effect of Witness who prepared samples of *ganja*, not examined.
- (iii) Sampling Doubt Property deposited in the Court was not having official seal Glaring loopholes in the story of prosecution, give rise to

LXXXV

suspicion – Evidence found to be unconvincing – Conviction set aside and accused persons were acquitted of the charges.

- धाराएं 8 (ग) सहपिटत धारा 20(ख)(ii)(ग) (i) तलाशी और जब्ती मादक पदार्थ तीन बैगों से प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी जिसमें गांजा के साथ-साथ हरी मिर्च भी मौजूद थी मिर्च को पृथक कर अलग से वजन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया ।
- (ii) अभिरक्षा की श्रृंखला मादक पदार्थ गांजा के नमूने तैयार करने वाले साक्षी को परीक्षित नहीं किये जाने का प्रभाव।
- (iii) नमूना एकत्रण संदेह न्यायालय में जमा की गई संपत्ति पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं थी अभियोजन की कहानी में स्पष्टः किमयां संदेह को जन्म देती हैं साक्ष्य अविश्वसनीय पाई गई दोषसिद्धि को निरस्त करते हुए अभियुक्तगण को आरोपों से दोषमुक्त किया गया। 191 353
- Sections 8 (c), 22 (c), 29, 53 and 67 (i) Offence of illegal transportation of psychotropic substances Conviction Legality.
- (ii) Confessional statement Probative value Statement recorded u/s 67 cannot be used as a confessional statement in the trial of an offence under the Act.
- धाराएं 8 (ग), 22 (ग), 29, 53 एवं 67 (i) मनःप्रभावी पदार्थ के अवैध परिवहन का अपराध दोषसिद्धि वैधानिकता।
- (ii) संस्वीकृति कथन साक्षिक मूल्य अधिनियम के अंतर्गत अपराध के विचारण में धारा 67 के अंतर्गत अभिलिखित कथन का संस्वीकृति कथन की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। 293 579
- **Sections 22 (b) and 36 (A)** Default bail Quantity of the contraband alleged to have been seized from the applicant is less than commercial quantity Provisions of Section 36-A (4) are not attracted and therefore, chargesheet was required to be filed within a period of 60 days and not within 90 or 180 days Order set aside and the applicant was directed to be released on bail.
- धाराएं 22 (ख) एवं 36 (क) व्यतिक्रम जमानत आवेदक से कथित रूप से जब्त हुई विनिषिद्ध पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम थी धारा 36-क(4) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं इसलिए अभियोग पत्र 60 दिवस की अविध में प्रस्तुत होना चाहिए था न कि 90 अथवा 180 दिवस की अविध में आदेश अपास्त किया गया एवं आवेदक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES RULES, 1985 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985

Rule 52A – See sections 2(viiia), 8, 9, 21 and 29 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

नियम 52क — देखें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 2(viiiक), 8, 9, 21 एवं 29। **241 463**

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

Section 20 – See sections 91 and 202 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 20 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 91 एवं 202।

*56 96

Sections 118, 138 and 139 – Dishonour of cheque – Mere minor discrepancy with respect to the due amount in the statement of complainant and the complaint cannot overturn the conviction.

धाराएं 118, 138 एवं 139 — चैक का अनादरण — परिवाद में और परिवादी के कथन में देय राशि के संबंध में मामूली विरोधाभास से दोषसिद्धि अपास्त नहीं हो सकती।

294 581

Section 138 – Criminal and civil proceedings in respect of same subject-matter – Maintainability.

धारा 138 — एक ही विषय वस्तु के संबंध में आपराधिक और सिविल कार्यवाही — पोषणीयता। 192 355

Section 138 – Dishonor of cheque – Debt or liability – Allegedly barred by limitation – Question regarding the time barred nature of a debt or liability is a mixed question of fact and law and must be decided on evidence adduced by parties.

धारा 138 — चैक का अनादरण — ऋण अथवा दायित्व — परिसीमा द्वारा वर्जित होने का आक्षेप — ऋण या देनदारी का परिसीमा द्वारा वर्जित प्रकृति का होने संबंधी प्रश्न तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है और इसका निर्णय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए। 97 176

Section 138 – (i) Dishonor of cheque – Defence – Accused can rely on the materials produced by complainant and he ought not to adduce any further or new evidence to rebut the statutory presumption – Accused can shift the

LXXXVII

weight of the scales of justice in his favour through preponderance of probabilities.

- (ii) Dishonor of cheque Complainant was not able to prove valid existence of legally recoverable debt Accused rightly acquitted.
- धारा 138 (i) चेक का अनादरण बचाव अभियुक्त परिवादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा कर सकता है एवं उसे विधिक उपधारणा का खण्डन करने हेतु कोई और अथवा नवीन साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है अभियुक्त संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर न्याय के तराजू को अपनी ओर झका सकता है।
- (ii) चेक का अनादरण अभियुक्त ने परिवादी की आर्थिक क्षमता को प्रश्नगत किया परंतु परिवादी ठोस साक्ष्य द्वारा इसे प्रमाणित करने में विफल रहा अभियुक्त की दोषमुक्ति उचित। 295 584
- **Section 138** Dishonour of cheque Even if the cheque has been issued for discharging the liability of two or more persons, criminal liability u/s 138 of the Act can be fastened only on the person who issued the cheque.
- धारा 138 चैक का अनादरण यदि चैक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के दायित्व के निर्वहन हेतु भी जारी किया गया हो तब भी धारा 138 के अतंर्गत आपराधिक दायित्व केवल उस व्यक्ति पर तय किया जा सकता है जिसने चैक जारी किया है।

 *193
 358
- **Section 138** Legally recoverable debt When evidence available on record did not show legally enforceable debt or liability.
- धारा 138 विधिक रूप से वसूली योग्य ऋण जब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता कि राशि विधिक उत्तरदायित्व या वसूली योग्य ऋण था।

 194
 358
- **Sections 138 and 139** (i) Dishonour of cheque Presumption u/s 139 of the Act when arises and its effect explained.
- (ii) Standard of proof to rebut the presumption Accused is not expected to prove the non-existence of the presumed fact beyond reasonable doubt, but he must meet the standard of preponderance of probabilities, similar to defendant in a civil proceeding.
- **धाराएं 138 एवं 139** (i) चैक का अनादरण धारा 139 के अंतर्गत उपधारणा कब उत्पन्न होगी एवं उसका प्रभाव समझाया गया।
- (ii) उपधारणा के खण्डन हेतु सबूत का मानक अभियुक्त से अपेक्षित नहीं है कि वह उपधारित तथ्य के अस्तित्व में नहीं होने को युक्ति-युक्त संदेह से परे

साबित करे, किन्तु उसे सिविल कार्यवाही के प्रतिवादी के समान अधिसंभावना की प्रबलता के स्तर को प्राप्त करना होगा। 242 465

Sections 138 and 141 – Dishonour of cheque – Commission of offence by company and its Directors.

धाराएं 138 एवं 141 — चैक का अनादरण — कंपनी एवं उसके निदेशकों द्वारा अपराध कारित किया जाना। **195 360**

Sections 138 and 142 – Dishonour of cheque – Alleged to have been issued against time barred debt – Maintainability of complaint.

धाराएं 138 एवं 142 — चैक का अनादरण — कथित रूप से अवधि बाधित ऋण के भुगतान हेतु जारी — परिवाद की पोषणीयता। 139 248

Sections 138 and 142 – Dishonour of cheque – Territorial jurisdiction – Complainant a PAN India Company having branches all over India – Whether it can file complaint for dishonour of cheque at a place of its choice, even where no transaction has taken place? Held, No.

धाराएं 138 एवं 142 — चैक का अनादरण — स्थानीय क्षेत्राधिकार — परिवादी एक पैन इंडिया कंपनी जिसकी संपूर्ण भारत में शाखाएं है — क्या वह स्वयं की इच्छा के स्थान पर चैक अनादरण का परिवाद प्रस्तुत कर सकती है, तथापि वहां कोई अंतरण नहीं हुआ? अभिनिर्धारित, नहीं। 243 467

Section 141 (1) – Offence of dishonour of cheque by company – Vicarious liability – Necessary averments required to be made in the complaint.

धारा 141(1) — कंपनी द्वारा चेक का अनादरण — प्रतिनिहित दायित्व — परिवाद में किए जाने वाले आवश्यक अभिकथन। 98 178

Sections 141 (1) and 141 (2) - (i) Offence of dishonor of cheque by company/ partnership firm – Conditions required.

(ii) Criminal liability – Attracted only against those, who at the time of commission of offence, were in-charge and responsible for conduct of business – If the Director wants the process to be quashed, he must make out a case that trial against him would be an abuse of process of Court.

धाराएं 141(1) एवं 141 (2) — (i) कंपनी / साझेदारी फर्म द्वारा चेक के अनादरण का अपराध — आवश्यक शर्त।

(ii) आपराधिक दायित्व — केवल उन व्यक्तियों के विरूद्ध आकर्षित होता है, जो अपराध कारित करते समय व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे।

43 76

LXXXIX

Act/Topic

Note No. Page No.

Section 143-A r/w/s 148(1) proviso – (i) Interim compensation – Non-payment – Effect of.

- (ii) Interim compensation Grant of.
- (iii) Interim compensation Factors to be considered.

धाराएं 143-क सहपिंठत धारा 148(1)का परंतुक — (i) अंतरिम प्रतिकर — भुगतान न किया जाना — प्रभाव।

- (ii) अंतरिम प्रतिकर प्रदान करना।
- (iii) अंतरिम प्रतिकर विचारणीय कारक।

196

362

NOTARIES ACT, 1952

नोटरी अधिनियम, 1952

Section 13 – Cognizance of offence – Necessity of written complaint – If the act is not connected with notarial function then cognizance can be taken otherwise also.

धारा 13 — अपराध का संज्ञान — लिखित परिवाद की आवश्यकता — यदि कार्य नोटरी कार्य से भिन्न है, तो संज्ञान अन्यथा भी लिया जा सकता है।

*140 249

NOTARIES RULES, 1956

नोटरी नियम, 1956

Rule 13 – See section 13 of the Notaries Act, 1952.

नियम 13 — देखें नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 13 |***140**

249

PARTNERSHIP ACT, 1932

साझेदारी अधिनियम, 1932

Sections 42 and 43 – Suit for dissolution of firm and rendition of accounts – Limitation – Period of limitation is three years from date of dissolution.

धाराएं 42 एवं 43 — फर्म के विघटन एवं लेखे दिये जाने के लिए दावा — परिसीमा — परिसीमा की अवधि विघटन के दिनांक से तीन वर्ष है।

244(i) 469

PRACTICE AND PROCEDURE:

प्रथा एवं प्रक्रिया:

– If a counsel withdraws his *vakalatnama*, then in the normal course the Trial Court should issue a notice to the concerned party to engage another counsel – Such party should not be proceeded *ex-parte*.

JOTI JOURNAL – 2024 XC

यदि अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया है तब सामान्य अनुक्रम में विचारण न्यायालय को संबंधित पक्षकार को अन्य अधिवक्ता नियुक्त करने के लिये सूचनापत्र जारी करना चाहिए – ऐसे पक्षकार के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।

8 (ii)
13

- See section 12-A of the Commercial Courts Act, 2015.
- देखें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12-क।

266 512

- See section 294 of the Indian Penal Code, 1860.
- देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294। 76 138

See section 108, Order 39 Rules 1 & 2, Order 41 and Order 43 Rule 1 of Civil Procedure Code, 1908.

देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 — धारा 108, आदेश 39 नियम 1 एवं 2, आदेश 41 एवं आदेश 43 नियम 1 । **206 385**

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम. 1988

Sections 7 and 13 – Demand and acceptance of illegal gratification – Proof of same as a fact by the prosecution is a *sine qua non* in order to establish the guilt of the accused public servant u/s 7 and 13 (1) (d) (i) and (ii) of the Act.

धाराएं 7 एंव 13 — अवैध परितोषण की मांग एवं प्रतिग्रहण — अभियोजन द्वारा अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (घ) (i) और (ii) के अंतर्गत अभियुक्त लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए एक तथ्य के रूप में इसको प्रमाणित करना अनिवार्य शर्त है। *296 586

Sections 13 and 19 – Application for discharge of accused on the ground of invalidity of sanction – Maintanability.

धाराएं 13 एवं 19 — अभियुक्त के उन्मोचन हेतु आवेदन — मंजूरी की अवैधता का आधार पर पोषणीयता। 20 33

Sections 13 and 19 – Offence under Prevention of Corruption Act – Summoning of public servant as additional accused – Correct procedure for prosecution is to first obtain sanction from the appropriate Government u/s 19 of the Act before formally moving an application u/s 319 of CrPC before the court.

धाराएं 13 एवं 19 — भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध — लोक सेवक को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में समन करना — अभियोजन के लिए उचित प्रक्रिया यह है कि न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 319 के अंतर्गत औपचारिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत समुचित सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाए। 271 528

Sections 13(1)(d) and 13(2) – Stage of taking cognizance and framing of charge – Relevant factors.

धाराएं 13(1)(घ) एवं 13(2) — संज्ञान लेने और आरोप की विरचना का प्रक्रम — सुसंगत कारक। 141 250

Sections 13(1)(e) and 13(2) – See sections 227 and 228 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 13(1)(ड.) एवं 13(2) — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 227 एवं 228। **217 409**

Section 19 – (i) Sanction for prosecution – Applicability.

(ii) Discharge – Accused was charged with offences both under Prevention of Corruption Act and Indian Penal Code – He was discharged from offence u/s 19 of the Act – This alone cannot be a ground for not prosecuting accused for offences under IPC.

धारा 19 - (i) अभियोजन के लिये मंजूरी - प्रयोज्यता।

(ii) उन्मोचन — अभियुक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता दोनों के अंतर्गत अपराधों में आरोपित किया गया था — उसे अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत मंजूरी के अभाव में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध से उन्मोचित किया गया, अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधों में अभियोजित न करने का केवल यही आधार नहीं हो सकता।

18 28

PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT, 2003 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2003

Sections 8(8), 65 and 71 – See section 397 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 8(8), 65 एवं 71 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397।

1 103

Section 19 – (i) Money laundering – Section 19 of the Act provides for the phrase "as soon as may be" to inform grounds of arrest – Meaning and connotation of phrase explained.

(ii) Information of ground of arrest – The arrestee should be informed of ground of arrest within 24 hours of arrest.

XCII

धारा 19 — (i) धन-शोधन — गिरफ्तारी के आधार की सूचना देने हेतु अधिनियम की धारा 19 "यथासंभव शीघ्र" के वाक्यांश को उपलब्ध कराती है — वाक्यांश के अर्थ एवं तात्पर्य को समझाया गया।

(ii) गिरफ्तारी के आधार की सूचना — गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के आधार बताना होगा।245 470

Section 19 – See section 47 of the Criminal Procedure Code, 1973, section 44 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and sections 43A, 43B and 43C of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

धारा 19 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 47, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 44 एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धाराएं 43क, 43ख एवं 43ग। 214 402

Section 45D - Bail.

धारा 45घ - जमानत।

*142 251

PREVENTION OF MONEY LAUNDERING (RESTORATION OF PROPERTY) RULES, 2016

धन शोधन निवारण (संपत्ति का पुनःस्थापन) नियम, 2016

Rules 2(b), 3 and 3A – See section 397 of the Criminal Procedure Code, 1973.

नियम 2(ख), 3 एवं 3क – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397।

61 103

PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनिमय. 2012

Sections 3 and 4 – See Rule 12 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2007 and Rules 3 and 4 of the Date of Birth (Entries in the School Register) Rules, 1973 (M.P.).

धाराएं 3 एवं 4 — देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 का नियम 12 एवं (स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टियां) नियम, 1973 (म.प्र.) का नियम 3 एवं 4। **183** 335

Sections 3, 4, 5 and 6 – See section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973

धाराएं 3, 4, 5 एवं 6 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313

36 64

Sections 3 (a) and 4 – See sections 342, 376 (1) and 376 (2) of the Indian Penal Code, 1860, section 114(g) of the Evidence Act, 1872 and sections 53-A and 164-A of the Criminal Procedure Code, 1973

JOTI JOURNAL – 2024 XCIII

धाराएं 3 (क) एवं 4 — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 342, 376(1) एवं 376(2), साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 (छ) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 53—क एवं 164—क **34 60**

Sections 3/4 and 5(d)/6 - (i) Sentence – Fine –Reasonableness.

(ii) Alternative punishment – Same offence.

(ii) वैकल्पिक दण्ड – समान अपराध।

43 251

Sections 5(m) and 5(i) r/w/s 6 – (i) Rape and murder – The accused, who was in jail, was not allowed to engage a counsel of his choice – An advocate from legal aid was appointed to represent him – Trial was conducted on day-to-day basis – Copies of DNA report, FSL report and viscera report were presented before Court during the course of trial – Witnesses were produced without issuing summons – Held, trial was conducted in a hurried manner – Sufficient opportunity was not given to the accused to defend himself – Conviction set aside and matter was remitted back to the trial court for *de novo* trial.

- (ii) Forensic Evidence Evidence value.
- (iii) Concept of a fair trial It is a dynamic principle, continually adapting to the complexities of new circumstances and the specific nature of each case.
- (iv) Judicial calm Is fundamental to fair trial.

धाराएं 5(ड) और 5(झ) सहपठित धारा 6 — (i) बलात्कार और हत्या — अभियुक्त जेल में था और उसे अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमित नहीं दी गई — विधिक सहायता प्रदान कर एक अधिवक्ता उसके प्रतिनिधित्व हेतु नियुक्त किया गया था — विचारण दिन—प्रतिदिन किया गया — विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष डी.एन.ए. रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट एवं विसरा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई — बिना समन भेजे साक्षियों को प्रस्तुत किया गया — अभिनिर्धारित, विचारण जल्दबाजी में किया गया — अभियुक्त को अपने बचाव हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किये गये — दोषसिद्धि अपास्त की गई और मामला आरम्भ से पूनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

- (ii) फोरेंसिक साक्ष्य साक्ष्य का महत्व।
- (iii) ऋजु विचारण की अवधारणा यह एक गतिशील सिद्धांत है जो लगातार नई परिस्थितियों की जटिलताओं और प्रत्येक मामले की प्रकृति के अनुकूल परिवर्तित होता रहता है।
- (iv) न्यायिक स्थिरता ऋजु विचारण हेतु आधारभूत। 99 179

XCIV

Sections 7 and 8 – Outrage of modesty – Intention to outrage the modesty of a woman is significant ingredient of offence which is not proved in the case.

धाराएं 7 एवं 8 — शीलभंग करना — किसी महिला का शील भंग करने का आशय अपराध का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि इस प्रकरण में प्रमाणित नहीं हुआ है।

297
588

Section 39 – Justice to victims of sexual offences – Justice can be done only when victims are brought back to society, made to feel secure and their worth and dignity is restored – Directions and guidelines issued.

धारा 39 — लैंगिक अपराधों के पीड़ितों को न्याय — न्याय तभी किया जा सकता है जब पीड़ितों को समाज में वापस लाया जाये, सुरक्षित महसूस कराया जाये और उनकी योग्यता और गरिमा को बहाल किया जावे — निर्देश और मार्गदर्शन जारी किए गये।

144
253

PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES RULES, 2020 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020

Rule 12 – See section 39 of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

नियम 12 — देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 39। 144 253

PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

Sections 2(f), 3 and 17 – (i) Maintenance – Entitlement of – It is sufficient if such domestic relationship subsisted at any point of time or the aggrieved had the right to live in shared household and subjected to domestic violence.

(ii) Domestic violence – Conduct of parties even prior to the commencement of the Act, 2005 can be taken into consideration while passing order under the Act.

धाराएं 2(च), 3 एवं 17 — (i) भरण—पोषण — पात्रता — यह पर्याप्त है कि ऐसी घरेलू नातेदारी किसी एक समय पर रही हो अथवा व्यथित को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार था एवं उसके साथ घरेलू हिंसा कारित हुई।

(ii) घरेलू हिंसा — अधिनियम 2005 के प्रभावशील होने के पूर्व का भी पक्षकारों का आचरण विचार में लिया जा सकता है। 246 472

Sections 21 and 31 – Temporary custody – Only a woman subjected to domestic violence or a person applying on her behalf can claim temporary custody under the Act.

धाराएं 21 एवं 31 — अस्थाई अभिरक्षा — सिर्फ वही महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है अथवा उस की तरफ से जो व्यक्ति आवेदन दे रहा है वही अधिनियम के अंतर्गत अस्थाई अभिरक्षा मांग सकता है। 44 78

PUBLIC TRUSTS ACT, 1951 (M.P.)

लोक न्यास अधिनियम, 1951 (म.प्र.)

Section 26 — See section 151 and Order 14 Rules 3 & 5 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 26 — देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की आदेश 14 नियम 3 व 5 एवं धारा 151 | **261 503**

REGISTRATION ACT, 1908 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908

Section 17 – See section 52 of the Transfer of Property Act, 1882.

धारा 17 — देखें सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 1**250**

483

Sections 17 and 49 – See sections 33, 35 and 40 of the Stamp Act, 1899.

धाराएं 17 एवं 49 – देखें स्टॉम्प अधिनियम, 1899 की धाराएं 33, 35 एवं 40।

100 183

Sections 17 (1-A) and 49 – Unregistered agreement to sale – Admissibility. धाराएं 17 (1-क) एवं 49 – विक्रय के लिए अपंजीकृत करार – ग्राह्मता।

46 80

Section 17 (1) (e) – Registration – Family settlement through "*Panch Faisla*" – Whether registration of such document is required? Held, No.

धारा 17 (1) (ङ) — पंजीयन — "पंच फैसला" के माध्यम से पारिवारिक व्यवस्था — क्या ऐसे दस्तावेज का पंजीकरण आवश्यक है? अभिनिर्धारित, नहीं। 45 79

Sections 17 (1)(f) and proviso to 49 – Suit for specific performance of contract – As per proviso to Section 49 of the Act, agreement to sell can be received as evidence in suit for specific performance of contract even when not registered.

धारा 17 (1)(च) एवं 49 का परंतुक — संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाद — अधिनियम की धारा 49 के परंतुक के अनुसार, विक्रय अनुबंध को संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए प्रस्तुत वाद में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है, भले ही वह पंजीकृत न हो। 145 256

Section 17(2) – Unregistered document – Admissibility.

धारा 17 (2) – अपंजीकृत दस्तावेज – ग्राह्मता।

47

81

Section 47 – Registration of sale deed – Effective date of operation.

धारा 47 – विक्रय पत्र का पंजीकरण – प्रवर्तन की प्रभावी तिथि।

146

260

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

Section 63 – Jurisdiction of civil court – After passing of final award, suit cannot proceed further as u/s 63 of the Act civil court has no jurisdiction to record any finding on the validity of the acquisition proceedings.

धारा 63 — सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार — अंतिम पंचाट पारित होने के उपरांत वाद आगे नहीं चल सकता क्योंकि अधिनियम की धारा 63 के अनुसार व्यवहार न्यायालय के पास ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है जिससे कि वह अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता के संबंध में कोई निष्कर्ष दे सके।

7 (i) 12

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

Sections 3(1)(r), 3(1)(s), 4 and 18A – Offence of racial abuse – Abuses referred to in the complaint could not be said to have been made in any place within the public view – No offence is made out.

Offence punishable u/s 4 – Cognizance – Recommendation of administrative enquiry is a *sine quanon* for taking cognizance of the offence – Purpose of the enquiry is to find out as to whether act complained of was *bonafide* or wilful.

धाराएं 3(1)(द), 3(1)(ध), 4 एवं 18क — नस्लीय दुव्यवहार का अपराध — परिवाद में उल्लिखित अपशब्द किसी लोक स्थान पर या उसके समीप कहे गये हों, नहीं कहा जा सकता — कोई अपराध गठित नहीं होता।

धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध — संज्ञान — प्रशासनिक जांच की सिफारिश अपराध का संज्ञान लेने के लिए अनिवार्य शर्त है — जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या परिवादी द्वारा की गई कार्यवाही सद्भावनापूर्वक थी या जानबुझकर की गई थी । *269 (ii) & (iii) 521

Sections 3(1)(r) and 3(1)(s) – See section 294 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(ध) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294।

76 138

Act/ Topic Note No. Page No.

Section 3(1)(xi) – Caste certificate – Necessity of.

धारा 3(1)(xi) — जाति प्रमाण पत्र — आवश्यकता।

147 262

Section 3(2)(v) – See Sections 107 and 306 of the Indian Penal Code, 1860.

धारा 3(2)(v) — देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 107 एवं 306।

178 327

Section 14A(2) – (i) Second criminal appeal – Maintainability – Provision u/s 14A of the Act is with *non obstante* clause and therefore, being a Special Act it has overriding effect on the provisions under the other laws.

(ii) *Non obstante clause* – Effect – It is a legislative device to give overriding effect to a particular section or the Statute as a whole, in case of any conflict or inconsistency over the provisions of the same Act or other Acts.

धारा 14क(2) — (i) द्वितीय दांडिक अपील — पोषणीता — अधिनियम की धारा 14क के अंतर्गत प्रावधान के साथ नॉन—ऑब्स्टेंटे क्लॉज है एवं इसलिए विशेष अधिनियम होने से यह अन्य विधियों के प्रावधानों पर अध्यारोही प्रभाव रखता है।

(ii) नॉन-ऑब्स्टेंटे क्लॉज — प्रभाव — किसी भी टकराव अथवा असंगति के मामले में किसी विशिष्ट धारा अथवा संपूर्ण संविधि को उसी अधिनियम अथवा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों पर अध्यारोही प्रभाव देने का एक विधायी उपकरण है।

247 475

SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORECEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

Sections 13 and 14 – (i) Application for possession of secured asset – Competent authority – CJM is competent to decide such application and such order is not hit by any illegality or incompetency.

(ii) Notice to borrower – Whether it is required to issue notice to the borrower or third person before deciding application u/s 14 of the SARFESI Act? Held, no – Opportunity of hearing is not required to be extended to the borrower or any third party.

धाराएं 13 एवं 14 — (i) सुरक्षित संपत्ति के आधिपत्य के लिए आवेदन — सक्षम प्राधिकारी — मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर निर्णय लेने में सक्षम है एवं ऐसा आदेश किसी अवैधता या अक्षमता से ग्रस्त नहीं है।

(ii) ऋणी को नोटिस — क्या सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निराकृत करने के पूर्व ऋणी या तृतीय व्यक्ति को नोटिस जारी करना

XCVIII

Act/Topic

Note No. Page No.

आवश्यक है? अभिनिर्धारित, नहीं — सुनवाई का ऐसा कोई अवसर ऋणी या किसी तृतीय पक्ष को देने की आवश्यकता नहीं है। 48 83

Section 34 – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908. धारा 34 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11

108 199

SENTENCING POLICY: दण्ड नीति:

- See section 307 of the Indian Penal Code, 1860.
- देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307। 81 152

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

Section 5 and Proviso to Section 34 – Declaratory suit – Consequential relief of possession not claimed.

धारा 5 एवं धारा 34 का परंतुक — घोषणात्मक वाद — आधिपत्य के पारिणामिक अनुतोष की माँग नहीं की गई । 197 365

Sections 12, 16(c) and 20 – Suit for specific performance of contract – It is necessary for plaintiff to step into witness box and depose.

धाराएं 12, 16(ग) एवं 20 — संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद — वादी के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्षी के कठघरे में आकर साक्ष्य दे।

*207(ii) 387

- **Section 16 (c)** (i) Suit for specific performance of agreement to sell Continuous readiness and willingness of the plaintiff is to be avered and proved It is a condition precedent to obtain the relief of specific performance.
- (ii) 'Readiness' and 'willingness' Plaintiff has not taken any step in getting the suit property surveyed No explanation offered for the delay 'Readiness' and 'willingness' not found proved.
- धारा 16 (ग) (i) विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद वादी की लगातार तैयारी एवं तत्परता को अभिकथित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए विनिर्दिष्ट अनुपालन का अनुतोष प्राप्त करने की यह पूर्ववर्ती शर्त है।
- (ii) ''तैयारी'' एवं ''तत्परता'' वादी ने वाद सम्पत्ति के सर्वे हेतु कोई कदम नहीं उठाया — विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया — ''तैयारी'' एवं ''तत्परता'' प्रमाणित नहीं पाई गई। 248 478

Section 16 (c) – Suit for specific performance of agreement to sell – Readiness and willingness.

धारा 16 (ग) — विक्रय अनुबंध के विर्निदिष्ट अनुपालन हेतु वाद — तैयारी एवं तत्परता। 148 263

Sections 19 and 20 – Suit for specific performance – Failure to pray for cancellation of subsequent sale deed – Under the decree of specific performance, subsequent purchaser could be directed to execute sale deed alongwith original vendor.

धाराएं 19 एवं 20 — विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद — पश्चात्वर्ती विक्रय विलेख को रद्द करने की प्रार्थना करने में विफलता — विनिर्दिष्ट अनुपालन की आज्ञप्ति के अंतर्गत पश्चात्वर्ती क्रेता को मूल विक्रेता के साथ विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया जा सकता था। *298(ii) 591

Section 20 – Suit for specific performance of an agreement to sell – Doctrine of *'lis-pendens'* – Applicability.

धारा 20 — विक्रय के अनुबंध विनिर्दिष्ट पालन के लिये वाद — विचाराधीन वाद का सिद्धांत — प्रयोज्यता। 249 480

Section 20 – Suit forspecific performance – Entitlement to relief.

धारा 20 – विनिर्दिष्ट पालन का वाद – अनुतोष की पात्रता।

149 265

Section 22(2) – See Order 6 Rule 17 and Order 41 Rule 23-A of Civil Procedure Code, 1908.

धारा 22(2) — देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 41 नियम 23—क। **52 90**

Sections 28 and 34 – (i) Suit for specific performance of agreement to sell – Readiness and willingness – Plaintiff has to be ready and willing to get the sale deed executed from the date of agreement till passing of decree and then up to execution of sale deed in his favour upon payment of balance sale consideration.

- (ii) Decree of specific performance Even if time for payment of balance consideration is not prescribed in the decree, plaintiff/purchaser is obliged to deposit the balance amount within a reasonable period which cannot be more than 3 months.
- (iii) Agreement to sell executed on 24.11.1984 Since continuous readiness and willingness of the decree-holder was found missing order of executing court upheld.

JOTI JOURNAL – 2024

धाराएं 28 एवं 34 — (i) विक्रय अनुबंध पत्र के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद — तैयारी एवं तत्परता — वादी को विक्रय विलेख निष्पादित कराने हेतु अनुबंध दिनांक से आज्ञप्ति पारित होने तक एवं उसके बाद बकाया विक्रय प्रतिफल की आदयगी के उपरांत उसके निष्पादन तक तैयार और तत्पर रहना चाहिए।

- (ii) विनिर्दिष्ट अनुपालन की आज्ञप्ति बकाया प्रतिफल की अदायगी हेतु आज्ञप्ति में समय सीमा का उल्लेख न होने के उपरांत भी वादी / क्रेता का यह दायित्व है कि वह बकाया राशि युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर जो कि तीन माह से अधिक अवधि की नहीं होगी, जमा करे।
- (iii) विक्रय का अनुबंध दिनांक 24.11.1984 को निष्पादित हुआ चूँकी आज्ञप्तिधारी की निरंतर तैयारी एवं तत्परता नहीं पाई गई, निष्पादन न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया 198 366

Section 34 – See Article 65 of the Limitation Act, 1963.

धारा 34 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 65।

99 369

Section 34 – Suit for partition – Mohammedan Law – Agreement for settlement of family property.

धारा 34 — विभाजन के लिए वाद — मुस्लिम विधि — पारिवारिक संपत्ति के व्यवस्थापन के लिये करार। *299 592

Sections 34 and 38 – Suit for declaration of title and permanent injunction – When the parties are litigating continuously in the revenue courts, possession of plaintiff cannot be regarded as peaceful and uninterrupted.

धाराएं 34 एवं 38 — स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेघाज्ञा हेतु वाद — जब पक्षकार राजस्व न्यायालय में निरंतर मुकदमेबाजी करते रहे है, तब वादी का आधिपत्य शान्तिपूर्ण एवं अबाधित नहीं माना जा सकता। 300 593

Sections 34 and 38 – Suit for perpetual injunction – Maintainability – Seeking relief of declaration of title, when necessary?

धाराएं 34 एवं 38 — शाश्वत व्यादेश हेतु वाद — पोषणीयता — स्वत्व की घोषणा की सहायता की आवश्यकता कब होती है? **49 85**

STAMP ACT, 1899

स्टॉम्प अधिनियम, 1899

Section 33 – See sections 17 (1)(f) and proviso of 49 of the Registration Act, 1908.

JOTI JOURNAL – 2024 CI

Act/ Topic

Note No. Page No.

धारा 33 — देखें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1)(च) एवं 49 का परंतुक। **145 256**

Sections 33, 35 and 40 – Impounding of document – Deficit stamp duty – Scope of adjudication.

धाराएं 33, 35 एवं 40 — दस्तावेज़ का परिबद्ध किया जाना — स्टाम्प शुल्क में कमी — विनिश्चय की परिधि। 100 183

Section 35, Schedule 1-A and Article 23 Expln. (as amended in State of M.P.) – (i) Stamp duty – The explanation added vide amendment creates new obligation for party and cannot be given retrospective effect.

(ii) Secondary copy of insufficiently stamped document – Section 35 of the Stamp Act forbids letting of secondary evidence in proof of its content of a document if it needs to be stamped or sufficiently stamped – A copy of such document is not acceptable in evidence.

धारा 35, अनुसूची 1-क एवं अनुच्छेद 23 स्पष्टीकरण (म.प्र. राज्य मे यथा संशोधित) – (i) स्टाम्प शुल्क —संशोधन द्वारा जोड़ा गया स्पष्टीकरण पक्षकार के लिए नवीन दायित्व सृजित करता है और इसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता।

(ii) अपर्याप्त मुद्रांकित दस्तावेज की द्वितीय प्रतिलिपि — स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 ऐसे दस्तावेज, जिसका स्टाम्पित या पर्याप्त रूप से स्टाम्पित होना आवश्यक था, की अंतर्वस्तु के प्रमाण हेतु द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने से निषेधित करती है — ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।

200 370

SUCCESSION ACT, 1925

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

Section 63 – See section 68 of the Evidence Act, 1872.

धारा 63 — देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68। **66 114**

Sections 276 and 278 – See section 10 of the Civil Procedure Code, 1908.

धाराएं 276 एवं 278 — देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10।

51 89

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम. 1882

Section 3 – Suit for specific performance – In view of Explanation 1 to section 3 of the Act, the defendants/subsequent purchaser shall be deemed to have knowledge of the sale agreement, which was duly registered.

JOTI JOURNAL – 2024 CII

धारा 3 — विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद — सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 3 के स्पष्टीकरण 1 के आलोक में, प्रतिवादी / पश्चात्वर्ती केता को विकय अनुबंध का ज्ञान होना माना जाएगा, जो विधिवत पंजीकृत था।

*298(i) 591

Sections 41 and 52 – See section 20 of the Specific Relief Act, 1963.

धाराएं 41 एवं 52 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20।

249 480

Section 52 – (i) Doctrine of *lis pendens* – Whether impleadment of such a *transferee pendent lite* who undisputedly had notice of pending litigation is permissible? Held, Yes.

(ii) Registered sale deed – Whether a registered sale deed can be held to be void because it was executed during pendency of a suit in relation to suit property? Held, No.

धारा 52 — (i) लंवित वाद का सिद्धांत — क्या ऐसे वादकालीन अंतरिती को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना अनुज्ञात है जिसे निर्विवादित रूप से वाद लंबन की सूचना थी? अभिनिर्धारित, हाँ।

(ii) पंजीकृत विक्रय विलेख — क्या वाद लंबन के दौरान वाद संपत्ति के संबंध में निष्पादित होने के कारण एक पंजीकृत विक्रय विलेख को शून्य अभिनिर्धारित किया जा सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं।

250
250

Section 53-A – See order 7 rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 53क –देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश ७ नियम ११।

264 508

Section 54 – See section 47 of the Registration Act, 1908.

धारा 54 — देखें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 47 | **146 260**

Sections 54 and Proviso to 58 (c) – Sale or mortgage by conditional sale – Determination.

धाराएं 54 एव 58(ग) का परन्तुक — विक्रय अथवा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक — अभिनिर्धारण। **50 87**

Sections 106 and 109 – Tenancy – Notice of eviction issued u/s 106 of the Act – Validity of.

धाराएं 106 एवं 109 — किराएदारी — अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत जारी बेदखली का सूचना पत्र — वैधता। *150 266

CIII

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

Sections 43A, 43B and 43C – See section 47 of the Criminal Procedure Code, 1973, section 44 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and section 19 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

धाराएं 43क, 43ख एवं 43ग — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 47, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 44 एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19। **214 402**

Sections 43-D (5) r/w/s 17, 18 and 19 – See section 429 of Criminal Procedure Code, 1973.

धाराएं 43-घ (5) सहपठित धाराएं 17, 18 एवं 19 — देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 429। **116 210**

WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972

Section 39 – Confiscation proceedings – The provisions of section 39 of the Wild Life (Protection) Act and section 47 (1) of the Excise Act are enforceable in different domains – Law explained.

धारा 39 — राजसात कार्यवाही — धारा 39 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम और आबकारी अधिनियम के धारा 47 (1) के प्रावधान विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी होते हैं — विधि समझाई गई। 23 (ii) 37

WORDS AND PHRASES:

शब्द एवं पदः

- See sections 5(m) and 5(i) r/w/s 6 of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.
- देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 5(ड)और 5(झ)सहपठित धारा 6।
 99
 179

PART-II A (GUIDELINES)

1.	Guidelines issued by the Hon'ble Supreme Court while summoning public officials	1
2.	Guidelines issued by Hon'ble Supreme Court for effective implementation of Prohibition of Child Marriage Act, 2006.	5
3.	Guidelines issued by Hon'ble Supreme Court forexpediting execution of death sentence	7
	PART-III	
	(CIRCULARS/NOTIFICATIONS)	
1.	Notification dated 23.02.2024 regarding date of enforcement of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 and Bharatiya Nyaya Sanhita,2023	1
2.	न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों के संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.03.2024।	3
3.	Notification dated 16.07.2024 regarding reference of New Criminal Laws	17
4.	Notification dated 19.12.2024 of the High Court of Madhya Pradesh regarding guidelines for recording of evidence of Vulnerable Witnesses, 2024	19
	PART-IV	
(1	IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS/AMENDMEN	TS)
1.	The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024	1
2.	मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका (जारी किया जाना, तामीली तथा निष्पादन) नियम, 2024	3
3.	मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024	8

JOTI JOURNAL – 2024 CV

NOMINAL INDEX OF CASES INCLUDED IN PART II

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
A. Sreenivasa Reddy v. Rakesh Sharma and anr.	AIR 2023 SC 3811	18	28
Aabid Khan v. Dinesh and ors.	(2024) 6 SCC 149	188	348
Aavas Financiers Ltd. v. Bhagwanti Mahawar	2024 (1) MPLJ 627	108	199
Abdul Ansar v. State of Kerala	(2023) 8 SCC 175	33	58
Abdul Razzak v. State of M.P. & anr.	ILR 2024 MP 1067	216	406
Abhishek Dubey v. Pyare Lal and ors.	ILR 2024 MP 153	205	382
Achin Gupta v. State of Haryana and anr.	AIR 2024 SC 2548	235	450
Aditi alias Mithi v. Jitesh Sharma	2024 CriLJ 769 (SC)	111	203
Afjal Ansari v. State of Uttar Pradesh	(2024) 2 SCC 187 (3 Judge Bench)	60	101
Ajay Kumar Gupta v. Union of India	(2024) 9 SCC 455	293	580
Alagammal and ors. v. Ganesh and anr.	2024 (2) MPLJ 11	148	263
Allarakha Habib Memon and ors. v. State of Gujarat	(2024) 9 SCC 546	280	551
Amandeep Singh Saran v. State of Chhattisgarh	(2024) 6 SCC 541	213	399
Amit Rana alias Koka and anr. v. State of Haryana	AIR 2024 SC 3477	286	265
Anees v. State Govt. of NCT	AIR 2024 SC 2297	227	429
Anil Kumar & ors. v. State of M.P.	ILR 2024 MP 505	147	262
Anil Kumar v. State of Kerala	2024 CriLJ 199 (SC)	78	142
Aparna Ajinkya Firodia v. Ajinkya Arun Firodia	(2024) 7 SCC 773	275	536

JOTI JOURNAL – 2024 CVI

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Apoorva Arora and anr. etc. v. State (Govt. of NCT of Delhi) and anr.	AIR 2024 SC 1775	185	341
Arcadia Shipping Limited v. Tata Steel Limited and ors.	(2024) 9 SCC 374	255	492
Arif Azim Company Limited v. Aptech Limited	(2024) 5 SCC 313 (3 Judge Bench)	153	270
Arvind Kumar Pandey and ors. v. Girish Pandey and anr.	2024 ACJ 567	134	240
Arvind Kumar v. Trilok Kumar	2024(3) MPLJ 650	253	489
Ashwini Pradhan v. Union of India and anr.	ILR 2023 MP 1771 (DB)	44	78
Asma Lateef and anr. v. Shabbir Ahmad and ors.	AIR 2024 SC 602	202	375
Atamjit Singh v. State (NCT of Delhi) and anr.	2024 (1) Crimes 128 (SC)	97	176
Avinash Kumar Tripathi v. Smt. Priyanka Tripathi	ILR 2024 MP 475 (DB)	120	220
Avtar Singh and anr. v. State of Punjab	AIR 2023 SC 3718	35	62
Aysha Be & ors. v. Mohinder & anr.	ILR 2024 MP 467	135	241
Baba Natrajan Prasad v. M. Revathi	(2024) 7 SCC 531	234	498
Baboo Khan v. State of M.P.	2024 CriLJ 118	72	126
Bachhu Yadav v. Directorate of Enforcement Government of India represented by its Assistant Director (PMLA) and anr.	2023 (3) Crimes 296 (SC)	142	251
Bachpan Bachao Andolan v. Union of India & ors.	2023 (3) Crimes 281 (SC)	144	253
Balla @ Farhat v. State of Madhya Pradesh	2023 (3) Crimes 414 (SC)	123	225
Balvir Singh v. State of Uttarakhand	2024 CriLJ 1 (SC)	80	148
JOTI JOURNAL – 2024			CVII

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Basavaraj v. Indra and ors.	(2024) 3 SCC 705	105	194
Bhaggi @ Bhagirath @ Naran v. State of Madhya Pradesh &ors.	2024 (1) Crimes 121 (SC)	143	251
Bhagwanlal Sharma v. Government Kamla Nehru Kanya Uchchatar Mahavidyalaya, Bhopal and ors.	2024 (2) MPLJ 696	164	295
Bhaskar @ Balkishan Sonone v. State of M.P. and ors.	2024 (1) MPLJ 450	187	346
Bhikchand (D) through LRs. v. Shamabai Dhanraj Gugale (D) through LRs.	AIR 2024 SC 2903	210	393
Bhupatbhai Bachubhai Chavda and anr. v. State of Gujarat	AIR 2024 SC 1805	179	328
Bhupnath Tiwari & ors. v. State of M.P. & anr.	ILR 2024 MP 345	82	151
Bilkis Yakub Rasool v. Union of India and ors.	(2024) 5 SCC 481	163	293
Bohatie Devi (Dead) through LR. v. The State of Uttar Pradesh and ors.	2023 (3) Crimes 98 (SC)	58	98
Brajvasilal Patel and ors. v. Jagdish and ors.	2024 (1) MPLJ 565	106	197
Brij Narayan Shukla (dead) through LRs. v. Sudesh Kumar@ Suresh Kumar (dead) through LRs. and ors.	(2024) 2 SCC 590	103	192
Brijesh Kumar Mishra v. State of M.P.	ILR 2024 MP 1233	168	304
Cardinal Mar George Alencherry v. State of Kerala and anr.	2023 (3) Crimes 62 (SC)	59	99
Central Bureau of Investigation v. Kapil Wadhawan and anr.	2024 CriLJ 1082	57	97
Chander Bhan (D) through LR. Sher Singh v. Mukhtiar Singh and ors.	AIR 2024 SC 2267	249	480

JOTI JOURNAL – 2024 CVIII

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Chandra Pratap Singh v. State of Madhya Pradesh	(2023) 10 SCC 181	19	29
Child in Conflict with Law through his Mother v. State of Karnataka and anr.	AIR 2024 SC 3191	237	454
Cholamandalam MS General Insurance v. Hajarilala & ors.	ILR 2024 MP 1215	189	349
Choudappa and anr. v. Choudappa deceased by LRs. and anr.	(2024) 9 SCC 236	259	498
Darshan Singh v. State of Punjab	(2024) 3 SCC 164 (3 Judge Bench)	113	205
Davinder Singh v. State of Punjab	2023 (3) Crimes 80 (SC)	84	155
Deepa (Smt.) & anr. v. Harish Railwani	ILR 2024 MP 1044	215	404
Deepak Goyal v. Nagar Nigam Gwalior	AIR 2023 MP 145	14	21
Deepak Grover v. Atul Agrawal and ors.	2024 (1) MPLJ 407	161	288
Devendra Sadho v. Smt. Pramila Kumar & ors.	ILR 2024 MP 54	208	388
Devkaliya @ Devkali (Must.) and ors. v. Dharmendra Singh and anr.	2024 (4) MPLJ 107	291	577
Dharmendra Kumar alias Dhamma v. State of Madhya Pradesh	(2024) 8 SCC 60	277	541
Dilip Buildcom Ltd. v. Ghanshyam Das Dwivedi	ILR 2023 MP 1872	7	12
Dinesh Saxena & ors. v. Smt. Reena Devi & ors.	ILR 2023 MP 2106	6	11
Dinesh Yadav v. State of M.P. and anr.	ILR 2023 MP 1841 (DB)	34	60
Dinganglung Gangmei v. Mutum Churamani Meetei & ors.	2023 (3) Crimes 257 (SC) (3 Judge Bench)	114	207

JOTI JOURNAL – 2024 CIX

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Directorate of Enforcement v. Vinod Bhandari and ors.	2024 CriLJ 250	61	103
Dr. Nirmal Singh Panesar v. Paramjit Kaur Panesar @ Ajinder Kaur Panesar	2024 (1) MPLJ 20 (SC)	68	119
Dubraj Singh Patel & anr. v. State of M.P.	ILR 2024 MP 1053	241	463
Frank Vitus v. Narcotics Control Bureau and ors.	AIR 2024 SC 3418	273	532
G.M. Shahul Hameed v. Jayanthi R. Hegde	AIR 2024 SC 3339	260	500
Gabbu v. State of M.P.	ILR 2023 MP 2251	37	68
Ganpat v. Land Acquisition Officer and Sub Division Officer and ors.	2024 (3) MPLJ 419	251	485
Gayatriraje Puar (Smt.) & ors. v. Smt. Shailjaraje Puar & ors.	ILR 2024 MP 277	51	89
Gopal Krishna Gehlot v. State of M.P. & ors.	ILR 2024 MP 549	124	226
Govind v. Pankaj Kumar	2024 (2) MPLJ 94	101	185
Gowardhan v. State of M.P.	ILR 2024 MP 125	229	436
Gurwinder Singh v. State of Punjab and anr.	2024 (1) Crimes 129 (SC)	116	210
Hansraj v. State of M.P.	AIR 2024 SC 2113	233	446
Har Narayan Tewari (D) through Legal Representatives v. Cantonment Board, Ramgarh Cantonment and ors.	(2024) 8 SCC 114	254	490
Harendra Rai v. State of Bihar and ors.	AIR 2023 SC 4331 (3 Judge Bench)	32	55
Hari Narayan v. State of Madhya Pradesh	2024 CriLJ 871	64	111
Hariprasad alias Kishan Sahu v. State of Chhattisgarh	(2024) 2 SCC 557	127	231
Himanshu Sharma v. State of Madhya Pradesh	(2024) 4 SCC 222	172	314
IOTI IOLIDNIAI 2024			CV

JOTI JOURNAL – 2024 CX

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Hiramani Singh v. State of M.P.	ILR 2024 MP 1016	287	567
Iffco Tokiyo General Insurance Co. Ltd. v. Ram Singh Keer and ors.	ILR 2023 MP 2079	42	75
Iffco-Tokio General Insurance Co. Ltd. v. Diwakar Singh and ors.	2023 ACJ 2408	91	169
Iffco-Tokio General Insurance Co. Ltd. v. Geeta Devi and ors.	2023 ACJ 2701 (SC)	90	168
In Reference v. Anokhilal	ILR 2023 MP 1891 (DB)	36	64
Iveco Magirus Brandschutztechnik GMBH v. Nirmal Kishore Bhartiya and anr.	(2024) 2 SCC 86	88	163
Jagan Singh and Company v. Ludhiana Improvement Trust and ors.	(2024) 3 SCC 308 (3 Judge Bench)	109	200
Jagdish Chandra v. Chandrakant and ors.	2024 (1) MPLJ 134	70	123
Jai Sharma and anr. v. Kailash Narayan and ors.	2024 (2) MPLJ 185	*131	236
Javed Naseem v. State of M.P. and anr.	2024 (3) MPLJ 127	289	572
Javed Shaukat Ali Qureshi v. State of Gujarat	AIR 2023 SC 4444	31	51
Jeevan Singh v. Jagdish	2024 (3) MPLJ 307	257	494
Jeyarani and anr. v. Manager, Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. and anr.	2023 ACJ 2390 (SC)	89	167
Joy Devaraj v. State of Kerala	(2024) 8 SCC 102	281	552
K. Hymavathi v. The State of Andhra Pradesh & anr.	2023 (3) Crimes 290 (SC)	139	248
K. V. Vijayvargiya v. Sanjay Nagpal	2024 (2) MPLJ 419	*193	358
K.M. Krishna Reddy v. Vinod Reddy and anr.	(2023) 10 SCC 248	49	85
JOTI JOURNAL – 2024			CXI

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Kailash Narayan v. Shyamlata and ors.	2024 (1) MPLJ 472	152	267
Kamal Kishore Gaur v. IDFC First Bank Ltd. & ors.	ILR 2023 MP 2042 (DB)	48	83
Kamal Prasad and ors. v. State of Madhya Pradesh (now State of Chhattisgarh)	(2023) 10 SCC 172	17	26
Kamla Bai (Smt.) & ors. v. Babulal & ors.	ILR 2023 MP 2056	10	16
Kamlabai (Smt.) and ors. v. NarmadaPrasad and ors.	ILR 2023 MP 1815	29	47
Kanwar Raj Singh (d) through LRs. v. Gejo (d) through LRs. and ors.	(2024) 2 SCC 416	146	260
Karan Singh v. State of M.P. & anr.	ILR 2023 MP 1906	63	109
Ketan v. State of M.P. & ors.	ILR 2024 MP 118	247	475
Kirti Gupta and ors. v. Akash Potbhare	ILR 2024 MP 99	211	395
Kishan Chand (M/s) v. Smt. Sangita Jain	ILR 2024 MP 524	102	189
Konkan Railway Corporation Limited v. Chenab Bridge Project Undertaking	(2023) 9 SCC 85 (3Judge Bench)	3	5
Kuldeep Rai v. Rita	2024 (2) MPLJ 595 (DB)	175	321
Kumud Gupta and anr. v. Iffco-Tokio General Ins. Co. Ltd. and ors.	2024 ACJ 658	133	239
Kunta Devi and ors. v. Bhura Ram and anr.	2023 ACJ 2384 (SC)	93	173
Kusha Duruka v. State of Odisha	(2024) 4 SCC 432	171	311
Lal Mohammad Manjur Ansari v. State of Gujarat	(2024) 7 SCC 733	283	558
Lalit Agrawal v. State of M.P.	ILR 2023 MP 2114	21	34
JOTI JOURNAL – 2024			CXII

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Laxmi d/o Ramesh v. Jagdishchandra and ors.	2024 (3) MPLJ 516	290	574
Laxmi Devi and ors. v. Mehboob Ali and ors.	2023 ACJ 2386 (SC)	95	175
Laxminarayan and ors. v. Jankibai and ors.	2024 (1) MPLJ 212	53	92
M. Radheshyamlal v. V. Sandhya and anr.	AIR 2024 SC 1595	199	369
M. Vijaykumar v. State of Tamil Nadu	2024 (4) SCC 633	182	332
M/s. Rajco Steel Enterprises v. Kavita Saraff and anr.	AIR 2024 SC 2105	194	358
Madhuribai v. Shakuntalabai and ors.	2024 (2) MPLJ 718	160	287
Maharaj Singh and ors. v. Karan Singh (Dead) Thr. LRs. and ors.	AIR 2024 SC 3328	298	591
Mahendra v. Ramvilas Shukhla & ors.	ILR 2024 MP 249	100	183
Mahesh Prasad Sen (Napit) v. Dhannulal Namdeo	ILR 2024 MP 935	203	378
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. (M/s.) v. Kamdhenu Company Pvt. Ltd. & ors.	ILR 2024 MP 180	243	467
Major Gen. Darshan Singh (D) by L.Rs. and anr. v. Brij Bhushan Chaudhary (D) by L.Rs	(2024) 3 SCC 489	149	265
Makundi Lal Pathak v. Bharat Lal Tiwari and ors.	2024 (4) MPLJ 30	288	570
Mamidi Anil Kumar Reddy v. The State of Andhra Pradesh & anr.	2024 (1) Crimes 141 (SC)	87	162
Mamta @ Dimple v. Manish	ILR 2024 MP 538	112	204
Mamta Yadav (Smt.) v. Amrat Singh & ors.	ILR 2024 MP 986	*239	460

JOTI JOURNAL – 2024 CXIII

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Mangilal v. State of Madhya Pradesh	2023 (3) Crimes 298 (SC)	138	245
Manikandan v. State by Inspector of Police	AIR 2024 SC 1801	177	324
Manisha Mehendra Gala and ors. v. Shalini Bhagwan Avatramani and ors.	AIR 2024 SC 1947	*220	414
Manjula Chordiya and anr. v. Bharat Chordiya and anr.	2024 (3) MPLJ 132	263	506
Manohar Lal Jain and anr. v. Smt. Urmila	ILR 2024 MP 159	246	472
Manoj Kumar Soni v. State of Madhya Pradesh	AIR 2023 SC 3857	30	49
Mariam Fasihuddin and anr. v. State by Adugodi Police Station and anr.	2024 CriLJ 1033	86	160
Mary Pushpam v. Telvi Curusumary and ors.	(2024) 3 SCC 224	104	193
Maya Gopinathan v. Anoop S.B. and anr.	AIR 2024 SC 2454	222	417
Mazid Beg (dead) thr. Arkey Investment Pvt. Ltd., Bhopal v. Subhashini Pandey and ors.	2024 (1) MPLJ 290	158	284
Meena Pradhan and ors. v. Kamla Pradhan and anr.	(2023) 9 SCC 734	66	114
Mir Mustafa Ali Hasmi v. State of A.P.	AIR 2024 SC 3356	296	586
Mohammad Asif v. State of Madhya Pradesh	2024 CriLJ 222	74	131
Mohammed Abdul Wahid v. Nilofer and anr.	(2024) 2 SCC 144	67	117
Mohammed Khalid and anr. v. State of Telangana	(2024) 5 SCC 393	191	353

JOTI JOURNAL – 2024 CXIV

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Mohd. Abdul Samad v. The State of Telangana and anr.	2024 (3) Crimes 57 (SC)	268	518
Mohideen Abdul Khadar (dead) through L.Rs. v. Rahmath Beevi (dead) through her L.Rs. and ors.	(2024) 1 SCC 698	150	266
Mohin Mansoori v. State of M.P.	ILR 2023 MP 2273	38	69
Mohit Singhal and anr. v. State of Uttarakhand and ors.	2024 CriLJ 679 (SC)	128	233
Mukatlal v. Kailash Chand (D) through LRs. and ors.	AIR 2024 SC 2809	*225	425
Munna Pandey v. State of Bihar	2023 (3) Crimes 373 (SC) (3 Judge Bench)	118	215
Nadeem Khan v. State of M.P.	ILR 2023 MP 2140	25	40
Narayan Prasad Agrawal v. Smt. Sheela Rani (Dead) thr. LRs.	ILR 2024 MP 1219	198	366
Narendra Kumar v. Deepchand and ors.	2024 (1) MPLJ 173	65	112
Naresh Kumar v. State of Delhi	AIR 2024 SC 3233	270	523
Naresh Kumar v. State of Haryana	(2024) 3 SCC 573	117	214
Naseem Kahnam and ors. v. Zaheda Begum	AIR 2024 SC 3454	299	592
National Insurance Co. Ltd. v. Ashwini Sinha and ors.	2024 ACJ 990	238	458
Navas @ Mulanavas v. State of Kerala	2024 CriLJ 1797	230	438
Naveen @ Ajay v. State of Madhya Pradesh	2024 (1) Crimes 145 (SC) (3 Judge Bench)	99	178
Neeraj Sharma v. State of Chhattisgarh	(2024) 3 SCC 125	83	152

JOTI JOURNAL – 2024 CXV

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Neeraj Shrivastava v. State of M.P. & anr.	ILR 2024 MP 316	85	157
New India Assurance Co. Ltd. v. Anand Pal and ors.	2024 ACJ 6	*96	176
New India Assurance Com. Ltd. v. Shri Punam Chandra Kesharwani & ors.	ILR 2024 MP 981	240	461
Nihal Singh v. Savitri Bai & ors.	ILR 2024 MP 283	52	90
Niklesh Barwe v. Sudha w/o Niklesh Barwe	2024 (3) MPLJ 192 (DB)	276	538
Nitesh Patidar and ors. v. State of Madhya Pradesh and ors.	2024 (3) Crimes 76 (M.P.)	297	588
Nitya Nand v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2024) 9 SCC 314	284	559
Olpherts Pvt. Ltd., Katni v. Sarla Devi Mahila Mandal and ors.	2024 (3) MPLJ 694	252	486
Oriental Insurance Co. Ltd. v. Anil and ors.	2024 ACJ 655	137	244
P. Sasikumar v. State Represented by the Inspector of Police	(2024) 8 SCC 600	274	535
Pankaj Singh v. State of Haryana	AIR 2024 SC 3091	*231	444
Parshuram v. State of M.P.	2024 CriLJ 81 (SC) (3 Judge Bench)	73	128
Perumal Raja alias Perumal v. State, Rep. by Inspector of Police	2024 CriLJ 1013	75	134
Phulel Singh v. State of Haryana	(2023) 10 SCC 268 (3 Judge Bench)	26	41
Prabhat Kumar Mishra @ Prabhat Mishra v. State of U.P. and anr.	2024 CriLJ 1461	178	327
Prabir Purkayastha v. State (NCT of Delhi)	AIR 2024 SC 2967	214	402

JOTI JOURNAL – 2024 CXVI

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Pradeep v. The State of Haryana	2023 (3) Crimes 25 (SC)	28	46
Prakash (Dead) by LR. v. G. Aradhya and ors.	AIR 2023 SC 3950	50	87
Pramod Kumar Mishra v. State of U.P.	(2023) 9 SCC 810	81	150
Prasanta Kumar Sahoo & ors. v. Charulata Sahu & ors.	(2023) 9 SCC 641	69	121
Pratibha Manchanda and anr. v. State of Haryana and anr.	(2023) 8 SCC 181	62	108
Prem Raj v. Poonamma Menon and anr.	(2024) 6 SCC 143	192	355
Premchand Jagannath Ji v. State of Madhya Pradesh and anr.	2024 CriLJ 1164	76	138
Prince Patel v. State of M.P.	ILR 2024 MP 806	186	343
Priti Agarwalla and ors. v. State of GNCT of Delhi and ors.	AIR 2024 SC 3097	269	522
Priya Indoria v. State of Karnataka and ors.	(2024) 4 SCC 749	170	307
Puneet Sabharwal v. CBI	AIR 2024 SC 2046	217	409
Pushpa Patel and ors. v. Neelima Tiwari and anr.	2024 (3) MPLJ 78	264	508
Pushpshree Hospitals & Research Centre & anr. v. Kothari Chemist & anr.	ILR 2024 MP 955 (DB)	212	396
Pydi Ramana @ Ramulu v. Davarasety Manmadha Rao	(2024) 7 SCC 515	248	478
R. Hemalatha v. Kashthuri	(2023) 10 SCC 725	46	88
Rahul Gandhi v. Purnesh Inshwarbhai Modi and anr.	(2024) 2 SCC 595 (3 Judge Bench)	115	209
Rahul Gupta v. State of M.P.	ILR 2023 MP 2278	173	316
Rahul Kumar Yadav v. State of Bihar	AIR 2024 SC 2739	236	452
JOTI JOURNAL – 2024			CXVII

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Raj Jaiswal v. Shri Gopal Lal Ji Maharaj Trust, Jabalpur and anr.	2024 (2) MPLJ 668	165	298
Raja Naykar v. State of Chhattisgarh	(2024) 3 SCC 481	125	227
Rajaram Mali and anr. v. Indraj and ors.	2024 (1) MPLJ 705	110	201
Rajesh Jain v. Ajay Singh	(2024) 10 SCC 148	242	465
Rajesh Kumar Sahu v. Manish Kumar Sahu	AIR 2023 MP 157	47	81
Rajesh Kumar v. Anand Kumar and ors.	AIR 2024 SC 3017	*207	387
Rajesh Viren Shah v. Redington (India) Ltd.	2024 (2) MPLJ 700	195	360
Rajpalsingh v. Dilip Anjana and ors.	2024 (3) MPLJ 605	267	516
Rakesh Ranjan Shrivastava v. State of Jharkhand and anr.	(2024) 4 SCC 419	196	362
Rakesh Swarup Saxena v. Vinod Kumar and ors.	2023 ACJ 2680 (SC)	92	170
Ram Kishor Arora v. Directorate of Enforcement	(2024) 7 SCC 599	245	471
Ram Naresh v. State of U.P.	2024 CriLJ 628 (SC)	121	222
Ram Singh v. State of Uttar Pradesh	(2024) 4 SCC 208	180	329
Ramayan Prasad Kacher v. State of M.P. & anr.	ILR 2024 MP 544	*140	249
Ramchandra Banarsi and ors. v. Radhabai @ Devkabai and ors.	2024 (1) MPLJ 510	107	197
Ramesh and ors. v. Sajjan Bai through LRs. Sagarmal and ors.	2023 (4) MPLJ 351	4	8
Ramesh Sahu v. Deepak Kumar Sahu and ors.	ILR 2024 MP 1351	292	578
Ramji Rai v. Champa Rai and ors.	2024 (3) MPLJ 520	265	510

JOTI JOURNAL – 2024 CXVIII

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Ramnath and ors. v. Raghunath Singh and ors.	ILR 2024 MP 102	206	385
Ramswaroop v. State of M.P.	ILR 2023 MP 2258 (DB)	183	335
Raniya Bai v. Tekmani Rathore and ors.	2023 (4) MPLJ 371	*12	19
Ranji Vandana v. Jamuna Bai and ors.	2023 (4) MPLJ 364	*11	19
Ratnu Yadav v. State of Chhattisgarh	AIR 2024 SC 3314	282	555
Ravishankar Tandon v. State of Chhattisgarh	AIR 2024 SC 2087	176	322
Razia Khan v. State of Madhya Pradesh	(2023) 8 SCC 592	24	39
Revanasiddappa and anr. v. Mallikarjun and ors.	(2023) 10 SCC 1	224	422
Riyazuddin v. Nisaruddin @ Antim Lala and ors.	2024 (4) MPLJ 94	262	505
Roshanlal Tiwari (dead) thr. LRs. and ors. v. Pannalal Tiwari and ors.	2024 (1) MPLJ 297	159	285
Rupesh Manger (Thapa) v. The State of Sikkim	(2023) 9 SCC 739	71	124
S. Shivraj Reddy (D) through His LRs. and anr. v. S. Raghuraj Reddy and ors.	AIR 2024 SC 2897	244	469
S.P. Mani and Mohan Dairy v. Dr. Snehalatha Elangovan	(2023) 10 SCC 685	43	76
Sadkik Akaram v. Kuldeep	2024 (3) MPLJ 69	258	497
Sanjay Kumar v. Vasudev & anr.	ILR 2023 MP 1948	56	96
Sarman Shivhare v. State of Madhya Pradesh	2024 CriLJ 709 (DB)	*181	331
Saroj Devi and ors. v. Balbir Singh and ors.	2023 ACJ 2678 (SC)	94	173

JOTI JOURNAL – 2024 CXIX

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Satish Gehlot and anr. v. Krishna Irrigation India Pvt. Ltd.	2024 (1) MPLJ 557	54	93
Savitri Soni and ors. v. Nekse (deceased) thr. His Legal Heir and ors.	2024 (1) MPLJ 398	*151	267
Scotch Whisky Association v. J.K. Enterprises and ors.	2024 (2) MPLJ 466 (DB)	155	276
Seenu Tripathi (Smt.) v. Saurabh Tripathi & ors.	ILR 2024 MP 746	174	318
Sekaran v. State of Tamil Nadu	(2024) 2 SCC 176 (3 Judge Bench)	77	141
Selvamani v. State Rep. by the Inspector of Police	AIR 2024 SC 2273	232	445
Shahrukh Khan v. State of M.P. and anr.	ILR 2024 MP 171	218	410
Shankar v. State of Uttar Pradesh and ors.	AIR 2024 SC 3085	*219	413
Shatrughan v. The State of Chhattisgarh	2023 (3) Crimes 406 (SC)	126	229
Shazia Aman Khan and anr. v. State of Orissa and ors.	(2024) 7 SCC 564	223	420
Sheikh Arif v. State of Maharashtra and anr.	(2024) 4 SCC 463	184	339
Sheo Raj Singh (Deceased) through LRs. and ors. v. Union of India and anr.	(2023) 10 SCC 531	39	70
Shiv Jatia v. Gian Chand Malick and ors.	(2024) 4 SCC 289	169	306
Shiv Pal Singh Chouhan v. State of M.P. & anr.	ILR 2024 MP 784	166	299
Shivnarayan v. Shyamlal & ors.	ILR 2023 MP 2031	15	22
Shobarani (Smt.) v. Smt. Malti Bai	ILR 2023 MP 1809	*9	15
Shri Krishna Ginning Factory, Nagda v. State of M.P. and ors.	2024 (2) MPLJ 462	157	283
JOTI JOURNAL – 2024			CXX

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Siby Thomas v. Somany Ceramics Limited	(2024) 1SCC 348	98	178
Sirajuddin S/o Kutubuddin and ors. v. Saidani Begum and ors.	2024 (3) MPLJ 242	300	593
Sri Dattatraya v. Sharanappa	2024 (3) Crimes 166 (SC)	294	584
Srikant Upadhyay and ors. v. State of Bihar and anr.	AIR 2024 SC 1600	167	302
State of Karnataka Lokayukta Police v. S. Subbegowda	AIR 2023 SC 3770	20	33
State of Punjab v. Partap Singh Verka	AIR 2024 SC 3299	271	528
State of Rajasthan v. G	(2023) 10 SCC 516	16	23
State of West Bengal represented through the Secretary and ors. v. Rajpath Contractors and Engineers Ltd.	AIR 2024 SC 3252	201	373
Suchitra Dubey (Smt.) v. Sattar & ors.	ILR 2023 MP 2100	5	9
Sudeep Chatterjee v. State of Bihar and anr.	(2024) 9 SCC 88	272	531
Sudeepto Saha v. Moumita Saha	ILR 2024 MP 490 (DB)	119	218
Sufiyan Ali Qureshi v. Rishabh Shanrm A & ors.	ILR 2023 MP 2227	40	72
Sukhpal Singh v. NCT of Delhi	AIR 2024 SC 2724	226	427
Sumanbai @ Dattabai v. State of M.P.	ILR 2024 MP 1397	285	562
Sunder Lal v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2024) 6 SCC 639	*221	416
Sunil Anandilal Ji Sahu v. State of Madhya Pradesh	2024 CriLJ 264 (DB)	79	145
Sunil Kumar Soni v. Nirmal Kumar Jain	ILR 2023 MP 2221	2	4
Sunil Lulla v. Nirmala Janki Cinemas Pvt. Ltd., Mhow and ors.	2024 (3) MPLJ 656	256	493
JOTI JOURNAL – 2024			CXXI

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Surajpal Raghuvar Rajput v. State of Madhya Pradesh	2024 CriLJ 1846	228	435
Surender Singh v. State (NCT of Delhi)	AIR 2024 SC 3220	278	543
Tahir Khan and anr. v. Monesh Kataria and anr.	2024 (2) MPLJ 78	145	256
Tele Communications Consultants India Ltd. v. Rajendra Singh Kiledar Construction Pvt. Ltd.	2024 (1) MPLJ 416 (DB)	162	290
Thangam and anr. v. Navamani Ammal	(2024) 4 SCC 247	156	281
The New India Assurance Co. Ltd. v. Kalabai & ors.	ILR 2023 MP 2237	41	73
Trilok Singh v. Manager, Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd. and ors.	2023 ACJ 2394 (SC)	55	94
U.S. (Upjeet Singh) Arora v. State of M.P. & anr.	ILR 2024 MP 570 (DB)	141	250
Uma Bhardwaj (Smt.) v. Maniram & ors.	ILR 2024 MP 940	209	390
United Insurance Co. Ltd., Indore v. Raksingh Bhilala and ors.	2024 (1) MPLJ 422	190	351
United Insurance Company Ltd., Jabalpur v. Anil Kumar Gour and ors.	2024 (1) MPLJ 128	136	243
Usha Rai and anr. v. Sanskrit Pathsala Samiti, Pipariya	2024 (1) MPLJ 321	154	273
Ushabai (Smt.) & anr. v. Sarubai & ors.	ILR 2024 MP 946	204	381
Vasantha (dead) through LR v. Rajalakshmi alias Rajam (dead) through LRs.	(2024) 5 SCC 282	197	365
Vatsalyapuram Jain Welfare Society, Indore v. State of M.P. and ors.	2024 (2) MPLJ 110 (DB)	129	235

JOTI JOURNAL – 2024 CXXII

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Vijay Kumar Tevraiya and ors. v. Registrar Public Trust and Sub Divisional Officer (Revenue), Tikamgarh and ors.	2024 (3) MPLJ 509	261	503
Vijay Tolaram v. State of Madhya Pradesh	2024 CriLJ 507 (MP)	122	223
Vijay v. State of M.P. & ors.	ILR 2023 MP 2047	23	37
Vijay v. Union of India and ors.	2024 (2) MPLJ 334	200	370
Vijendra Singh Yadav v. Lieut. Col. Mahendra Singh Yadav	ILR 2023 MP 2061	45	79
Vikram Singh Aanjana v. Prakashchandra Solanki	2024 (3) MPLJ 597	295	581
Vinay Kumar v. Yaseen Mohammad through her LRs. Firoz D/o Yaseen Mohammad and ors.	2024 (1) MPLJ 274	132	237
Vinod Katara v. State of Uttar Pradesh	(2024) 4 SCC 150	*130	236
Vipan Aggarwal and anr. v. Raman Gandotra and ors.	(2023) 10 SCC 529	13	19
Vipin Kumar Mehta v. Rajkumar Jain	2023 (4) MPLJ 355	1	1
Virendra Singh Rana and ors. v. State of M.P. and anr.	ILR 2024 MP 1458	279	547
Wazir Khan v. State of Uttarakhand	(2023) 8 SCC 597	27	43
Y.P. Lele v. Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd. and ors.	AIR 2023 SC 3832	8	13
Yamini Manohar v. T.K.D. Keerthi	(2024) 5 SCC 815	266	512
Yashodhan Singh and ors. v. State of Uttar Pradesh and anr.	AIR 2023 SC 3878	22	36
Yogesh Goyanka v. Govind and ors.	(2024) 7 SCC 524	250	483

JOTI JOURNAL – 2024 CXXIII